[2019] 5 एस. सी. आर. 916

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर

वी.

भारत का संघ

(2018 की सिविल अपील संख्या 12251)

29 मार्च, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः

पर्यावरण मंजूरी (ईसी)-गोवा में हवाई अड्डे के विकास के लिए अनुदान-को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई

पर्यावरण संरक्षण के लिए उपायों को शामिल करने की आवश्यकता है - अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः कानून के शासन के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों-उत्तरदायी, समावेशी,

सहभागी और प्रतिनिधि निर्णय लेना कानून के शासन के लिए प्रमुख तत्व हैं-कानून के शासन के संरक्षण के लिए सूचना तक सार्वजनिक पहुंच मौलिक है-पर्यावरण शासन जो कानून के शासन पर आधारित है, संविधान के मूल्य से उभरता है-पर्यावरण का स्वास्थ्य जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

Art.21 के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य-पर्यावरणीय निर्णय के लिए उचित संरचना-मनमाना कार्रवाई और यू/आर्ट के तहत निष्पक्ष व्यवहार के सकारात्मक कर्तव्य के खिलाफ गारंटी में अभिव्यक्ति का पता लगाना। 14 संविधान-पर्यावरण शासन के क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अंतिम निर्णय-2006 की अधिसूचना का मूल अभिधारणा यह था कि जो मार्ग प्रकटीकरण, अध्ययन, डेटा एकत्र करने, परामर्श और मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया था, उसे इस तरह से तैयार किया गया था कि

बनाना-वर्तमान मामले में 2006 की अधिसूचना के तहत बाध्यकारी मानदंडों का पालन करने में विफलता थी निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रासंगिक सामग्री को विचार से बाहर रखा गया था और बाहरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था-एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में ई. ए. सी. ने एक न्यायिक निकाय के रूप में एन. जी. टी. के कारणों के आधार पर विशेषज्ञ निर्धारण करने के अपने दायित्वों को त्याग दिया।

916 हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत का संघ

उसे सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा। 16 (ज) आर/डब्ल्यू। एस। 20 एन. जी. टी. अधिनियम की केवल सिफारिश करने के निर्णय को स्थगित करके और

ई. सी. देना-हालांकि, एक नए हवाई अड्डे की स्थापना की आवश्यकता नीति का विषय है-कला के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच एक संपूर्ण संतुलन लाने के लिए। 142 संविधान के अनुसार, ई. ए. सी. को उन शर्तों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है जिनके विषय में उसने

ई. सी. को एक समयबद्ध तरीके से प्रदान किया गया-भारत का संविधान-कला। 14 , 21 , 51 ए (जी) और 142-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010-एस। 16 (ज) और 20।

भारत सरकार ने एक हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी

वर्ष 2000 में गोवा। पर्यावरण और वन मंत्रालय

भारत सरकार ने 2006 में अधिसूचना जारी की, जिसमें पूर्व में अनिवार्य किया गया था। पर्यावरण मंजूरी (ईसी)। 2011 में गोवा राज्य ने परियोजना प्रस्तावक के रूप में 2006 की अधिसूचना में निर्धारित फॉर्म 1 प्रस्तुत किया। 2015 में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई. ए. सी.)

2006 की अधिसूचना के तहत गठित अनुदान की सिफारिश की गई -

परियोजना के लिए एक ईसी और संबंधित मंत्रालय ने ईसी के अनुदान को मंजूरी दी। ई. सी. के अनुदान को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)। एनजीटी ने चुनाव आयोग को बरकरार रखा और पर्यावरण की रक्षा के लिए अतिरिक्त शर्तें लागू कीं। इसलिए,

वर्तमान अपीलें।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम

1976 , जो 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ।

देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना। संविधान का अनुच्छेद 51 ए (जी) प्रत्येक नागरिक को संबंधित कर्तव्य देता है। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना। जून में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के बाद

1972 जिसमें भारत ने भाग लिया, संसद ने अधिनियमित किया

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए

पर्यावरण और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के लिए खतरों को रोकना। [पैरा 32] [951-ए-सी] [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. एम. ओ. ई. एफ. ने 1986 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड (डी) के साथ पढ़ा।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 ने किसी भी गतिविधि या नई परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध और प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जब तक कि अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक ईसी नहीं दिया गया था। के तहत

अधिसूचना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक नई परियोजना शुरू करने या किसी मौजूदा परियोजना का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव को एक आवेदन जमा करना आवश्यक था। 14 सितंबर 2006 को एम. ओ. ई. एफ. ने पिछली अधिसूचना के स्थान पर एक और अधिसूचना जारी की। 2006 की अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा, संरक्षण और निरंतर निर्वाह है।

पर्यावरण जब नई परियोजनाओं के निष्पादन या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण की परिकल्पना की जाती है। यह लागू होता है

परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर कुछ प्रतिबंध और प्रतिबंध जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूर्व ईसी प्रदान नहीं किया गया हो। अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना या गतिविधि पर किसी भी निर्माण कार्य, या भूमि की तैयारी (भूमि को सुरक्षित करने के अलावा) शुरू करने से पहले ईसी की आवश्यकता होती है। [पारस 33,37 और 40] [951-सी-ई; 952-सी; 954 ए-बी]

3.पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया

नई परियोजनाओं के लिए अधिसूचना द्वारा निर्धारित एक शामिल है

अधिकतम चार चरण, जिनमें से सभी अधिसूचना के तहत निर्धारित विशिष्ट मामले के आधार पर लागू नहीं हो सकते हैंः जाँच; दायरा; सार्वजनिक परामर्श; और मूल्यांकन। [पैरा 43] [955-ई-जी]

4.2006 की अधिसूचना इस धारणा का प्रतीक है कि

राष्ट्र के विकास कार्यक्रम को पर्यावरण और इसकी जटिलताओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में पूरा किया जाना चाहिए। यह पर्यावरण के विकास और संरक्षण के बीच एक संतुलन के रूप में कार्य करता हैः कोई व्यापार नहीं है

दोनों के बीच। पर्यावरण की रक्षा एक

विकास का अनिवार्य पहलू। इसे किसी तकनीकी सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह अधिसूचना बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है

पर्यावरण की जटिलताओं और बढ़े हुए इसके निरंतर निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच, आज के लिए मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

और आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुदान के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, 2006 की अधिसूचना पर्यावरण और विकास के बीच कथित अंतर को पाटने का प्रयास करती है। [पैरा 54] [959-सी-ई]

5. परियोजना प्रस्तावक के रूप में गोवा राज्य विफल रहा

प्रपत्र 1 में प्रकटीकरण, संदर्भ की शर्तें (टी. ओ. आर.) तैयार की जाती हैं, और इससे पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई. आई. ए.) रिपोर्ट तैयार होती है। परियोजना पर एक कर्तव्य डाला जाता है अध्ययन के क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित सभी पहलुओं का पूर्ण, पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण करने के लिए प्रस्तावक। परियोजना प्रस्तावक के बारे में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता है

7. प्रपत्र 1 में उन क्षेत्रों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जो पारिस्थितिक कारणों से महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं, उनमें से "वन" हैं। "वन" अभिव्यक्ति का उपयोग किसी वैधानिक या कृत्रिम परिभाषा के संदर्भ के बिना किया जाता है और इसलिए इसमें एक अर्थ शामिल होना चाहिए जो यह शब्द के सामान्य विवरण पर निर्भर करता है। "वन" शब्द का अर्थ है भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचना के संदर्भ के बिना, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, एक वन या

कोई अन्य वैधानिक अधिनियम। इस तरह की व्याख्या [2019] 5 एस. सी. आर. के अधीन होगी।

पर्यावरण के पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, कि आधार रेखाओं को प्रलेखित किया जाता है, और पर्यावरण पर किसी परियोजना या गतिविधि के संभावित प्रभाव का आकलन किया जाता है। वन बिना वन हैं। एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किए गए वैधानिक रूप में मान्यता का संदर्भ। इसलिए, यह सही नहीं है कि आवश्यक प्रकटीकरण भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत एक अधिसूचना के भीतर समझे गए आरक्षित वनों का था। [पैरा 69] [967-एच; 968-ए-सी]

टी. एन. गोडावर्मन थिरुमलपद बनाम। भारत संघ (1997) 2 एस. सी. सी. 267 [1996] 9 पूरक। एससीआर 982;

नोएडा में ओखला बर्ड के पास पार्क का निर्माण

अभयारण्य आनंद आर्य बनाम। भारत संघ (2011) 1 एससीसी

744 [2010] 15 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

8. ई. आई. ए. रिपोर्ट पेश करने वाले कार्यकारी सारांश के पैरा 2 में स्वीकार किया गया है कि "हवाई अड्डे के आसपास की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से वन भूमि है"। भूमि के संदर्भ में पर्यावरण, ई. आई. ए. रिपोर्ट दर्ज करती है कि "अध्ययन क्षेत्र में वन प्रमुख भूमि उपयोग है"। ई. आई. ए. रिपोर्ट स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से एक किलोमीटर के भीतर आते हैं। गाँव गिर रहे हैं।

गोवा और महाराष्ट्र में 10 किलोमीटर के दायरे में मूल्यांकन के लिए विचार किया गया था। पैरा 2.3। 1 अध्याय 2 भूमि उपयोग से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य में मोपा हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर के दायरे के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणीबद्ध। [पैरा 73] [969-डी-ई]

9. एक विविध प्रणाली की उपस्थिति घने और के रूप में सेट

जैविक पर्यावरण से संबंधित पैरा 4.6 में खुले वन, कृषि भूमि, रेत के टीले की वनस्पति, आर्द्र भूमि और मानव निवास को देखा गया है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का अनुलग्नक IX अध्ययन क्षेत्र में गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण मानचित्र प्रदान करता है। अनुलग्नक IX के नक्शे परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर की हवाई सीमा के भीतर महाराष्ट्र और गोवा के वन क्षेत्रों को कवर करते हैं। अनुलग्नक XI में गोवा और महाराष्ट्र के लिए जल-भू-आकृति विज्ञान मानचित्र हैं। [पैरा 74] [970-ए-बी] हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत का संघ

10. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा टीओआर तैयार करने के लिए प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है। ई. ए. सी. में विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका गठन, अन्य कारणों के अलावा, सूचना का आकलन करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

फॉर्म 1 में प्रस्तुत किया गया और व्यापक टीओआर तैयार किया गया। प्रपत्र 1 में प्रकटीकरण के बीच एक आंतरिक संबंध है जो

टी. ओ. आर. तैयार करने और टी. ओ. आर. और अंतिम ई. आई. ए. द्वारा आवश्यक ई. आई. ए. रिपोर्ट के दायरे के बीच आधार का गठन करता है।

रिपोर्ट करें। टी. ओ. आर. ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। प्रपत्र 1 में जानकारी का खुलासा करने में विफलता कार्यप्रणाली को बाधित करती है।

ई. ए. सी. टी. ओ. आर. तैयार करने में और इसके परिणामस्वरूप, एक कम ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने की ओर ले जाता है। [पैरा 75] [970-डी-ई] 11. ई. ए. सी. और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एस. ई. ए. सी.) को टी. ओ. आर. की तैयारी से पहले, स्कोप के स्तर पर ही ई. सी. के अनुदान के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। प्रपत्र 1 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

ई. सी. पर अधिकार के रूप में दावा करना केवल इसलिए कि ई. आई. ए. रिपोर्ट में उन मापदंडों का आकलन किया गया है जिन्हें प्रपत्र 1 में छोड़ दिया गया था, प्रारंभिक चरण में एक आवेदन को अस्वीकार करने के लिए ई. ए. सी. और एस. ई. ए. सी. के अधिकार को दरकिनार करता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियामक प्राधिकरण को "सख्ती से टी. ओ. आर. के संदर्भ में" प्रस्तुत अंतिम दस्तावेजों का आकलन करने और ई. आई. ए. रिपोर्ट और टी. ओ. आर. के बीच किसी भी विसंगति के बारे में ई. ए. सी. और एस. ई. ए. सी. को सूचित करने की आवश्यकता होती है। प्रपत्र 1 में भौतिक जानकारी का खुलासा न करने के आधार पर टी. ओ. आर. की कमी इस प्रक्रिया को बाधित करती है।

[पैरा 76] [970-एफ-एच] 12. 2006 के तहत निर्धारित प्रपत्र 1 में सामग्री जानकारी का खुलासा करने में परियोजना प्रस्तावक की विफलता

आवेदक 2006 की अधिसूचना के तहत शर्तों के पर्याप्त या आनुपातिक अनुपालन के आधार पर ईसी का दावा नहीं कर सकता है। अधिसूचना में कहा गया है। अधिसूचना की शर्तें सख्त मानकों को निर्धारित करती हैं जिनका एक आवेदक [2019] 5 एस. सी. आर. द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

मौजूदा स्थिति में बदलाव लाने का इरादा रखता है पर्यावरण। जबकि, वर्तमान मामले में, इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक की ओर से एक पेटेंट विफलता हुई है

2006 के तहत प्रपत्र 1 में निर्धारित अनिवार्य प्रकटीकरण

अधिसूचना, जिसके कानून में परिणाम होने चाहिए। पर्यावरण के साथ कोई जुआ नहीं हो सकता हैः यदि पर्यावरण शासन को कानून के शासन के तहत संरक्षित किया जाना है तो 'सिर मैं जीतता हूं, पूंछ आप हारते हैं' दृष्टिकोण अस्वीकार्य है।

[पैरा 77] [971-ए-डी]

13. 15 अप्रैल 2013 की उच्च स्तरीय कार्य समूह (एच. एल. डब्ल्यू. जी.) की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि देश में खनन, उत्खनन और रेत खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)। इसी तरह, यह अनुशंसा करता है कि ई. एस. जेड. में किसी भी ताप विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी ' लाल श्रेणी के उद्योगों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 20, 000 वर्ग मीटर और उससे अधिक की भवन और निर्माण परियोजनाएं होनी चाहिए।

अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अन्य सभी बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं, जिनकी सिफारिश की गई है, 2006 की अधिसूचना की श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के तहत ईसी के अनुदान के अधीन होनी चाहिए। [पैरा 82] [974-बी-सी] 14. ई. आई. ए. रिपोर्ट से जो स्पष्ट कमी सामने आती है, वह परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर की बफर दूरी के भीतर ई. एस. जेड. के अस्तित्व पर ध्यान देने में विफलता है। एक ओर, ई. आई. ए. रिपोर्ट में 15 अप्रैल 2013 की एच. एल. डब्ल्यू. जी. रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया है। लेकिन, दूसरी ओर, ई. आई. ए. रिपोर्ट अध्ययन क्षेत्र के भीतर ई. एस. जेड. के अस्तित्व को इस आधार पर नजरअंदाज करती है कि परियोजना स्थल ई. एस. जेड. में स्थित नहीं है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का उद्देश्य और उद्देश्य क्षेत्रों का नक्शा बनाना, उनकी कमजोरियों को समझना और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाके पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करना है। ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रशासनिक कानून की एक शास्त्रीय आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती हैः एक प्रासंगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, कि अध्ययन क्षेत्र के भीतर, जिस पर विचार किया जाना है, ईएसजेड की उपस्थिति है। [पैरा 85] [974-जी-एच; 975-ए-बी]

15. ई. एस. जेड. पर प्रस्तावित गतिविधि के प्रभाव का अनुमान लगाने में, मानव लैक्समैन अरोस्कर बनाम के सामान्य मूल्यांकन का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रस्तावित गतिविधि। ई. आई. ए. रिपोर्ट में उन विशिष्ट विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए जो एक क्षेत्र बनाते हैं।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील। इनमें पर्यावरण संबंधी चिंता के सभी पहलू शामिल होंगे जो इस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से प्रभावित करते हैं।

संवेदनशील। इसमें आर्द्र भूमि, जल स्रोत, जल निकाय, तटीय क्षेत्र, जैव क्षेत्र, पहाड़ और वन शामिल होंगे। जैव-विविधता की श्रृंखला में उनके अस्तित्व के समग्र विश्लेषण के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक की कमजोरियों का विशिष्ट घटकों के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। जहाँ कोई क्षेत्र संरक्षण की आवश्यकता वाली वनस्पतियों या जीवों की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, उसे विशेष रूप से विज्ञापित और अध्ययन किया जाना चाहिए। ई. आई. ए. रिपोर्ट की कमी इस बात पर ध्यान देने में विफलता से उत्पन्न होती है कि

अध्ययन का उद्देश्य केवल यह निर्धारित करना नहीं था कि परियोजना स्थल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है या नहीं। स्वयं को इस पहलू तक सीमित रखते हुए, ई. आई. ए. रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विचार पर विचार करने में विफल रही। [पैरा 86] [975-सी-ई]

16. चूंकि वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर पूरे अध्ययन क्षेत्र पर विचार किया गया था, इसलिए न्यायालय इस दलील को स्वीकार करता है कि गोवा के भीतर नमूने लेने के स्थानों का स्थान अध्ययन क्षेत्र के भीतर वायु गुणवत्ता की निगरानी को बाधित नहीं करता है। जल निकायों को पानी देने वाले प्राकृतिक चैनलों के बंद होने पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रभाव का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण या अध्ययन नहीं किया गया है। शोर की गुणवत्ता की निगरानी करते हुए, ई. आई. ए. रिपोर्ट ने 10 किलोमीटर के दायरे को कवर किया। ध्वनि की गुणवत्ता का आधारभूत डेटा प्राप्त करने के लिए, अध्ययन क्षेत्र में नौ निगरानी स्टेशनों का चयन किया गया था। हालांकि यह सच है कि सभी नौ स्थान गोवा राज्य में स्थित थे, एक (पत्रादेवी) गोवा और महाराष्ट्र के बीच साझा सीमा पर स्थित था। ई. आई. ए. पुनः

बंदरगाह में एक प्रभाव अध्ययन शामिल है और अध्ययन क्षेत्र में दोनों राज्य शामिल हैं। ई. आई. ए. रिपोर्ट में जीवों के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आंकड़ों का संग्रह कार्यात्मक नहीं था। प्राथमिक अध्ययन

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जैसे मान्यता प्राप्त स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित नहीं है, जैसा कि मार्गदर्शन के तहत आवश्यक है।

मैनुअल। इसी तरह, पक्षी-जीव अध्ययनों के संबंध में, ई. आई. ए. रिपोर्ट में अध्याय IV की तालिका 4.15 में 385 पौधों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसका शीर्षक 'पर्यावरण पर विवरण' है। इसमें यह भी कहा गया है कि पक्षियों की 86 प्रजातियाँ [2019] 5 एस. सी. आर.

प्रस्तावित स्थल से 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान देखा गया। गाइडेंस मैनुअल के अनुसार, 2006 की अधिसूचना के फॉर्म 1 के कॉलम 9 (III) में विशेष रूप से निर्दिष्ट मापदंडों के लिए 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर सेकंड ऑन्डरी डेटा एकत्र किया जाना है। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया था। एक सावधानीपूर्वक पक्षी-जीवों का अध्ययन आवश्यक था, जिसका उचित अध्ययन किया जाना था। इस तथ्य पर ध्यान दें कि प्रस्तावित परियोजना एक हवाई अड्डा स्थल है। हवाई अड्डे के संचालन की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डे और उसके आसपास पक्षियों की प्रजातियों द्वारा चारा या घोंसला बनाने को त्याग नहीं दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक हवाई अड्डे की स्थापना से जुड़ी परियोजना में, ई. आई. ए. रिपोर्ट को पक्षियों पर हवाई बंदरगाह के प्रभाव और इसी तरह विमान संचालन पर पक्षियों के प्रभाव से निपटना चाहिए।

टियोन। [पारस 88,90 और 94] [976-सी-डी; जी-एच; 977-ए; 979-ए-ई]

17. ई. आई. ए. रिपोर्ट में संख्या की जांच होनी चाहिए थी।

पेड़ों, उनकी प्रकृति और दीर्घायु। मुद्दे जैसे कि पेड़ या उनमें से कुछ किस हद तक सक्षम थे प्रत्यारोपण पर ई. आई. ए. रिपोर्ट में विचार किया जाना था। पेड़ों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। किसी मामले में, यदि पेड़ समूह में या परियोजना के खंडों में घने रूप में दिखाई देते हैं

स्थल पर, यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि परियोजना को लागू करने के लिए उन सभी को काटना आवश्यक था या नहीं।

[पैरा 97] [981-जी-एच; 982-ए-बी]

18. ई. आई. ए. रिपोर्ट में 54,676 पेड़ों के तथ्यात्मक अस्तित्व को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। परियोजना के लिए

पर्यावरण के समर्थकों के पास मानव आवाज नहीं हो सकती है। लेकिन एक ई. आई. ए. रिपोर्ट निर्धारित करने का उद्देश्य सटीक रूप से है पर्यावरण के सभी पहलुओं पर एक आधारभूत अध्ययन करना और पर्यावरण पर एक अनुमानित गतिविधि के प्रभाव का अनुमान लगाना। पर्यावरण के किसी भी घटक को नजरअंदाज करना गंभीर है।

कर्तव्य की अवहेलना जो पर्यावरण शासन के मामलों में कानून के शासन से अलग करती है। [पैरा 98] [982-ई-एफ]

19. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का आदेश जहां संभव हो प्रत्यारोपण को अनिवार्य करता है, और प्रत्येक पेड़ के लिए दस पेड़ों का रोपण सुधार का एक उपाय प्रदान करता है। लेकिन एक कारण है कि ई. आई. ए. प्रक्रिया में वनस्पति आवरण से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। काटे गए प्रत्येक मौजूदा पेड़ के लिए एक निर्धारित संख्या में पेड़ लगाने का सूत्र मानव लक्ष्मण अरोस्कर v.

अनिश्चितता के साथ। प्रत्यारोपित पेड़ों का जीवित रहना भी उतनी ही अनिश्चितता का विषय है। हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता हो सकती है, 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया पारदर्शी, स्पष्ट और मजबूत होनी चाहिए। पर्यावरण शासन के लिए एक नियामक व्यवस्था इस परिकल्पना पर आधारित है कि सभी हितधारक ईमानदारी से काम करेंगे। पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों को जांच से छिपाना नहीं है परियोजना अनुमोदनों को सुरक्षित करने के लिए एक स्वीकार्य तरीका। विवाद के इस पहलू पर खुलासे और मूल्यांकन के संबंध में एक गंभीर कमी थी। [पैरा 99] [982-एफ-एच; 983-ए-बी]

20. सार्वजनिक परामर्श में उन लोगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका देकर विश्वास निर्माण की प्रक्रिया शामिल है जिनके पास एक प्रशंसनीय हिस्सेदारी है। यह इस बात को भी मान्यता देता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान के अलावा, स्थानीय समुदायों को पर्यावरण का जन्मजात ज्ञान है। स्थानीय समुदायों का ज्ञान श्रव्य और दृश्य परंपराओं द्वारा पीढ़ियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यह पहचान कर कि वे महत्वपूर्ण हैं हितधारकों, परामर्श प्रक्रिया को संरक्षित करना चाहते हैं

उनकी चिंताओं में कारक जो एक परियोजना और उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद व्यक्त की गई हैं। सार्वजनिक परामर्श के आंतरिक मूल्य के अलावा, यह एक सहायक कार्य भी करता है। निर्धारित करने का उद्देश्य हितधारकों के विचार, प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि के डिजाइन में सभी भौतिक चिंताओं के लिए जिम्मेदार हैं। इस कारण से, सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण शामिल हैं।

चरण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियामक प्राधिकरण को कार्यवाही भेजने के लिए एक अधिदेश के तहत है। परियोजना प्रस्तावक को सभी भौतिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करना चाहिए और [2019] 5 एस. सी. आर. बनाना चाहिए।

ई. आई. ए. और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई. एम. पी.) के मसौदे में उचित परिवर्तन। परियोजना प्रस्तावक ई. आई. ए. के मसौदे के लिए एक पूरक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। इनमें से प्रत्येक तत्व 2006 की अधिसूचना की डिजाइन विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक उल्लंघन प्रक्रिया को चुनौती के लिए असुरक्षित बना देगा इसका आधार हैः (i) महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है; (ii) जब ई. आई. ए. रिपोर्ट को परामर्श के लिए रखा गया था तो पूर्ण प्रकटीकरण का अभाव था; और (iii) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं।

पर्याप्त रूप से निपटा या विश्लेषण नहीं किया गया है। [पारस 102 और 103] [984-डी-एच]

उत्कर्ष मंडल बनाम। भारतीय संघ (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन

डेल 3836-पर भरोसा किया।

22. परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाई गई महत्वपूर्ण आपत्तियों और पर्यावरणीय चिंताओं को कम कर दिया गया था

ई. ए. सी. के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकल मुद्दाः रोजगार के अवसरों की आवश्यकता। परियोजना प्रस्तावक विफल रहा ई. ए. सी. को सूचित करना उसका कर्तव्य है। अभिलेख ई. ए. सी. द्वारा एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन या विश्लेषण का संकेत नहीं देता है। ई. ए. सी. का कर्तव्य था कि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करे।

हितधारक। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई सभी पर्यावरणीय चिंताओं को निष्पक्ष रूप से रखने का परियोजना प्रस्तावक का कर्तव्य ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कड़ी है। मिनट्स ऑफ बैठक से संकेत मिलता है कि ई. ए. सी. के समक्ष सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों का कोई निष्पक्ष और पूर्ण खुलासा नहीं किया गया था। 2006 में निर्धारित मानदंडों को लागू करने और लागू करने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से विफलता है।

इस संबंध में अधिसूचना। [पैरा 107] [986-एफ-एच; 987-ए-बी]

23. ईएसी द्वारा मूल्यांकन 2006 की अधिसूचना द्वारा संरचित और परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को आवेदन और अन्य के ई. ए. सी. द्वारा "66 एक विस्तृत जांच" के रूप में परिभाषित किया गया है।

ई. आई. ए. रिपोर्ट और जनता के परिणाम जैसे दस्तावेज

निर्वाचन आयोग के अनुदान के लिए आवेदक द्वारा नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही सहित परामर्श। ई. ए. सी. को "पारदर्शी तरीके" से मूल्यांकन की प्रक्रिया का संचालन करने का आदेश दिया गया है। इन निष्कर्षों पर

कार्यवाही में, ई. ए. सी. को "मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

विनियामक प्राधिकरण को या तो निम्नलिखित के लिए अनुशंसाएँः (i) निर्धारित नियमों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का अनुदान; या (ii) आवेदन की अस्वीकृति। द. ई. ए. सी. द्वारा नियामक प्राधिकरण को की गई सिफारिशें "कारणों" पर आधारित होनी चाहिए। [पैरा 108] [987-बी-डी]

24. ई. आई. ए. रिपोर्ट का विश्लेषण अस्पष्ट है और

अनुशंसा करें और अपने निर्णय से परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराएं। नियामक प्राधिकरण, जैसा कि पैरा 8 (ii) प्रदान करता है, आम तौर पर ई. ए. सी. की सिफारिशों को स्वीकार करेगा। जहाँ यह असहमत है, वह इसके कारणों को बताते हुए पुनर्विचार का अनुरोध करेगा।

असहमति। बदले में, ई. ए. सी. टिप्पणियों पर विचार करेगा

विनियामक प्राधिकरण की ओर से और निर्धारित अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करना; और (ii) निर्वाचन आयोग का अनुदान एन. जी. टी. अधिनियम 2010 की धारा 16 के तहत एन. जी. टी. के समक्ष अपील के अधीन है। वजहें।

ई. ए. सी. द्वारा अपनी सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया गया नियामक प्राधिकरण के अंतिम निर्णय में एक बुनियादी कड़ी है। वे मूल सामग्री का गठन करते हैं जिन पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा जब वह ईसी के अनुदान को चुनौती देने पर विचार करेगा।

[पैरा 111] [989-एच; 990-ए-डी]

25. ई. ए. सी. अधिग्रहण कार्यवाही में देरी को संदर्भित करता है,

2006 की अधिसूचना के तहत इसके कार्य की वास्तविक प्रकृति की समझ। ई. ए. सी. प्रासंगिक विचार करने में विफल रहा है परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ और इसके बजाय परिस्थितियों को इसके कार्य के लिए बाहरी माना गया है। ई. ए. सी. के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक ने तथ्यों और परिस्थितियों को नहीं छिपाया है, यह पर्याप्त कारण नहीं है

ई. सी. के अनुदान का आश्वासन देता है। इसके अलावा, यह परिकल्पना भी गलत है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का कोई विश्लेषण नहीं है। ई. ए. सी. अपनी विशेषज्ञता के आह्वान का जवाब देने में विफल रहा है। [पैरा 112] [927-ई-जी] [2019] 5 एस. सी. आर.

26. आवेदन पर जांच, दायरा, मूल्यांकन या निर्णय के लिए जानबूझकर छिपाना या गलत या भ्रामक जानकारी या डेटा सामग्री जमा करना इसे उत्तरदायी बनाता है

अस्वीकृति। यह 2006 की अधिसूचना की एक बुनियादी परिकल्पना और अपेक्षा है कि परियोजना प्रस्तावक को प्रासंगिक विशेषताओं को छिपाए बिना सभी जानकारी और डेटा जमा करना चाहिए। ई. ए. सी. ने परियोजना के संबंध में उठाई गई पर्यावरणीय चिंताओं पर अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया है और न ही इसके कारण परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करके उन चिंताओं का मूल्यांकन करने का संकेत देते हैं। [पैरा 113] [991-बी-डी]

27. ई. ए. सी. एक विशेषज्ञ निकाय है। इसे एक विशेषज्ञ के तरीके से बोलना चाहिए। इसका उद्देश्य हर प्रासंगिक पहलू पर खुद को लागू करना है।

पर्यावरण से संबंधित परियोजना। ई. आई. ए. रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण से यह बाध्य नहीं है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का विश्लेषण करना कर्तव्य है। जहाँ उसे इसकी कमी महसूस होती है, वह ऐसे तौर-तरीकों को अपना सकता है जो उसकी विशेषज्ञ निर्णय लेने की क्षमता में आवश्यक हैं। ई. ए. सी. द्वारा दिए गए कारण इसकी प्रक्रियाओं और इसके निर्णयात्मक कार्य के बीच एक जीवंत कड़ी का गठन करता है। ठोस कारणों के अभाव में, प्रक्रिया अपनी प्रकृति से, परिणाम के साथ दूषित हो जाती है। [पैरा 114] [991-डी-एफ]

28. ई. ए. सी. को एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में परियोजना या प्रस्तावित गतिविधि के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करनी होती है, जिसमें इसका प्रभाव भी शामिल है। पर्यावरण पर। उस निर्णय को लेने में, ई. आई. ए. रिपोर्ट इसके विश्लेषण के लिए एक इनपुट है। जाँच और मूल्यांकन होना चाहिए

ई. ए. सी. द्वारा एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में शुरू किया गया और इसके कारणों से यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि ऐसा किया गया है। जैसा कि कार्यवृत्त से पता चलता है, अध्ययन क्षेत्र में 15 ई. एस. जेड. की उपस्थिति के संदर्भ में ई. ए. सी. द्वारा दिमाग का उपयोग न करना स्पष्ट है। ई. ए. सी. ने नोट किया कि यह परियोजना कस्तूरिरंगन द्वारा चित्रित ई. एस. जेड. के बाहर है। समिति। एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के अभाव में, ईएसी 2006 की अधिसूचना के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा। द.

ई. ए. सी. की सिफारिशें एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. के लिए एक मार्गदर्शक प्रस्तुत करती हैं। वास्तव में, 2006 की अधिसूचना में कहा गया है कि ई. ए. सी. की सिफारिशों को आम तौर पर स्वीकार किया जाएगा। नतीजतन, वर्तमान मामले की तरह ई. ए. सी. के समक्ष उचित प्रक्रिया की विफलता से ई. सी. को अमान्य कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 116] [992-बी-ई] हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत का संघ

29. वर्तमान मामले में, 2006 की अधिसूचना के तहत बाध्यकारी मानदंडों का पालन करने में विफलता थी। इसमें गंभीर खामियां थीं

निर्णय लेने की प्रक्रिया। प्रासंगिक सामग्री को विचार से बाहर रखा गया और बाहरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में ई. ए. सी. ने कारणों के आधार पर विशेषज्ञ निर्धारण करने के अपने दायित्वों को त्याग दिया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन. जी. टी.) एक न्यायिक निकाय के रूप में एन. जी. टी. अधिनियम 2010 की धारा 20 के साथ पठित धारा 16 (एच) के तहत उसे सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा।

एक ई. सी. की सिफारिश और अनुदान देने का निर्णय। संबंधित मापदंड

इसलिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अस्तित्व को शास्त्रीय या पारंपरिक अर्थों में स्थापित किया गया है।

अभिव्यक्ति। [पैरा 125] [998-डी-एफ]

वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम। भारत संघ (1996) 5 एससीसी 647: [1996] 5 पूरक। एससीआर 241; एमसी मेहता बनाम कमल नाथ (1997) 1 एससीसी 388: [1996] 10 पूरक। एससीआर 12; एमसी मेहता बनाम। भारत संघ (1997) 2 एससीसी 353: [1996] 10 पूरक। एससीआर 973; एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम। प्रो. एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त) (1999) 2 एस. सी. सी. 718: [1999]

1 एससीआर 235; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम। संघ का

भारत (2000) 10 एससीसी 664: [2000] 4 पूरक। एससीआर 94;

इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ

भारत (2011) 8 एससीसी 161: [2011] 9 एस. सी. आर. 146; सेव मोन रीजन फेडरेशन बनाम। भारत संघ 2013 (1) अखिल भारतीय एनजीटी रिपोर्टर 1; श्रीरंगनाथन केपी बनाम। भारत संघ 2014 ऑल (आई) एनजीटी रिपोर्टर (1) (एसजेड) 1;

लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। संघ का भारत (2011) 7 एससीसी 338: [2011] 7 एस. सी. आर. 954; मंत्री टेकज़ोन प्रा. लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन (2019) 4 स्केल 218; सर चुनीलाल बनाम। मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग [1962] 3 सप्लीमेंट।

एस. सी. आर. 549 संदर्भित है।

30. कानून का पर्यावरणीय शासन सतत विकास के चार स्तंभों को रेखांकित करने के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान करता है। विकास-आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और शांति। यह पर्यावरण के उद्देश्यों को कानून के शासन की अनिवार्यताओं के साथ समाहित करता है और पर्यावरण कानून और [2019] 5 एस. सी. आर. के सुधार को रेखांकित करता है।

कानून का पर्यावरणीय नियम पर्यावरण क्षेत्र से बहुत आगे तक फैला हुआ है। जबकि सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण की सुरक्षा पर होते हैं, यह कानून के शासन को अधिक व्यापक रूप से मजबूत करता है, स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, संघर्ष से बचकर और शांत करके शांति और सुरक्षा में योगदान देता है, और मानव और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी तरह, पर्यावरणीय मामलों में कानून का शासन सतत विकास की प्रगति के संदर्भ में समानता के लिए अपरिहार्य है। विकास लक्ष्य, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का आश्वासन देकर उचित पहुंच का प्रावधान, और पर्यावरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण।

[पैरा 128] [999-ए-डी] 31. कानून के शासन के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों। उत्तरदायी, समावेशी,

कानून के शासन के लिए सामग्री। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच, समान रूप से, कानून के शासन के संरक्षण के लिए मौलिक है। घरेलू संदर्भ में, पर्यावरण शासन जो कानून के शासन पर आधारित है, संविधान के मूल्यों से उभरता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। संविधान। पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिए उचित संरचनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी कार्रवाई और निष्पक्ष व्यवहार के सकारात्मक कर्तव्य के खिलाफ गारंटी में अभिव्यक्ति पाती हैं। [पैरा 140] [1004-सी-ई]

32. इसलिए 2006 की अधिसूचना को सतत विकास को आगे बढ़ाने की भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाना चाहिए।

2006 अधिसूचना यह है कि पर्यावरण शासन के क्षेत्र में, साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अंत। निर्णय की प्रक्रियाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि अंतिम निर्णय। 2006 की अधिसूचना का मूल अभिधारणा यह है कि वह मार्ग जो हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम के लिए निर्धारित किया गया है।

पारदर्शी, उत्तरदायी और समावेशी है। [पैरा 141] [1004-एफ-जी; 1005-ए-बी] 33. एक नया हवाई अड्डा स्थापित करने की आवश्यकता नीतिगत है। निर्णय निर्माताओं की भूमिका जिन्हें अधिकार सौंपा गया है

ई. आई. ए. प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू का पर्याप्त अध्ययन किया जाए और प्रस्तावित गतिविधि के प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाए। यह मूल्यांकन है

परियोजना डिजाइन का अभिन्न अंग है क्योंकि इस आधार पर एक सुविचारित निर्णय लिया जा सकता है कि क्या आवश्यक है। पर्यावरण के प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को मजबूत किया जा सकता है। [पैरा 142] [1005-सी-ई]

34. वर्तमान मामले में, प्रपत्र 1 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने से शुरू होने वाली उचित प्रक्रिया में विफलता हुई है। प्रपत्र 1 में प्रकटीकरण हैं -

टी. ओ. आर. की तैयारी के लिए आधार। अपूर्ण जानकारी पर आधारित ई. आई. ए. रिपोर्ट में कमियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें यह स्वीकार करने में विफलता भी शामिल है कि मार्गदर्शन नियमावली द्वारा विचार किए गए अध्ययन क्षेत्र के भीतर ई. एस. जेड. की उपस्थिति है। [पैरा 143] [1005-डी-ई] 35. ई. ए. सी. ने एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका और कार्य का त्याग कर दिया जो

अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए बाहरी और पर्यावरण के उन पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा जो इसके निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थे। 2006 की अधिसूचना में कहा गया है कि आम तौर पर, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ई. ए. सी. की सिफारिश को स्वीकार करेगा। इससे ई. ए. सी. की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय है जो निर्वाचन आयोग के अनुदान पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र में निहित है। एन. जी. टी. ने उन प्रस्तुतियों पर विचार किया जिनका अनिवार्य रूप से एक पैराग्राफ में आग्रह किया गया था। यह एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 16 (एच) और धारा 20 के तहत अपनी भूमिका और शक्ति की वास्तविक प्रकृति को समझने में विफल रहा। योग्यता की समीक्षा करने में विफल रहने पर, एनजीटी ने एक न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं किया है जो उचित रूप से उससे संबंधित है। [पैरा 144] [1005-एफ-एच]

36. इस प्रकार, न तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और न ही निर्णय स्वयं कानूनी रूप से पारित हो सकता है। समान रूप से, एक क्षेत्र के रूप में [2019] 5 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के विकास के बीच संतुलन, इस न्यायालय द्वारा उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना की आवश्यकता को निर्णय लेने की गणना में विधिवत रूप से शामिल किया गया है, इस तरह का विकास एक पर आगे बढ़ता है

पर्यावरण की प्रचलित स्थिति के महत्व पर विचार किया गया। एक लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संपूर्ण संतुलन हवाई अड्डे और पर्यावरण के संरक्षण के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए जाने चाहिए। [पैरा 145] [1006-ए-सी]

37. ई. ए. सी. को फिर से देखने का निर्देश दिया जाए तो यह उचित होगा।

जिन शर्तों के अधीन उसने विशिष्ट चिंताओं के आधार पर अपना निर्वाचन आयोग प्रदान किया है, जिन पर इसमें प्रकाश डाला गया है।

निर्णय। इस तरह का अभ्यास मुख्य रूप से ई. ए. सी. के लिए अपनी विशेषज्ञ निर्णय लेने की क्षमता में करना है। ई. ए. सी. को सौंपा गया है

एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में उस कार्य के साथ। न्यायिक समीक्षा की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून के शासन का पालन किया जाए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, ईएसी को ईसी के अनुदान के लिए शर्तों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा करते समय, ई. ए. सी. के लिए यह खुला रहेगा कि वह एन. जी. टी. के आदेश में शामिल शर्तों का उचित सम्मान करे और उस स्वतंत्रता के अनुसरण में उन शर्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे जिसे न्यायालय ने उसके लिए संरक्षित किया है। एक त्वरित निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए, ई. ए. सी. को एक निर्धारित समय अनुसूची में इस अभ्यास को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके दौरान ई. सी. निलंबित रहेगा। ई. ए. सी. द्वारा अपने विचार तैयार करने के बाद, उन्हें वर्तमान कार्यवाही में एक विविध आवेदन में इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, ताकि न्यायालय अंतिम आदेश पारित कर सके। विविध आवेदन या तो गोवा राज्य द्वारा परियोजना प्रस्तावक के रूप में या एमओईएफसीसी द्वारा दायर किया जा सकता है। कोई अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी भी चुनौती पर विचार नहीं करेगा

ई. ए. सी. का अंतिम निर्णय और उस पर अंतिम आदेश इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में पारित किया जाएगा। [पैरा 146] [1006-सी-जी]

मामला कानून संदर्भ

[1996] 9 पूरक। एससीआर 982

पैरा 15 (1)

संदर्भित किया गया है

पैरा 20 (iv)

[2010] 15 एससीआर 783

हनुमन लैक्समैन अरोस्कर बनाम। भारत का संघ

[1996] 5 पूरक। एससीआर 241

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

[1996] 10 पूरक। एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

[1996] 10 पूरक। एससीआर 973

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

[1999] 1 एससीआर 235

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

[2000] 4 पूरक। एससीआर 94

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

[2011] 9 एससीआर 146

संदर्भित किया गया है

पैरा 117

2013 (1) अखिल भारतीय एनजीटी रिपोर्टर 1

पैरा 120

संदर्भित किया गया है

2014 सभी (आई) एनजीटी रिपोर्टर (1) (एसजेड) 1 को संदर्भित किया गया है

पैरा 120

[2011] 7 एससीआर 954

पैरा 122

संदर्भित किया गया है

(2019) 4 स्केल 218

संदर्भित किया गया है

पैरा 125

[1962] 3 पूरक। एससीआर 549

संदर्भित किया गया है

पैरा 125

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 12251

2018 से।

राष्ट्रीय संविधान के 21.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 2018 की अपील संख्या 6 में (पहले की अपील संख्या 1/16/डब्ल्यूजेड)

के साथ

2019 की सिविल अपील No.1053।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., दत्ता

प्रसाद लवांडे, अधिवक्ता। जनरल (गोवा), पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनीता शेनॉय, सुश्री रश्मि नंदकुमार, ऋत्विक दत्ता,

सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, सुश्री कनिका सूद, सनी एंटनी, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, एन. प्रशांत कुमार, अखिल अब्राहम रॉय, साहिल सिंह, आशीष कृष्णनाथ कुंकोलिएंसर,

चिनमयी चंद्र, राजेश शिवोलकर, एस. साल्वाडोर रेबेलो, एन. प्रशांत नायर (मेसर्स के लिए)।), दिव्या प्रकाश पांडे, जी. एस. मक्कर, नीरज कुमार, एस. एस. रेबेलो, सुश्री सुहासिनी सेन, सुचिंद्रन बी. एन., एस. बी. नारायण, श्रीराम श्रीनिवासन, जय ए. देहादराई, प्रशांत वक्सीश, सुश्री मनीषा अंबवानी (मेसर्स के लिए)। के. जे. जॉन एंड कंपनी), सुश्री आस्था मेहता, महेश अग्रवाल, एम. एस. अनंत, वान्शी राव, ई. सी. अग्रवाल, अन्नम डी. एन. राव, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक एक परिचय

बी प्रस्तुतियाँ सी 2006 की अधिसूचना की योजना और इसके लिए मार्गदर्शन नियमावली

हवाई अड्डे

ई. आई. ए प्रक्रिया

सी. 1

हवाई अड्डों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका

सी. 2

डी.

जंगल।

ई.

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)

नमूना बिंदु

एफ.

हवा की गुणवत्ता

एफ. 1

पानी की गुणवत्ता

एफ. 2

शोर की गुणवत्ता

एफ. 3 एफ. 4

वनस्पति और जीव-जन्तु

पेड़ों की कटाई

एफ. 5 जी.

सार्वजनिक परामर्श

ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन

एच. आई.

एन. जी. टी. का अपीलीय अधिकार क्षेत्रः योग्यता समीक्षा की आवश्यकता

जे.

कानून का पर्यावरणीय नियम

दिशा-निर्देश

के.

ए.

परिचय

1. गोवा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण 2 के अनुदान को चुनौती देते हुए नई दिल्ली में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण 1 की प्रधान पीठ के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। एन. जी. टी. ने 21 अगस्त 2018 को अपने फैसले में हनुमन लक्ष्मण अरोस्कर बनाम.

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

यह निष्कर्ष कि वर्तमान मामला "ऐसा मामला नहीं है जहां परियोजना पर्यावरण के साथ समझौता करती है"। ई. सी. की पुष्टि करते हुए, एन. जी. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि "पर्यावरण के लिए आगे सुरक्षा उपाय"

संरक्षण को शामिल करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एन. जी. टी. ने ई. सी. के अनुदान की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त शर्तें तैयार करने के लिए आगे बढ़े।

2. गाँव मोपा उत्तरी गोवा में अंतर-राज्य सीमा के करीब स्थित है जो राज्य महाराष्ट्र के साथ साझा करता है। साइट

प्रस्तावित हवाई अड्डा गोवा की राजधानी पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोपा गाँव पेरनेम तालुका में स्थित है। हवाई अड्डे के विकास के लिए स्थल एक टेबलटॉप पठार पर स्थित है जो औसत समुद्र तल से 150 से 180 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और खड़ी ढलानों से घिरा हुआ है। मिट्टी मुख्य रूप से लेटराइट प्रकृति की है। वर्तमान में इस क्षेत्र की सेवा करने वाला हवाई अड्डा गोवा के दाबोलिम में स्थित है।

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आयोग अध्ययन और परियोजना रिपोर्ट, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (1) इंजीनियरों और प्रबंधन सहयोगियों द्वारा तैयार एक परियोजना रिपोर्ट,

1997 में स्पेन;

((ii) हवाई अड्डों द्वारा तैयार प्रारंभिक तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन।

मई 1998 में भारतीय प्राधिकरण;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मॉन्ट्रियल, कनाडा द्वारा तैयार गोवा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए एक अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट।

अगस्त 2005 में;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया गोवा का दोहरा हवाई अड्डा अध्ययन।

अगस्त 2007 में संगठन;

(v) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट

2008 में गोवा के निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए

मोपा, गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा; और

(vi) 10 फरवरी 2012 को "एयरपोर्ट मास्टर प्लान" के रूप में एक दस्तावेज़, जिसे अम्मान एंड व्हिटनी, यू. एस. ए. द्वारा गोवा सरकार के सार्वजनिक निजी भागीदारी 3 प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें परिकल्पना की गई थी:

" मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं, प्रारंभिक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और वाणिज्यिक/औद्योगिक के लिए परियोजना रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज और परियोजना प्रबंधन सेवाएं और

गोवा राज्य में मोपा के पास संबद्ध विकास "।

4. 1 मई 2000 को, भारत सरकार ने मोपा में एक हवाई अड्डे की स्थापना और नए हवाई अड्डे के चालू होने पर नागरिक संचालन के लिए मौजूदा हवाई अड्डे को बंद करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इसके बाद, 1 जुलाई 2010 को, नए हवाई अड्डे के चालू होने के बाद भी डाबोलिम में नागरिक विमान संचालन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए पहले के निर्णय को संशोधित किया गया था। प्रक्रिया.

केंद्र सरकार द्वारा श्रेणी 'ए' परियोजनाओं (अनुसूची में निर्दिष्ट) के लिए और राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा श्रेणी 'बी' परियोजनाओं के लिए। 2006 के बाद अधिसूचना के अनुसार, एम. ओ. ई. एफ. ने फरवरी 2010 में हवाई अड्डों के लिए एक ई. आई. ए. मार्गदर्शन नियमावली सार्वजनिक की। प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदान तक के दायरे, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन के चरण 2006 की अधिसूचना की स्पष्ट शर्तों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

6. मार्च 2011 में, गोवा राज्य, परियोजना प्रस्तावक के रूप में

एम. ओ. ई. एफ. को 2006 की अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र 1 प्रस्तुत किया। 8 मार्च 2011 को गोवा राज्य ने एम. ओ. ई. एफ. को संदर्भ की शर्तों के लिए आवेदन किया। 2006 की अधिसूचना के तहत गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा 11 और 12 मई 2011 को टीओआर को अंतिम रूप दिया गया था। 1 जून 2011 को पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन 0 रिपोर्ट तैयार करने के लिए टीओआर जारी किया। टीओआर एक के लिए मान्य था 4 एमओईएफ, जिसे बाद में 2014 में एमओईएफसीसी नाम दिया गया 5 एस. ओ. 1533 ('2006 अधिसूचना')

8 टीओआर 9 ईएसी

10 ई. आई. ए. हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत का संघ

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

31 मई 2013 तक दो साल की अवधि। 22 नवंबर 2012 को गोवा सरकार ने परियोजना की सीमा को संशोधित किया।

परियोजना क्षेत्र 4,500 एकड़ से 2,271 एकड़ तक। 28 और 29 जनवरी 2013 को अपनी बैठकों में, ई. ए. सी. ने राज्य सरकार के अनुरोध पर टी. ओ. आर. में संशोधन की सिफारिश की और टी. ओ. आर. की वैधता को 31 मई 2014 तक बढ़ा दिया। 19 जून 2013 को, एमओईएफ ने टीओआर के संशोधन और इसकी वैधता के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी के बारे में सूचित किया।

7. 3 अक्टूबर 2014 को, राज्य सरकार ने पीपीपी पर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विकास के लिए एक निविदा जारी की।

आधार। 20 अक्टूबर 2014 को गोवा सरकार के नागरिक उड्डयन निदेशालय ने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण को ई. आई. ए. रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया।

बोर्ड, उससे सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता है। 1 फरवरी 2015 को परियोजना स्थल पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी। द. ई. ए. सी. ने 1 मार्च 2015 को आयोजित अपनी बैठकों में 31 मई को समाप्त होने वाले एक और वर्ष के लिए टी. ओ. आर. की वैधता बढ़ाने की सिफारिश की।

2015 .

8. 20 मई 2015 को गोवा राज्य ने एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. को एक अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें परियोजना के लिए एक ई. सी. के अनुदान की मांग की गई। 29 मई को

2015 , एमओईएफसीसी ने वैधता बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है

31 मई 2015 तक टी. ओ. आर. 24 और 26 जून 2015 के बीच, ई. ए. सी. ने अपनी 149 वीं बैठक में ई. आई. ए. रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावक से अतिरिक्त जानकारी मांगीः

- " 10 क्षेत्र में वर्षा के संबंध में वर्षों का डेटा;
- सुचारू संचालन के लिए यातायात परिसंचरण योजना तैयार करना

  क्षेत्र में यातायात;

- एलईडी, स्टार रेटेड एसी के उपयोग के प्रावधानों को शामिल करने में न्यूनतम 20 प्रतिशत ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाया जाना चाहिए और एक संशोधित ऊर्जा संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

● हवाई अड्डा क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार किए गए सी. पी. सी. बी. दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए किए गए उपाय प्रस्तुत किए जाने हैं। ”

इस बीच, फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं में से एक था

ईएसी। ई. ए. सी. ने 7-9 सितंबर 2015 को आयोजित अपनी 151 वीं बैठक में 5 एस. सी. आर.

प्रतिनिधित्व पर विचार-विमर्श किया और उठाए गए मुद्दों पर परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मांगा। 28 सितंबर 2015 को, परियोजना प्रस्तावक ने प्रतिनिधित्व के लिए अपना जवाब प्रस्तुत किया। ई. ए. सी. ने 20 अक्टूबर 2015 को अपनी 152 वीं बैठक में फेडरेशन ऑफ रेनबो द्वारा प्रस्तुत जवाब पर परियोजना प्रस्तावक से और स्पष्टीकरण मांगा।

योद्धा। उस बैठक में, ई. ए. सी. ने परियोजना के लिए एक ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की।

9. 28 अक्टूबर 2015 को, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी., नियामक प्राधिकरण के रूप में

श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के लिए 2006 की अधिसूचना के तहत, ईसी के अनुदान के लिए अपनी मंजूरी के बारे में सूचित किया। निर्वाचन आयोग के अनुदान के बाद, निविदा प्रक्रिया जो 3 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, 26 अगस्त 2016 को समाप्त हो गई थी। अंतिम बोलियों के उद्घाटन के परिणामस्वरूप, एक तकनीकी जांच, मूल्यांकन के साथ-साथ बोली-पूर्व बैठकें, मसौदा रियायत समझौते पर विचार-विमर्श और अन्य आवश्यक कदम,

जी. एम. आर. गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड 1 1 को अनुबंध दिया गया था

गोवा राज्य को 36.99 प्रतिशत की राजस्व हिस्सेदारी। 8 नवंबर 2016 को गोवा सरकार और जी. जी. आई. ए. एल. के बीच हवाई अड्डे के विकास और संचालन के लिए रियायत समझौते को लागू किया गया था।

40 साल की रियायत अवधि के साथ। वित्तीय रूप से बंद होने के बाद, हवाई अड्डे के निर्माण के लिए तीन साल की अवधि 4 सितंबर 2017 को शुरू हुई। परियोजना के पहले चरण को शुरू करने का लक्ष्य 3 सितंबर 2020 है।

10. निर्वाचन आयोग के अनुदान को फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा एनजीटी 1 2 की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। हनुमान जी लक्ष्मण अरोस्कर ने एनजीटी की पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष अपील भी दायर की। इन अपीलों को बाद में नई दिल्ली में एन. जी. टी. की प्रधान पीठ के समक्ष पुनर्नामित किया गया। 7 नवंबर 2017 को, एनजीटी ने एक विज्ञापन जारी किया-पेड़ों को काटने या काटने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश।

प्रस्तावित हवाई अड्डे के स्थल के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में। 22 नवंबर 2017 को, गोवा के महाधिवक्ता के बयान पर प्रतिबंध के आदेश को संशोधित किया गया था कि राज्य किसी भी पेड़ को नहीं काटेगा या नहीं गिरेगा।

और न ही इसके बाद एक पखवाड़े के लिए वैध प्राधिकारी से वैध अनुमति के बिना ऐसा होने की अनुमति दी जाए ताकि अपीलार्थी अपना पक्ष आगे बढ़ा सकें। 11 जी. जी. आई. ए. एल. 12 2015 की अपील सं. 61 2016 की 13 अपील सं. 1 14 अपील सं.

5 और 2018 के 6 मनुमन लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उपचार। 6 फरवरी 2018 को, उप वन संरक्षक हवाई अड्डा स्थल पर 21,703 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। गोवा, दमन और दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण

19841 5 ने 7 मार्च 2018 को अपील खारिज कर दी।

ब्याज याचिका, उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2018 के अपने आदेश द्वारा गणना का अभ्यास करने की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप, 54,676 पेड़ों की गणना की गई, जिनमें से 1,548 पेड़ों को काट दिया गया था।

पेड़। 21 अगस्त 2018 के अपने निर्णय द्वारा, एनजीटी ने राज्य द्वारा दायर अपीलों और विविध आवेदन दोनों का निपटारा किया। गोवा, निर्वाचन आयोग को बरकरार रखते हुए और पर्यावरण की रक्षा के लिए अतिरिक्त शर्तें लागू करता है। इस अदालत को सूचित किया गया है कि पेड़ों की कटाई 3 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी और 14 जनवरी 2019 को पूरी हुई थी। एन. जी. टी. के फैसले के खिलाफ पहले भी दो अपील दायर की जा चुकी हैं।

यह न्यायालयः एक हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर द्वारा और दूसरा फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा।

13. 18 जनवरी 2019 को अपीलों में नोटिस जारी किया गया था और इस अदालत द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था। याचिकाएं स्वीकार की गईं

सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए।

16 पीआईएल 17 2018 का एम. ए. संख्या 975

18 2018 की सिविल अपील संख्या 12251 1 9 2019 की सिविल अपील संख्या 1053 [2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी प्रस्तुतियाँ

14. हमने विद्वान वकील सुश्री अनीता शेनॉय को पेश होते सुना है।

अपीलार्थियों की ओर से। भारत की ओर से अटॉर्नी जनरल श्री के. के. वेणुगोपाल गोवा राज्य की ओर से पेश हुए। एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आत्माराम एस. नाडकर्णी उपस्थित हुए। श्री पराग पी त्रिपाठी, विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री आस्था मेहता, विद्वान वकील रियायतकर्ता की ओर से पेश हुए। 15. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री अनीता शेनॉय ने आग्रह किया कि ई. आई. ए. रिपोर्ट जो शर्तों के तहत की जाती है

2006 की अधिसूचना के तहत क्रमशः कार्यक्षेत्र, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन के चरणों की परिकल्पना की गई है। 2006 की अधिसूचना के अलावा, गाइडेंस मैनुअल प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साइन पोस्ट प्रस्तुत करता है। ई. सी. के अनुदान से पहले परिकल्पित। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण की स्थिति के प्रासंगिक विवरण के साथ फॉर्म 1 जमा करना आवश्यक है। टी. ओ. आर. जिसे ई. ए. सी. द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए खुलासों पर आधारित होता है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा आग्रह की गई प्रमुख दलीलें इस प्रकार हैं:

में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सामग्री छिपाई गई थी

((i)

यह खुलासा करने में विफल रहा कि 54,676 पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी। प्रपत्र 1, जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, काटने के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या के बारे में चुप था। जैविक पर्यावरण से संबंधित अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट

खंड 2 में। 5 इसमें निम्नलिखित कथन शामिल हैः

प्रभाव (महत्व-मध्यम) प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित क्षेत्र में केवल कुछ ही पेड़ हैं, मुख्य रूप से

झाड़ियाँ। इन्हें स्थल की तैयारी के दौरान साफ किया जाएगा।

उपरोक्त कथन के विपरीत इसमें निहित कथन है -

गोवा राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामाः

20 एजी

21 ए. एस. जी. हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" .....मैं कहता हूं कि 54,676 पेड़ों की कटाई के लिए जो अनुमति प्राप्त की गई है, वह संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में और निर्धारित करने के बाद दी गई है। विभिन्न परिस्थितियाँ। मैं कहता हूं कि जिस संदर्भ में इसका उल्लेख विरल पेड़ों के रूप में किया गया था, उसे भूमि के विशाल क्षेत्र से देखना होगा। भूमि 2133 एकड़ होने के कारण, यह आनुपातिक रूप से काम करेगी

1 एकड़, यानी 4000 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र में लगभग 25 पेड़। मीटर। , जो कि

लगभग 160 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में एक पेड़। मीटर "।

अपीलार्थियों द्वारा आग्रह किया गया निवेदन यह है कि ई. आई. ए. रिपोर्ट का उद्देश्य पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना है क्योंकि

वास्तविकता में मौजूद है। परियोजना प्रस्तावक उचित प्रकटीकरण करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उच्चतम स्तर की पारदर्शिता की आवश्यकता है। साथ में

प्रपत्र 1 परियोजना प्रस्तावक की एक घोषणा है कि भौतिक तथ्यों के दमन या गलत कथन की स्थिति में निर्वाचन आयोग खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा। गोवा राज्य ने इससे पहले एक विविध आवेदन दायर किया एनजीटी ने लगभग 55,000 पेड़ों को गिराने की अनुमति मांगी है। यह एक स्पष्ट संकेतक है कि प्रपत्र 1 के साथ-साथ खंड 2 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मूल कथन। 5 ई. आई. ए. की रिपोर्ट कि केवल कुछ पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है।

(ii) महाराष्ट्र राज्य में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 22 को छिपाया गया था। मार्गदर्शन नियमावली के संदर्भ में, उपायों और पूर्ण सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राथमिक डेटा और द्वितीयक स्रोतों से द्वितीयक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। प्राथमिक आंकड़ों में हवाई अड्डा संदर्भ बिंदु 2,3 से 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर अध्ययन क्षेत्र शामिल है और मानसून के अलावा एक अन्य मौसम को शामिल करता है। द्वितीयक डेटा में हवाई दूरी के भीतर एकत्र किया गया डेटा शामिल है।

विशेष रूप से मानकों के लिए 15 किलोमीटर

2006 की अधिसूचना के फॉर्म 1 के कॉलम 9 (III) में उल्लिखित और एक पूरे वर्ष को शामिल करता है। वर्तमान मामले में, 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर आने वाले ईएसजेड का विवरण प्रस्तुत करते हुए, ईआईए रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य में कोई भी नहीं था।

गोवा राज्य ने अपने प्रतिवाद में यह भी कहा है कि ए. आर. पी. से 15 किलोमीटर के दायरे में कोई ई. एस. जेड. नहीं हैं और उस दायरे में कोई आरक्षित वन नहीं हैं। एन. जी. टी. के समक्ष सुनवाई शुरू होने के बाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 12 फरवरी 2018 को एन. जी. टी. के निदेशक को एक पत्र लिखा गया था।

22 ईएसजेड

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक उड्डयन ने कहा कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी वन प्रभाग में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत आरक्षित वनों की एक सूची अधिसूचित की गई थी जो सावंतवाड़ी वन प्रभाग (2014-15 से 2023-24) की कार्य योजना से प्राप्त की गई थी। पत्र में कहा गया है कि एआरपी से 15 किलोमीटर के दायरे में सावंतवाड़ी वन मंडल में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत कोई आरक्षित वन अधिसूचित नहीं था। इस पहलू पर, अपीलकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होते ही प्रतिबंध लागू हो जाएं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के किसी भी उपयोग के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसा कि टी. एन. गोडावर्मन थिरुमलपद बनाम भारत संघ 24 ("गोडावर्मन") मामले में इस न्यायालय के फैसले में विस्तार से बताया गया है। परियोजना स्थल से 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर आने वाले वन क्षेत्रों को स्पष्ट करने का उद्देश्य वन क्षेत्रों पर परियोजना के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम बनाना है। महाराष्ट्र राज्य में वनों का उल्लेख करने में विफलता एक महत्वपूर्ण घटना थी।

ई. आई. ए. रिपोर्ट में चूक;

प्रपत्र 1 में परियोजना सीमा से 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर ईएसजेड के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। ई. आई. ए. रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पेरनेम तालुका को उच्च स्तरीय कार्य समूह द्वारा ई. एस. जेड. में शामिल नहीं किया गया है।

योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता। परियोजना के प्रस्तावक ने पारिस्थितिक कारणों से महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्रों-आर्द्र भूमि, जल स्रोतों या अन्य जल निकायों, तटीय क्षेत्र, जैव क्षेत्रों, पहाड़ों और जंगलों के लिए आवश्यक विवरणों को छोड़ दिया

खाली। इस संदर्भ में, अपीलकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया था कि ई. आई. ए. रिपोर्ट का उद्देश्य न केवल परियोजना स्थल का मूल्यांकन करना था, बल्कि 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर परियोजना स्थल के आसपास के क्षेत्र का भी आकलन करना था। एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने माना कि ई. एस. जेड. थे। वर्तमान मामले में, कई गाँव महाराष्ट्र में परियोजना स्थल से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर भी, इस तथ्य का कोई खुलासा नहीं किया गया था और ई. आई. ए. रिपोर्ट में केवल यह दर्ज किया गया था कि पेरनेम तालुका ई. एस. जेड. में शामिल नहीं है।

डब्ल्यूजी

स्टुरिरंगन रिपोर्ट हनुमन लैक्समैन अरोस्कर बनाम। भारत का संघ

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

((iv) महाराष्ट्र राज्य में अध्ययन क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है। फिर भी, महाराष्ट्र में मिट्टी, हवा और पानी का कोई नमूना नहीं लिया गया। 2011 में नमूना लिया गया था और 2014-15 में

गोवा लेकिन कोई नमूना स्थल महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। परियोजना स्थल के आसपास महाराष्ट्र राज्य में पर्यावरणीय मानकों के संबंध में उत्पन्न आधारभूत आंकड़ों के अभाव में, ई. आई. ए.

रिपोर्ट में भारी कमी है; और

(v) आसपास के जंगलों में वन्यजीवों पर ध्यान देने में विफल रहने में ई. आई. ए. रिपोर्ट में बहुत कमी है। इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं ने अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न स्तनधारियों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए किए गए त्वरित सर्वेक्षण पर भरोसा किया है। इसके अलावा, कोई पक्षी-जीव अध्ययन नहीं किया गया था।

16. उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, सुश्री शेनॉय ने आग्रह किया है कि 2006 की अधिसूचना के तहत सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन के चरण

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक सार्वजनिक परामर्श का संबंध है, ई. आई. ए. का मसौदा सुनवाई से पहले दिया जाता है। सार्वजनिक परामर्श के दौरान, 70 व्यक्तियों ने बात की, 1,150

अभ्यावेदन प्राप्त हुए और 1,586 व्यक्तियों ने भाग लिया। सार्वजनिक परामर्श के दौरान व्यक्त की गई चिंताओं में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे शामिल थे। उनमें बारहमासी झरनों की उपस्थिति थी, लेटराइट पठार की छिद्रपूर्ण प्रकृति जहां पारगमन पानी के लिए जल निकासी का एक स्रोत है।

काजू के बागानों का संग्रह और अस्तित्व जिस पर स्थानीय निवासियों की आजीविका निर्भर करती है। 2006 की अधिसूचना के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 27 को ई. ए. सी. को आवश्यक दस्तावेज जमा करने से पहले उठाए गए मुद्दों और परियोजना प्रस्तावक की प्रतिक्रिया का मिलान करना आवश्यक था। ई. ए. सी. से पहले, इसके परियोजना प्रस्तावक

प्रस्तुति ने संकेत दिया कि आपत्तियाँ केवल रोजगार के अवसरों के बारे में थीं। परियोजना प्रस्तावक सार्वजनिक परामर्श के दौरान उठाई गई गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में ई. ए. सी. का मूल्यांकन करने के अपने कर्तव्य में स्पष्ट रूप से विफल रहा।

17. मूल्यांकन के पहलू पर, यह आग्रह किया गया है कि ई. ए. सी. की बैठक के कार्यवृत्त में ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की जाए, जैसा कि पता चला है। अपीलार्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया, "ई. आई. ए. रिपोर्ट पर एक पंक्ति नहीं"। ई. ए. सी. को 2006 की अधिसूचना के संदर्भ में ई. सी. के अनुदान की सिफारिश करने के लिए अपने कारण बताने की आवश्यकता थी। कारणों से यह संकेत मिलना चाहिए कि

परियोजना। 18. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010,28 की धारा 16 (एच) के तहत एक अपीलीय उपचार प्रदान किया गया है

ई. सी. देने वाले आदेश के खिलाफ। धारा 20 के प्रावधानों के आधार पर, एन. जी. टी. स्थायी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक जनादेश के तहत है।

विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक किसी भी आदेश, निर्णय को पारित करते समय या पुरस्कार देते समय सिद्धांत का भुगतान करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में निर्दिष्ट कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर न्यायाधिकरण के आदेश, निर्णय या निर्णय से धारा 22 के तहत इस न्यायालय के समक्ष अपील की जाती है। एन. जी. टी. को, धारा 16 (एच) के तहत अपने न्यायिक अधिकार के आधार पर, योग्यता समीक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सामग्री पर विचार करने में विफलता कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसा कि उसके समक्ष कार्यवाही में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने में विफलता है। वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने केवल ई. ए. सी. द्वारा संचालित प्रक्रिया और उसकी सिफारिशों पर भरोसा किया है, योग्यता समीक्षा करने के लिए अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र का त्याग किया है।

19. एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी ने आग्रह किया कि ई. आई. ए. रिपोर्ट, पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के अलावा, निर्माण और संचालन दोनों चरणों के दौरान परियोजना के प्रभाव को संबोधित करती है। ई. ए. सी. विशेषज्ञों से प्राप्त किया जाता है

सरकार के बाहर। हवाई अड्डा परियोजना की कल्पना 1996 में की गई थी; सलाहकार नियुक्त किए गए थे और तीन स्थलों को शुरू में सूचीबद्ध किया गया था। यह 2011 में था जब टीओआर की मांग की गई थी और परियोजना को दिया गया था ईएसी द्वारा प्रस्तावक। ई. आई. ए. का मसौदा 2014 में सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया था और अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट 2015 में प्रस्तुत की गई थी। ई. ए. सी. ने तीन अवसरों पर ई. आई. ए. रिपोर्ट पर विचार को स्थगित कर दिया, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर अभ्यावेदन पर विचार करना भी शामिल था।

इंद्रधनुष योद्धा।

28 एन. जी. टी. अधिनियम 2010 मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

20. गैर पर अपीलार्थियों के प्रस्तुत करने का विरोध करना

फॉर्म 1 में आरक्षित वनों के बारे में विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया

विंग प्रस्तुतियाँः

अपीलार्थियों की प्रस्तुति को न तो सार्वजनिक सुनवाई में या एनजीटी के समक्ष आग्रह किए गए आधारों में उठाया गया था, बल्कि एनजीटी के समक्ष दायर लिखित प्रस्तुतियों में संबोधित किया गया था और जब एक नक्शा बनाया गया था

भारत के सर्वेक्षक जनरल को प्रस्तुत किया गया था;

तालिका 2.1। 5 ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई आरक्षित वन नहीं है

महाराष्ट्र राज्य में 15 के भीतर ईएसजेड का परिसीमन करते हुए

परियोजना सीमा से किलोमीटर। रिपोर्ट आगे बढ़ी

भारतीय वन अधिनियम 1927 का सादा अर्थ जिसके अनुसार यह केवल धारा 20 के तहत एक अधिसूचना जारी करने पर है कि

एक आरक्षित वन घोषित किया जाता है;

महाराष्ट्र राज्य में परियोजना सीमा, कोई आरक्षित वन नहीं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 (2) के तहत घोषित किया गया है;

गोडावर्मन (ऊपर) में निर्णय जो साधारण को अपनाता है

'वन' अभिव्यक्ति का अर्थ स्थल विशिष्ट हैः एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. गैर-वन उपयोगों के लिए वन भूमि के मोड़ पर विचार करते हुए धारा 4 के तहत एक अधिसूचना होने पर भी इसका सावधानीपूर्वक पालन करता है। गोडावर्मन (ऊपर) में निर्णय को भी समझाया गया है। नोएडा में पार्क के निर्माण में इस न्यायालय का निर्णय

ओखला पक्षी अभयारण्य के पास आनंद आर्य बनाम भारत संघ 2 9 29

मार्गदर्शन पुस्तिका इस बात पर ध्यान देती है कि पर्यावरणीय पहलू जो हवाई अड्डे के विकास के संबंध में विचार किया जाना चाहिए

एक वर्ष तक फैले द्वितीयक आंकड़ों को एकत्र किया जाता है मार्गदर्शन नियमावली और पैराग्राफ 4 में निर्दिष्ट दूरी; और

(vi) ई. आई. ए. रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि हवाई अड्डे के आसपास की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से वन भूमि है। महाराष्ट्र में हवाई अड्डा स्थल से विशेष रूप से 10 किलोमीटर के दायरे के लिए भूमि उपयोग और भूमि क्षेत्र भी ई. आई. ए. रिपोर्ट के अध्याय II में निर्धारित किया गया है, जो वन क्षेत्र के संदर्भ को इंगित करता है। ई. आई. ए. रिपोर्ट के अनुलग्नक IX में 10 किलोमीटर के दायरे में गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लिए भूमि आवरण मानचित्रों के साथ भूमि उपयोग को शामिल किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के भीतर वन क्षेत्र शामिल हैं; ई. आई. ए. रिपोर्ट का अनुलग्नक X महाराष्ट्र और महाराष्ट्र दोनों में सतही जल निकायों को स्पष्ट करता है।

गोवा में 10 किलोमीटर के दायरे में जबकि अनुलग्नक XI प्रदान करता है गोवा और महाराष्ट्र का जल-भू-आकृति विज्ञान मानचित्र। अन्य में

शब्दों में, यह आग्रह किया गया था किः (i) भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कानूनी रूप से नामित वन के लिए धारा 20 के तहत अधिसूचना की आवश्यकता होती है; हालाँकि, उसी समय, (i? i) ई. आई. ए. रिपोर्ट में दोनों राज्यों में वन क्षेत्रों की उपस्थिति का स्पष्ट खुलासा किया गया है।

गोवा और महाराष्ट्र 10 किलोमीटर के दायरे में

घने जंगलों के क्षेत्र।

21. महाराष्ट्र में नमूने लेने के स्थानों की कमी के संबंध में, विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए सभी छह नमूने लेने के स्थान गोवा में थे, लेकिन जिस वायु गुणवत्ता पर नज़र रखी जा रही थी वह निर्धारित दायरे के भीतर थी और गोवा राज्य तक ही सीमित नहीं थी। इसी तरह, जल पर्यावरण के अध्ययन में, गोवा में चार स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता मापी गई।

10 अध्ययन क्षेत्र के किलोमीटर। जहां तक शोर की निगरानी का संबंध है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार गोवा राज्य के भीतर नौ नमूना केंद्रों का चयन किया गया था। ई. आई. ए. रिपोर्ट में निर्माण और संचालन दोनों चरणों में शोर वातावरण की निगरानी के बारे में भी इसी तरह बताया गया है। विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि नमूने लेने के स्थानों का चयन मनमाना नहीं थाः हालांकि नमूने लेने के स्थान महाराष्ट्र में नहीं थे, आवश्यक डेटा को एआरपी से 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक किया गया था जिसमें राज्य भी शामिल था।

महाराष्ट्र।

22. इस निवेदन से निपटने के लिए कि कोई पक्षी-जीव अध्ययन नहीं किया गया था, यह आग्रह किया गया था कि ई. आई. ए. रिपोर्ट विशेष रूप से इस पहलू से संबंधित है

अध्याय II का अनुच्छेद 4.6 जो स्पष्ट करता है कि 88 पादप परिवारों से संबंधित पौधों की 385 प्रजातियों को प्रलेखित किया गया था और 10 में उनकी पहचान की गई थी। प्रस्तावित परियोजना स्थल की किलोमीटर रेडियल दूरी। इसी तरह का अध्ययन

30 सी. पी. सी. बी. हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

जीवों की विविधता से निपटा गया। पक्षियों की 86 प्रजातियों को पक्षी-जीव अध्ययन के दौरान देखा गया, जिसे ई. आई. ए. रिपोर्ट की तालिका 4,17 में स्पष्ट किया गया है।

23. ई. एस. जेड. के मुद्दे पर, विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि कस्तूरिरंगन रिपोर्ट का एक विशिष्ट संदर्भ है, जिसका शीर्षक हैः

' ई. आई. ए. रिपोर्ट के अध्याय IV में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र। ई. आई. ए. की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थल उत्तरी गोवा के पेरनेम तालुका में आता है जिसे एच. एल. डब्ल्यू. जी. द्वारा मानचित्रित ई. एस. जेड. एस. में शामिल नहीं किया गया है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का अनुलग्नक XVI 13 तारीख की अधिसूचना है।

एम. ओ. ई. एफ. का नवंबर 20131, जिसमें एच. एल. डब्ल्यू. जी. द्वारा चिन्हित गाँवों (राज्य, जिला और तालुक-वार) की सूची शामिल है। 2013 की अधिसूचना का पैराग्राफ 9 जो धारा 5 के तहत जारी किया गया है

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 नई और विस्तार परियोजनाओं की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जो ई. एस. जेड. में निषिद्ध हैं। प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना निषिद्ध श्रेणी में नहीं आती है। इसके अलावा, चूंकि प्रस्तावित हवाई अड्डे की जगह को ईएसजेड में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए 2013 की अधिसूचना द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का कोई आवेदन नहीं था।

24. विद्वान ए. एस. जी. ने यह भी आग्रह किया है कि 15 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत पश्चिमी घाटों पर एच. एल. डब्ल्यू. जी. की रिपोर्ट में कुछ प्रावधान किए गए हैं -

(i) खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध; ((ii) पनबिजली परियोजनाओं के दौरान ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध।

शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकती है;

((ग) 'लाल श्रेणी' के उद्योगों पर सख्त प्रतिबंध; (iv) 20,000 वर्ग मीटर की भवन और निर्माण परियोजनाओं पर प्रतिबंध।

मीटर;

(v) अन्य सभी बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं/योजनाएं

2006 की अधिसूचना के तहत श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के रूप में ई. सी. के अनुदान के अधीन होगा; और

(vi) पश्चिमी घाट ई. एस. जेड. के 10 किलोमीटर के भीतर और आवश्यक ई. सी. की सभी विकास परियोजनाओं को 2006 की अधिसूचना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एच. एल. डब्ल्यू. जी. की उपरोक्त सिफारिश के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना, जो श्रेणी के अंतर्गत आती है

' 2006 की अधिसूचना द्वारा चित्रित 'ए' परियोजनाएं इसके द्वारा विनियमित हैं और एक व्यापक निषेध को आकर्षित नहीं करती हैं।

25. ई. ए. सी. द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त पर भरोसा करते हुए यह कहा गया है कि ई. ए. सी. परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों से अवगत कराने में विफल रहा है और उसे पर्यावरणीय चिंताओं पर अपना दिमाग लगाना चाहिए था।

(i) 26 जून 2015 को आयोजित अपनी 149 वीं बैठक में, ईएसी ने प्रस्तुति प्राप्त करने पर छह अलग-अलग पहलुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा;

(ii) 7-9 सितंबर 2015 को आयोजित अपनी 151 वीं बैठक में, ई. ए. सी. ने फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा दायर एक अभ्यावेदन पर ध्यान दिया और अनुदान के प्रस्ताव पर आगे विचार को स्थगित कर दिया।

ईसी। परियोजना प्रस्तावक को प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था

प्रतिनिधित्व में उठाए गए मुद्दों के लिए; और

(iii) 20 अक्टूबर 2015 को आयोजित अपनी 152 वीं बैठक में, ई. ए. सी. ने इंद्रधनुष योद्धाओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर विचार किया और परियोजना की सिफारिश करने के लिए आगे बढ़ा।

निर्धारित शर्तों के अधीन एक ईसी के अनुदान के लिए।

28 अक्टूबर 2015 को केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को मंजूरी दी गई थी। ई. ए. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है:

(i) ई. ए. सी. द्वारा दिमाग के अनुप्रयोग का अनुमान लगाया जा सकता है और इससे देखा जा सकता है

अभिलेख;

((ii) जहां आवश्यक समझा जाता है, ई. ए. सी. ने बाहर से जानकारी मांगी।

ई. आई. ए. रिपोर्ट;

(iii) ई. आई. ए. रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के बाद, ई. ए. सी. ने विशिष्ट स्थल लागू किया।

शर्तें; और

(iv) ई. ए. सी. में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं और एक बार यह पता चला है कि सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया था, तो यह

अदालत को उनके विचार को उचित सम्मान देना चाहिए।

26. गोवा राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

(i) मोपा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की प्रस्तावित परियोजना लगभग दो दशकों से ड्राइंग बोर्ड पर है।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत का संघ

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

सरकार। इसमें निजी संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट शामिल हैं। विमानन संगठन और मुख्यमंत्री के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति,

(ii) एक हवाई अड्डे की स्थापना एक आसन्न आवश्यकता है, क्योंकि डाबोलिम में मौजूदा हवाई अड्डा एक संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया है और गोवा में यात्री यातायात की बढ़ती मात्रा को पूरा करने में असमर्थ है।

(iii) यह आग्रह किया गया है कि खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ पर्यटन राज्य के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। एक अंतर

अत्यधिक पर्यावरण के बीच खींचने की आवश्यकता है

आपत्तियाँ जो प्रतिवर्ती नहीं हैं और सुधार करने में असमर्थ हैं, और ऐसे मामले जैसे कि वर्तमान जहां पर्यावरण

परियोजना के परिणामों का मुकाबला करने में सक्षम हैं

उपयुक्त उपाय; और

(iv) मुख्य रूप से प्रक्रिया में दोष के आधार पर आपत्तियां राज्य के विकास और यात्रा करने वाली जनता के सदस्यों के लिए विशाल लाभ के साथ सार्वजनिक हित में परिकल्पित परियोजना को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। यह आग्रह किया गया कि कोई बड़ी शत्रुतापूर्ण आपत्ति नहीं थी और ई. आई. ए. रिपोर्ट को चुनौती तीस लाख पास सेंजर्स के हितों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुमानित प्रवाह 3 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

2030 .

27. पेड़ों की कटाई के पहलू पर, विद्वान ए. जी. ने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, प्रधान प्रमुख

वन संरक्षक ने 2 अप्रैल 2018 को एक आदेश पारित किया जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थेः (i) परियोजना स्थल द्वारा आच्छादित सभी पेड़ों की गणना; (ii) उप मुख्य वन संरक्षक द्वारा पेड़ काटने की अनुमति जारी करना; और (iii) वन विभाग की देखरेख में काटे गए पेड़ों की संख्या का दस गुना वृक्षारोपण। इसके बाद, जब उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, तो 13 जून 2018 को एक आदेश पारित किया गया कि पेड़ों को काटने और पेड़ों की वास्तविक कटाई की अनुमति केवल दी जाएगी

एनजीटी द्वारा लंबित कार्यवाही में अनुमति देने के बाद। पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगने वाला एक विविध आवेदन एनजीटी के समक्ष स्थापित किया गया था। 21 अगस्त 2018 के अपने अंतिम आदेश में, [2019] 5 एस. सी. आर.

एनजीटी ने अपीलों के साथ-साथ विविध आवेदन दोनों का निपटारा कर दिया। इसके अलावा, एनजीटी ने विशेष रूप से अपने विशिष्टता के क्रम में पेड़ों की कटाई से निपटा है।

28. रियायत पाने वाले की ओर से श्री पराग पी त्रिपाठी, विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री आस्था मेहता, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि

8 नवंबर 2016 को गोवा राज्य के साथ एक ईसी, एक रियायत समझौते को निष्पादित किया गया था। परियोजना स्थल का कब्जा 4 सितंबर 2017 को सौंप दिया गया था और 3 मार्च 2018 को काम शुरू हुआ था। विकास के पहले चरण के लिए सांकेतिक पूंजी 1,900 करोड़ रुपये है जबकि पूरी परियोजना की लागत 3,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है। गोवा राज्य ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, सड़क चौड़ीकरण, परामर्श और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए कुल 240 करोड़ रुपये का खर्च किया है, जबकि रियायत प्राप्तकर्ता ने 18 जनवरी 2019 तक 230 करोड़ रुपये का खर्च किया है। 14. 06 परियोजना का प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और संयंत्र और मशीनरी के साथ 1500 व्यक्तियों की एक मानव शक्ति को स्थल पर जुटाया गया है।

29. रियायत पाने वाले ने कहा है कि उसने एक के साथ समझौता किया है

बैंकों का संघ और ऋणों की सेवा परियोजना के मील के पत्थर से जुड़ी हुई है। 18 जनवरी 2019 तक, प्रगति पर प्रमुख कार्यों में शामिल हैंः (i) स्थल की तैयारी और मिट्टी के काम जैसे कि खुदाई और रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और पार्किंग बे को भरना; (ii) पीटीबी-नींव और स्तंभ कार्य करता है; और (iii) ए. टी. सी. भवन की नींव की खुदाई। रियायत प्राप्तकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि दस के रोपण के अलावा

काट दिए गए प्रत्येक पेड़ के बदले वन विभाग ने प्रत्यारोपण के लिए लगभग 500 पेड़ों की पहचान की है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है

निष्पादित किया। इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। रियायत पाने वाले से यह आग्रह किया गया है कि वह उस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है जो प्राप्त सभी अनुमोदनों के अनुरूप है।

30. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचार के लिए आती हैं।

एस.

2006 की अधिसूचना की योजना और मार्गदर्शन नियमावली

हवाई अड्डों के लिए

ग. 1 ई. आई. ए. प्रक्रिया

31. ई. आई. ए. प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

उपलब्ध सबसे सटीक जानकारी के आधार पर पर्यावरण और विकास संबंधी चिंताओं को उचित रूप से संतुलित किया जाता है।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

32. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ, ने अनुच्छेद 48 ए को जोड़ा

संविधान जो आदेश देता है कि राज्य रक्षा करने का प्रयास करेगा

और पर्यावरण में सुधार करना और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना। संविधान का अनुच्छेद 51 ए (जी) प्रत्येक नागरिक को वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने का कर्तव्य देता है। संयुक्त राष्ट्र में लिए गए निर्णयों के बाद जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर सम्मेलन जिसमें भारत ने भाग लिया, संसद ने पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के लिए खतरों को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया।

33. 27 जनवरी 1994 को, एम. ओ. ई. एफ. ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए

1986 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त, जिसे नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड (d) के साथ पढ़ा जाता है।

परियोजना रिपोर्ट जिसमें एक ई. आई. ए. रिपोर्ट, एक पर्यावरण शामिल था प्रबंधन योजना 3 4 34 और एक सार्वजनिक सुनवाई का विवरण जो केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था

समय-समय पर सरकार। सार्वजनिक सुनवाई के लिए सीमित अपवाद

प्रक्रिया और ई. आई. ए. प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया था। 35. प्रभाव आकलन एजेंसी के रूप में एम. ओ. ई. एफ. तब आवेदन और प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा। आई. ए. ए. को अधिकार दिया गया था कि

यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करें, जिसे परियोजना से संबंधित तैयारी शुरू होने के दौरान या उसके बाद स्थल में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार होगा। आई. ए. ए

32 स्टॉकहोम सम्मेलन 3 3 एस. ओ. 60 (ई) (* 1994 अधिसूचना ') 34 ई. एम. पी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दस्तावेजों के आधार पर सिफारिशों का एक सेट तैयार करेगा

आवेदन की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेजों और उसके बाद 30 दिनों के भीतर आवेदक को एक निर्णय से अवगत कराया जाएगा। प्रदत्त ई. सी. पाँच साल की अवधि के लिए वैध था और एक सफल आवेदक को आई. ए. ए. को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथ्यात्मक डेटा को छिपाना या गलत या भ्रामक जानकारी जमा करना आवेदन को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना देगा और उस आधार पर दिए गए किसी भी ईसी 3,6 को रद्द कर देगा।

36. 1994 की अधिसूचना में पर्यावरण के बढ़ते संरक्षण को दर्शाने के लिए संशोधन किया गया था। 37. 14 सितंबर 2006 को, एमओईएफ ने पिछली अधिसूचना के स्थान पर एक और अधिसूचना 3 7 जारी की।

38. 2006 की अधिसूचना ने इस प्रकार निर्देश दियाः

" ..... इसके प्रकाशन की तारीख से नई परियोजनाओं या गतिविधियों का आवश्यक निर्माण या इस अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या गतिविधियों का विस्तार या आधुनिकीकरण।

प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि करने वाली अधिसूचना भारत के किसी भी हिस्से में केंद्र सरकार से या राज्य स्तर के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत विधिवत गठित की गई है, इस अधिसूचना में इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बाद ही की जाएगी।

39. 1994 की अधिसूचना और 2006 की अधिसूचना के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। वे इस प्रकार हैंः

((i)

2006 की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक ईसी होना चाहिए

प्रारंभ से पहले नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया

किसी भी निर्माण कार्य या भूमि की तैयारी;

(ii) 2006 की अधिसूचना सभी परियोजनाओं को श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' परियोजनाओं में विभाजित करती है। एमओईएफसीसी बड़े पैमाने (श्रेणी 'ए') की परियोजनाओं को विनियमित करना जारी रखता है, जबकि एसईआईएए तुलनात्मक रूप से छोटी परियोजनाओं (श्रेणी 'बी') को विनियमित करता है। (iii) 1994 की अधिसूचना के तहत, एक आवेदक को ई. आई. ए. रिपोर्ट सहित सभी रिपोर्टों के साथ एक आवेदन जमा करना आवश्यक था।

36 ई. सी.

37 एस. ओ. 1533 (2006 अधिसूचना ')

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आवेदन का समय। 2006 की अधिसूचना के तहत, आवेदक द्वारा ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने से पहले, संबंधित प्राधिकरण सभी प्रासंगिक लोगों को संबोधित करते हुए आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर व्यापक टी. ओ. आर. तैयार करता है।

पर्यावरण संबंधी चिंताएँ। ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह आधार है। आवेदन के साथ एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए जब तक कि अधिसूचना में छूट न दी गई हो। 2006 की अधिसूचना के तहत, ई. आई. ए. का मसौदा पहले तैयार किया जाता है और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद ही अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

जनता के दौरान उठाई गई सभी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार

परामर्श; 2006 की अधिसूचना में राज्य स्तर पर एक नियामक निकाय-एस. ई. आई. ए. ए. के निर्माण को निर्धारित किया गया है जिसमें पर्यावरण कानूनों के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले सदस्य शामिल हैं जिन पर अनुदान देने का प्रभार है।

श्रेणी 'बी' परियोजनाओं के लिए ईसी;

1994 की अधिसूचना के तहत, आई. ए. ए. द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई थी। 2006 की अधिसूचना के तहत, हालांकि अंतिम नियामक

मंजूरी एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. या एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा दी जाती है, जैसा भी मामला हो, मंजूरी एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. में काम करने वाले ई. ए. सी. या उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों 38 की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।

2006 की अधिसूचना के तहत, प्रारंभिक चरण में, ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की सिफारिश के आधार पर नियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

स्वयं, सार्वजनिक परामर्श से पहले; और

1994 की अधिसूचना के तहत, सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया की देखरेख राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 39 द्वारा की गई थी जो इस उद्देश्य के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई पैनल का गठन करेगा। 2006 की अधिसूचना के तहत, संबंधित व्यक्तियों से लिखित टिप्पणियों की प्राप्ति को शामिल करने के लिए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का विस्तार किया गया है। सार्वजनिक सुनवाई घटक की देखरेख एस. पी. सी. बी. द्वारा की जानी थी या

केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समिति 4 0.

एसी

परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर प्रतिबंध जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूर्व ईसी प्रदान नहीं किया गया हो। अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजना या गतिविधि पर किसी भी निर्माण कार्य, या भूमि की तैयारी (भूमि को सुरक्षित करने के अलावा) शुरू करने से पहले ईसी की आवश्यकता होती है। 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया है - निम्नलिखित प्रवाह-चार्ट द्वारा सचित्रः

श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के लिए ई. आई. ए. प्रक्रिया

परियोजना की अवधारणा और स्थल की पहचान

प्रपत्र 1, प्रस्तावित टीओआर और पूर्व

वि

चार-विमर्श करें।

ई. ए. सी. को प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट

छिपाना/

गलत

जानकारी

इस ओर ले जाती है

आवेदन की

अस्वीकृति

स्कोप

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ने

आवेदन खारिज किया

ई. ए. सी. तैयार/मंजूरी देता है

ई. ए. सी. की सिफारिश

व्यापक टीओआर

ई. आई. ए. रिपोर्ट का मसौदा और

सारांश ई. आई. ए. और

आवेदन हैं

प्रस्तुत किया गया आवेदन

वेबसाइट पर दिखाया

गया है

एस. पी. सी. बी./यू. टी. पी. सी. सी

एस. पी. सी.

बी./यू. टी. पी. सी. सी

सार्वजनिक परामर्श

एस. पी. सी. बी/यू. टी. पी. सी. सी. द्वारा

प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित

करें और

की कार्यवाही

एस. पी. सी. बी/यू.

टी. पी. सी. सी. वेबसाइट

सार्वजनिक परामर्श

प्रस्तावक के लिए

अंतिम ई. आई. ए. की तैयारी

चिंताओं को संबोधित करने वाली रिपोर्ट

मूल्यांकन और

ई. ए. सी. द्वारा सिफारिश

ई. ए. सी. को वापस

संदर्भित किया गया

परियोजना के लिए

संचार

प्रस्तावक

एमओईएफसीसी

ई. सी. ने खारिज किया

ई. सी. ने मंजूरी दी

पोस्ट ईसी मॉनिटरिंग

का

प्रदर्शन

आधे का प्रस्तुतिकरण

अनुपाल

न प्रतिवेदन

वार्षिक अनुपालन

एम.

ओ. ई. एफ. सी. सी पर

एमओईएफसीसी को रिपोर्ट करें

प्रदर्शित किया गया

वे

बसाइट

पर

एमओईएफसीसी

41. संभावित प्रभाव की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों पर संभावित प्रभावों के आधार पर, 2006 की अधिसूचना सभी परियोजनाओं को श्रेणी 'ए' में वर्गीकृत करती है और

श्रेणी 'बी' परियोजनाएं। केंद्र सरकार में एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. और

राज्य स्तर पर एस. ई. आई. ए. ए. अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए नियामक प्राधिकरणों का गठन करता है। श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर

इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित ई. ए. सी. की सिफारिश। श्रेणी 'बी' परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय आवश्यकता होगी।

एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों के आधार पर एस. ई. आई. ए. ए. से मंजूरी। जहाँ कोई एस. ई. आई. ए. ए. या एस. ई. ए. सी. का गठन नहीं किया गया है, वहाँ श्रेणी 'बी' परियोजनाएं हैं।

इन्हें श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के रूप में माना जाता है।

42. एक बार जब आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना के लिए एक संभावित स्थल की पहचान कर ली जाती है, तो ईसी की मांग करने वाले सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र 1 और पूरक प्रपत्र 1 ए 41, यदि लागू हो, में किए जाएंगे। आवेदन किसी भी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले जमा किया जाना चाहिए। निर्माण गतिविधि, या स्थल पर भूमि की तैयारी। अनुसूची की मद 8 में निर्माण परियोजनाओं के मामलों को छोड़कर आवेदन के साथ एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके लिए एक वैचारिक योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। फॉर्म 1 में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के महत्व का जल्द ही पता लगाया जाएगा।

43. नई परियोजनाओं के लिए अधिसूचना द्वारा निर्धारित पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में अधिकतम चार शामिल हैं। चरण, जो सभी अधिसूचना के तहत निर्धारित विशिष्ट मामले के आधार पर लागू नहीं हो सकते हैं:

जाँच;

1)

2)

स्कोप;

सार्वजनिक परामर्श; और

3)

मूल्यांकन।

4)

41 केवल अनुसूची 42 की मद 8 के तहत सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए अधिसूचना के तहत निर्धारित मौजूदा इकाइयों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए ई. सी. के लिए आवेदन फॉर्म 1 में किए जाते हैं और ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. द्वारा 60 दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो ई. आई. ए. की तैयारी और सार्वजनिक परामर्श सहित आवश्यक परिश्रम पर निर्णय लेगा और पर्यावरण मंजूरी देने के लिए आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा।

44. स्क्रीनिंग-यह कदम केवल श्रेणी 'बी' परियोजनाओं तक ही सीमित है। इस चरण में इस बात की जांच की जाती है कि क्या प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि को ई. सी. के अनुदान से पहले अपने मूल्यांकन के लिए ई. आई. ए. की तैयारी के लिए आगे के पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। ई. आई. ए. की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को आगे श्रेणी 'बी1' परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और शेष परियोजनाओं को श्रेणी 'बी2' परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी 'बी2' परियोजनाओं के लिए ई. आई. ए. की आवश्यकता नहीं होती है। यह वर्गीकरण एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

45. स्कोप-इस स्तर पर, ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी., जैसा भी मामला हो, विस्तृत और व्यापक संदर्भ शर्तें तैयार करता है।

जो ई. आई. ए. की तैयारी के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता है। अन्य बातों के अलावा, आवेदक द्वारा प्रस्तावित टीओआर के साथ फॉर्म 1/फॉर्म 1 ए में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी टीओआर तैयार करने का आधार बनती है। फॉर्म 1 की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर आवेदक को टीओआर के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर आवेदक द्वारा प्रस्तावित टीओआर को अनुमोदित माना जाएगा।

महत्वपूर्ण रूप से, ई. सी. के लिए आवेदन इस स्तर पर ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की सिफारिश पर नियामक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं, जैसा भी मामला हो, और कारणों के साथ निर्णय को आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाना है।

46. सार्वजनिक परामर्श-इस चरण से पहले, टीओआर के आधार पर परिशिष्ट IIIA में दिए गए प्रारूप में एक सारांश ई. आई. ए. तैयार किया जाता है।

आवेदक को प्रस्तुत किया गया। इस चरण में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसके द्वारा परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभावों में स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और अन्य लोगों की चिंताओं का पता परियोजना या गतिविधि डिजाइन में सभी भौतिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट IV में निर्धारित की गई है। 2006 की अधिसूचना में दिए गए अपवादों के अधीन, सभी श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी1' परियोजनाएं सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करेंगी।

इस चरण में दो घटक शामिल हैं:

((i)

स्थल पर या उसके निकट-जिलेवार सार्वजनिक सुनवाई।

परिशिष्ट IV में निर्धारित तरीके से किया जाना; और मानव लक्ष्मण अरोस्कर v.

(ii) आसपास के पर्यावरणीय पहलुओं में प्रशंसनीय हिस्सेदारी रखने वाले संबंधित व्यक्तियों से लिखित प्रतिक्रियाओं की खरीद।

परियोजना।

48. सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक लिखित अनुरोध प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर, एस. पी. सी. बी. या यू. टी. पी. सी. सी. सारांश ई. आई. ए. और आवेदन को अपनी वेबसाइट पर रखेगा और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करेगा। संबंधित प्राधिकारी परियोजना का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशन के अलावा अन्य उपयुक्त मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी संबंधित व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण निरीक्षण के लिए मसौदा ई. आई. ए. की एक हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएगा। सार्वजनिक सुनवाई की तारीख तक कार्यालय के समय के दौरान अधिसूचित स्थान। इस स्तर पर प्राप्त सभी प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों को जल्द से जल्द उपलब्ध माध्यम से आवेदक को अग्रेषित करने का कर्तव्य प्राधिकरण पर रखा गया है।

मतलब।

49. सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के बाद, आवेदक प्रक्रिया के दौरान व्यक्त सभी भौतिक पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और मसौदा ई. आई. ए. और ई. एम. पी. में उचित परिवर्तन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसके बाद आवेदक अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट नियामक को भेजेगा।

ई. सी. का अनुदान। मूल्यांकन एक प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से किया जाता है जिसके लिए आवेदक को स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से। परिशिष्ट 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित दस्तावेज भी नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i) अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट

((ii) सार्वजनिक सुनवाई के वीडियो टेप या सीडी की एक प्रति।

कार्यवाही

((iii) अंतिम लेआउट योजना की एक प्रति।

((iv) परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट की एक प्रति।

51. नियामक प्राधिकरण को "टीओआर के संदर्भ में सख्ती से" दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और किसी भी अपर्याप्तता के बारे में सूचित करना चाहिए। ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी., जैसा भी मामला हो, दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर। सभी दस्तावेजों की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर, ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी., जैसा भी मामला हो, परिशिष्ट 5 में निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करेगा।

जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से गुजरने या ई. आई. ए. जमा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें निर्धारित आवेदन प्रपत्र 1 या प्रपत्र 1ए के आधार पर किया जाना है। 52. एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. या एस. ई. आई. ए. ए. इसके बाद ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों पर विचार करेगा और सिफारिशों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर आवेदक को अपने निर्णय से अवगत कराएगा। नियामक प्राधिकरण आम तौर पर ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे। जहां कोई असहमति है, नियामक प्राधिकरण इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहेगा

सिफारिशों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर सिफारिश। इस निर्णय से आवेदक को अवगत कराया जाएगा। ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. तब 60 दिनों की आगे की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करेगा और नियामक प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें देगा। नियामक प्राधिकरण तब उसे बताए गए विचारों पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा और अगले 30 दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय से अवगत कराएगा।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

53. यदि निर्धारित समय के भीतर आवेदक को कोई निर्णय नहीं सूचित किया जाता है, तो आवेदक के अनुसार आगे बढ़ सकता है

ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की सिफारिश

ई. सी. का अनुदान या अस्वीकृति। नियामक प्राधिकरण का निर्णय और ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की अंतिम सिफारिशें सार्वजनिक की जाएंगी।

निर्धारित समय सीमा की समाप्ति पर दस्तावेज। विचार-विमर्श करें।

निर्वाचन आयोग के अनुदान में शामिल कदमों के लिए गलत या भ्रामक जानकारी सामग्री को छिपाना और/या प्रस्तुत करना आवेदन को उस आधार पर दिए गए किसी भी निर्वाचन आयोग की अस्वीकृति और रद्द करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

54. 2006 की अधिसूचना इस धारणा का प्रतीक है कि विकास

राष्ट्र के एजेंडे को पर्यावरण और इसकी जटिलताओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में पूरा किया जाना चाहिए। यह विकास और सुरक्षा के बीच एक संतुलन के रूप में कार्य करता है

पर्यावरणः दोनों के बीच कोई लेन-देन नहीं है। पर्यावरण की रक्षा विकास का एक अनिवार्य पहलू है। इसे किसी तकनीकी सूत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना बढ़ती हुई दिखाती है

पर्यावरण की जटिलताओं के बारे में जागरूकता और आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके निरंतर निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक गहन जांच। यह निरंतरता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

विकास। ई. सी. के अनुदान के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, 2006 की अधिसूचना पर्यावरण और विकास के बीच कथित अंतर को पाटने का प्रयास करती है।

55. यही कारण है कि ईएसी और एसईएसी में विशेषज्ञ शामिल हैं।

56. ई. ए. सी. और एस. ई. ए. सी. पर आवेदक द्वारा प्रपत्र 1/प्रपत्र 1ए में प्रस्तुत जानकारी का मूल्यांकन करने और व्यापक टी. ओ. आर. तैयार करने का प्रभार है जो ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। यह देखते हुए कि इन निकायों में पर्यावरण [2019] 5 एस. सी. आर. के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं।

कानून, ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. की किसी आवेदक को ई. सी. देने या आवेदन को अस्वीकार करने की सिफारिश आमतौर पर नियामक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की जाती है। 57. राज्य स्तर पर नियामक प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.), जिस पर निर्वाचन आयोग के लिए आवेदन की मंजूरी या अस्वीकृति का प्रभार होता है, में तीन सदस्य होते हैं जिनके पास निर्धारित क्षेत्र में योग्यता होती है।

परिशिष्ट VI में। महत्वपूर्ण रूप से, 2006 की अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के उपखंड (7) में कहा गया है कि एस. ई. आई. ए. ए. के सभी निर्णय सर्वसम्मत होंगे और एक बैठक में लिए जाएंगे। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय परिणामों को देखते हुए, राज्य स्तर पर ईसी के अनुदान में कोई मतभेद नहीं है। यह आगे अनिवार्य है कि परियोजना

प्रबंधन ईसी और शर्तों के संबंध में नियामक प्राधिकरण को अर्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 58. 2006 की अधिसूचना के तहत, ईसी प्राप्त करने की प्रक्रिया फॉर्म 1/फॉर्म 1 ए में निर्धारित जानकारी के उत्पादन से शुरू होती है। प्रस्तावित के विवरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. को व्यापक टी. ओ. आर. तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए परियोजना की मांग की जाती है जिसे आवेदक को ई. आई. ए. की तैयारी के दौरान संबोधित करना आवश्यक है। माँगी गई कुछ जानकारी इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है:

((i)

परियोजना का निर्माण, संचालन या विघटन

क्रियाएँ शामिल हैं, जो इलाके में भौतिक परिवर्तन का कारण बनेंगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन, आदि);

(परियोजना के निर्माण या संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग (जैसे भूमि, जल, सामग्री या ऊर्जा, विशेष रूप से कोई भी संसाधन)

जो गैर-नवीकरणीय या कम आपूर्ति में हैं);

((ग) पदार्थों का उपयोग, भंडारण, परिवहन, संचालन या उत्पादन या

ऐसी सामग्री जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है या मानव स्वास्थ्य के लिए वास्तविक या कथित जोखिमों के बारे में चिंता पैदा कर सकती है;

((iv) निर्माण, संचालन या निर्माण के दौरान ठोस कचरे का उत्पादन।

नियुक्त करना;

(v)

प्रदूषकों या किसी भी खतरनाक, विषाक्त या हानिकारक उप उत्सर्जित करना।

हवा में रुख; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

vi) शोर और कंपन का उत्पादन, और प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन;

vii) प्रदूषकों के निकलने से भूमि या पानी के दूषित होने के जोखिम

जमीन में या सीवरों, सतह के पानी, भूजल, तटीय क्षेत्र में

जल या समुद्र;

viii) परियोजना के निर्माण या संचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम,

जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है; और

ix) पर्यावरण संवेदनशीलता जिसमें अन्य बातों के अलावा,

निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करनाः

ए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्र;

बी। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र; और

सी। संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र

वनस्पति या जीव।

59. 2006 की अधिसूचना के तहत, ईसी प्रक्रिया फॉर्म 1 में आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है। यह जानकारी

प्रपत्र 1 में लिखा महत्वपूर्ण है जिसे निम्नलिखित से वहन किया जा सकता हैः

परिस्थितियाँः

i) ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी., जैसा भी मामला हो, प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी के आधार पर कम्प्रेहेन्सिव टी. ओ. आर. तैयार करता है जो सभी संभावित पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करता है। यह टी. ओ. आर. के आधार पर है कि पर्यावरण पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव पर आगे के अध्ययन और ई. आई. ए. किए जाते हैं।

मूल्यांकन चरण में, नियामक प्राधिकरण जांच करता है

(ख)

आवेदक द्वारा "सख्ती से टी. ओ. आर. के संदर्भ में" प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ और ई. ए. सी. या ई. ए. सी. को किसी भी अपर्याप्तता के बारे में बताते हैं।

एस. ई. ए. सी.;

iii) श्रेणी बी 2 परियोजनाएं, जिनके लिए स्कोप की आवश्यकता नहीं है, का मूल्यांकन एस. ई. ए. सी. द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया जाता है।

अकेले प्रपत्र 1 में आवेदक;

iv) उन सभी परियोजनाओं या गतिविधियों का मूल्यांकन, जिन्हें सार्वजनिक परामर्श से गुजरने या ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, निर्धारित आवेदन पत्र 1 के आधार पर किया जाएगा और

फॉर्म 1 ए जैसा लागू हो; और [2019] 5 एस. सी. आर.

(v) कुछ परियोजनाओं के लिए ईसी की वैधता के विस्तार के लिए एक संशोधित फॉर्म 1 जमा करके आवेदन किया जाना है।

वैधता अवधि।

60. प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी आधार के रूप में कार्य करती है -

जो 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया है। एक आवेदक को प्रपत्र में निर्धारित सभी सामग्री जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है ताकि अधिकारी व्यापक टीओआर तैयार कर सकें और सक्षम कर सकें।

सार्वजनिक परामर्श स्तर पर टिप्पणियाँ और अभ्यावेदन प्रदान करने के लिए संबंधित व्यक्ति। प्रपत्र 1 में मांगी गई जानकारी की गहराई अधिकारियों को प्रस्तावित परियोजना के सभी संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए है

और आवेदक को बाद के अध्ययन में इन चिंताओं को दूर करने का अवसर प्रदान करें। प्रपत्र 1 में गुम या भ्रामक जानकारी

अधिकारियों के कामकाज और अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है। इस कारण से, दोषपूर्ण प्रपत्र 1 के आधार पर दिया गया कोई भी आवेदन या ई. सी. तुरंत खारिज होने योग्य है। अधिसूचना के पैराग्राफ 8 का खंड (vi) इस प्रकार प्रदान करता हैः

" जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी या डेटा को छिपाना और/या जमा करना जो जांच या दायरे के लिए सामग्री है या आवेदन पर मूल्यांकन या निर्णय आवेदन को अस्वीकृति और पूर्व पर्यावरणीय रद्द करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

उस आधार पर मंजूरी दी गई। किसी आवेदन को अस्वीकार करना या पहले से दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द करना, ऐसे आधार पर, नियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद और निम्नलिखित के बाद निर्णय लिया जाएगाः

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत "।

सी. 2 हवाई अड्डों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका

2006 अधिसूचना ने 1994 के अपने पहले के अवतार के तहत "पूरी ईसी प्रक्रिया को फिर से तैयार किया" और नए क्षेत्रों को ईसी प्रक्रिया के दायरे में शामिल किया गया। 2006 की अधिसूचना में कहा गया है कि 39 विकासात्मक क्षेत्रों को पूर्व ईसी की आवश्यकता होती है। यह आशा की गई थी कि क्षेत्र विशिष्ट नियमावली मूल्यांकन की गुणवत्ता में मानकीकरण लाएगी और एस. ई. आई. ए. ए. एस. और एस. ई. ए. सी. द्वारा किए गए कार्यों के बीच संभावित विसंगतियों को दूर करेगी। मार्गदर्शन पुस्तिका का अध्याय IV, जिसका शीर्षक 'पर्यावरण का विवरण' है, ई. आई. ए. करने के लिए अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करता हैः

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" माप और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक डेटा; और माध्यमिक स्रोतों से माध्यमिक डेटा को हवाई अड्डा संदर्भ बिंदु (एआरपी) से 10 किमी के दायरे में अध्ययन क्षेत्र में एकत्र किया जाना है। प्राथमिक आँकड़ों में मानसून के अलावा एक अन्य मौसम को शामिल किया जाना चाहिए और द्वितीयक आँकड़ों में एक पूरे वर्ष को शामिल किया जाना चाहिए। चयन का आधार इन मानदंडों में से एक यह है कि विमान इस क्षेत्र में 1000 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है जिसके नीचे उसके उड़ान चरण के दौरान शोर और वायु प्रदूषण अधिकतम उत्पन्न होता है। विशेष रूप से उल्लिखित मापदंडों के लिए 15 किमी हवाई दूरी के भीतर द्वितीयक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए।

ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के प्रपत्र I के कॉलम 9 (III) पर। द्वितीयक डेटा का विवरण, द्वितीयक डेटा के संग्रह की विधि, प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसी तरह, पानी, हवा, मिट्टी और शोर आदि के निगरानी केंद्रों के प्रस्तावित स्थानों को अध्ययन क्षेत्र में दिखाया जाना चाहिए।

नक्शा "।

62. पर्यावरणीय मापदंडों का आधारभूत डेटा जो हो सकता है -

हवाई अड्डे की गतिविधियों से प्रभावित लोगों को अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक निगरानी और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। बेसलाइन डेटा सुविधा प्रदान करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण और ई. आई. ए. पद्धतियों का उपयोग करके अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरणीय विशेषताओं पर अनुमानित प्रभाव का मूल्यांकन। इसका उद्देश्य एक ऐसे ई. एम. पी. की तैयारी में भी सहायता करना है जो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के उपायों की रूपरेखा तैयार करेगा और साथ ही भविष्य में विस्तार की गुंजाइश को टिकाऊ तरीके से बनाए रखेगा। मार्गदर्शन पुस्तिका में विशेष रूप से निम्नलिखित पर आधार रेखा डेटा के संग्रह की आवश्यकता हैः (i) भूमि पर्यावरण; (ii) जल पर्यावरण; (iii) वायु पर्यावरण; (iv) शोर वातावरण; (v) जैविक पर्यावरण; (iv) सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण और (vii) ठोस पर्यावरण।

अपशिष्ट।

भूमि पर्यावरण पर आँकड़े एकत्र करने का महत्व है -

निम्नलिखित उद्धरण में जोर दिया गया हैः

" भूभाग और पहाड़ी ढलान, क्षेत्र की सामान्य ढलान और ऊंचाई, धाराओं और नदियों के प्रवाह की दिशा, जल निकाय और आर्द्र भूमि और वनस्पति जो एक साथ भूमि की भू-आकृति का वर्णन करती हैं, इस क्षेत्र में जल निकासी के स्वरूप को नियंत्रित करेंगी। जमीन।

हवाई अड्डे के निर्माण से खेत, भू-भाग प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्खनन, ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे स्थलाकृति में परिवर्तन हो सकता है। इससे असर पड़ सकता है

भूमि/भूभाग का जल निकासी पैटर्न। [2019] 5 एस. सी. आर. से संबंधित आधारभूत आंकड़े।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिमोट सेंसिंग तकनीकों और ग्राउंड ट्रुथिंग को नियोजित करके किया गया। वन क्षेत्र की पारिस्थितिकीय विशेषताएँ; कृषि भूमि; चराई भूमि; वन्यजीव अभयारण्य भूमि और राष्ट्रीय उद्यान; जीवों के प्रवासी मार्ग; जल निकाय; और जल निकासी के क्रम सहित जल निकासी पैटर्न का वर्णन किया जाना है। अध्ययन क्षेत्र में बस्तियों को ए. आर. पी. के संबंध में चित्रित किया जा सकता है साइट का नक्शा। ऊंची इमारतें, औद्योगिक क्षेत्र और क्षेत्र, बूचड़खाने और उड़ान सुरक्षा महत्व की अन्य विशेषताएं भी हो सकती हैं।

नक्शे पर अंकित। केंद्रीय जल बोर्ड भारत सरकार; राज्य भूजल विभाग, राज्य सिंचाई विभाग से द्वितीयक डेटा प्राप्त किया जाना है। इस क्षेत्र के भू-आकृति विज्ञान को स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाना है। भूमि उपयोग पैटर्न, निवास, फसल पैटर्न का अध्ययन,

और वन क्षेत्र का डेटा लिया जाता है। परियोजना स्थल के संबंध में जल निकायों, जल निकासी, जंगलों, सतह यात्रा मार्गों के स्थान की जानकारी अध्ययन क्षेत्र के भीतर प्राप्त की जाती है और मानचित्र पर प्लॉट की जाती है। यह मानचित्र प्राकृतिक ढलानों और जल निकासी के पैटर्न को दिखाएगा, जो नालियों की योजना बनाते समय एक दिशानिर्देश देते हैं।

हवाई अड्डा परियोजना में। परियोजना में बाढ़ और जलभराव से बचने के लिए नालियां हवाई अड्डे से तूफानी पानी छोड़ने में मदद करती हैं। क्षेत्र "।

जल पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है

पंखों के कारणः

" भूजल की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके रासायनिक मापदंडों में परिवर्तन से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होगी। निर्माण/संचालन के दौरान हवाई अड्डे की गतिविधियों का भूजल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। हवाई अड्डे के निर्माण के कारण मौजूदा निचले क्षेत्रों को ड्रेज्ड लूट के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ड्रेज्ड स्पॉइल से प्रदूषकों के भूजल में प्रवेश करने की संभावना है। इससे हवाई अड्डा क्षेत्र में प्रदूषकों के अवसादन में वृद्धि होने की संभावना है, जो समय के साथ पड़ोसी भूजल में स्थानांतरित हो सकते हैं। ठोस अपशिष्ट से होने वाला अपवाह, यदि कोई हो, जमीन में रिस सकता है और भूजल को दूषित कर सकता है। इसलिए, प्राथमिक सर्वेक्षण और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। निगरानी स्थानों को सी. पी. सी. बी. मानदंडों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना है जो आधारभूत स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

99 हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

वायु पर्यावरण के पहलू पर, मार्गदर्शन पुस्तिका में जोर दिया गया है

टोपीः

" विमान के इंजन ऐसे उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं जो किसी भी तेल आधारित ईंधन दहन के परिणामस्वरूप होने वाले अन्य उत्सर्जनों के समान होते हैं। ये, किसी भी निकास उत्सर्जन के लिए, जमीनी स्तर पर स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। यह जमीन से 1,000 फीट से नीचे के विमानों से उत्सर्जन है (आमतौर पर प्रस्थान से लगभग 3 किमी या आगमन के लिए, टचडाउन से लगभग 6 किमी) जो मुख्य रूप से स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने में शामिल हैं। ये उत्सर्जन हवा के साथ फैलते हैं और अन्य स्रोतों जैसे घरेलू स्रोतों से उत्सर्जन, उद्योगों से उत्सर्जन और सतह परिवहन से उत्सर्जन के साथ मिश्रित होते हैं।

हवाई अड्डों पर विमान संचालन के लिए जिम्मेदार स्थानीय उत्सर्जन में नाइट्रोजन 45, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन 47, सल्फर के ऑक्साइड शामिल हैं।डाइऑक्साइड 48, और कण पदार्थ (पीएम 10 और पीएम 2.5)।

63. मार्गदर्शन पुस्तिका जैविक पर ध्यान केंद्रित करती है

पर्यावरण। यह स्वीकार करता है कि हवाई अड्डे के संचालन से पर्यावरण बदल सकता है

तंत्र, लुप्तप्राय प्रजातियों को खतरे में डालते हैं और वन्यजीवों के आंदोलन और रीडिंग पैटर्न को बाधित करते हैं। इस संदर्भ में, परियोजना में संवेदनशील आवासों और जंगली या लुप्तप्राय प्रजातियों पर आधार रेखा ए. टी. ए. के संग्रह पर विचार किया गया है। मार्गदर्शन नियमावली इस प्रकार निर्धारित करती हैः

" हवाई अड्डे के संचालन से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ सकता है, लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा है, और स्थानीय वन्यजीवों की गतिविधियों और प्रजनन पैटर्न को बाधित करता है। हवाई अड्डे विभिन्न सेटिंग्स (शहरी और ग्रामीण दोनों) के भीतर स्थित हैं, जो अपने स्वयं के आवासों और प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जिनमें से कुछ का हवाई अड्डे पर स्थित लोगों के साथ सीधा संपर्क होगा और इसके विपरीत। कुछ स्थानीय क्षेत्रों को उनके प्रकृति संरक्षण मूल्य के लिए भी नामित किया जाएगा। इसलिए हवाई अड्डे के जैविक वातावरण को व्यापक परिदृश्य पैमाने के पारिस्थितिक तंत्र के एक अभिन्न घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। को।

इसे पूरा करें,

- विभिन्न स्थलीय क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अवलोकन से आधार रेखा डेटा

  और जलीय प्रणालियों का निर्माण किया जाना है।

- प्रामाणिक पिछले अभिलेखों के साथ आंकड़ों की तुलना निम्न से करें

  स्थिति परिवर्तन किए जाते हैं।

• नहीं, 5 सीओएक्स

एचसी

- भूमि, जल, वनस्पति और जीव जैसे पर्यावरणीय घटक

  विशेषताएँ हैं और,

- वनस्पति संरचना पर हवाई अड्डे के विकास का प्रभाव

  और परियोजना स्थल के आसपास को समझना होगा।

परियोजना क्षेत्र में संवेदनशील आवासों, जंगली या लुप्तप्राय प्रजातियों पर डेटा भी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से एकत्र किया जाना है। वन्यजीव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य क्षमता का प्रतीक है। जिस तरह जंगली वनस्पतियों को संरक्षण और विकास के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, उसी तरह जंगली जीव भी विशिष्ट उपचार के हकदार हैं।

भावी पीढ़ी के लिए रूढ़िवादी कार्य। वन्यजीव अधिनियम (1972) के अनुसार,

जंगली जानवरों को दुर्लभ, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त, असुरक्षित आदि के रूप में उनके लिए खतरे की तीव्रता के आधार पर वन्यजीव अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाता है। अध्ययन में जंगली जानवरों और पक्षियों के सर्वेक्षण पर प्राथमिक डेटा

क्षेत्र को एकत्र किया जाता है और द्वितीयक डेटा से ली गई विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकरण के साथ पहचाना जाता है।

64. यह 2006 की अधिसूचना और मार्गदर्शन नियमावली की पृष्ठभूमि में है कि अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन करना आवश्यक हो जाता है वर्तमान मामले और उसके परिणाम में।

डी वन

65. ई. सी. के लिए चुनौती का सार दो गुना है:

15 किलोमीटर की दूरी। 'पर्यावरण संवेदनशीलता' शीर्षक के तहत मद 2 में "पारिस्थितिक कारणों से महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्रों-आर्द्र भूमि, जल स्रोत या अन्य जल निकाय, तटीय क्षेत्र, जैव क्षेत्र, पहाड़ और वन" के स्पष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता है; और (ii) ई. आई. ए. रिपोर्ट के अध्याय II की तालिका 2 में परियोजना की सीमा से 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर ई. एस. जेड. का वर्णन किया गया है। के लिए

गोवा राज्य में, तालिका वनों की उपस्थिति को इंगित करती है लेकिन संरक्षित वनों की नहीं। महाराष्ट्र राज्य के लिए, तालिका 2 इंगित करती है कि परियोजना सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर न तो आरक्षित और न ही संरक्षित वन थे।

66. विद्वान एएसजी ने इसका समर्थन करने के लिए एक गंभीर प्रयास किया

यह आग्रह करते हुए कि एक आरक्षित वन वह है जिसे मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम की धारा 20 के तहत अधिसूचित किया गया है।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

भारतीय वन अधिनियम 1927। यह आग्रह किया गया था कि धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी करना केवल एक इरादे का संकेत है और एक वन धारा 20 की उप-धारा (2) के तहत केवल एक अधिसूचना जारी होने पर आरक्षित है। अधिसूचना। ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र पर जो निर्भरता रखी है, वह गलत है, क्योंकि धारा 20 के तहत अधिसूचना के अभाव में, वन को वन नहीं माना जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, यह आग्रह किया गया कि वास्तव में, ई. आई. ए. रिपोर्ट (तालिका 2 को छोड़कर) वन क्षेत्र को ध्यान में रखे। स्थल के आसपास और निर्धारित हवाई दूरी के भीतर। प्रपत्र 1 के संबंध में, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि उस स्तर पर, परियोजना प्रस्तावक से पर्यावरण की सभी विशेषताओं के बारे में जागरूक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इसलिए वनों और अन्य क्षेत्रों को संदर्भित करने में चूक जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं, उन्हें छूट दी जानी चाहिए।

67. हम आर्द्र भूमि, जल स्रोतों, जल निकायों, जैव क्षेत्रों, पहाड़ों और जंगलों का खुलासा करने में विफल रहने में परियोजना प्रस्तावक के रूप में गोवा राज्य के पेटेंट और घोर विफलता को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

फॉर्म 1 द्वारा आवश्यक 15 किलोमीटर की हवाई दूरी। प्रपत्र 1 में प्रकटीकरण उस प्रक्रिया की नींव है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर शुरू की जाती है। प्रपत्र 1 में प्रकटीकरण के बाद, टीओआर तैयार किया जाता है, और इससे ईआईए रिपोर्ट तैयार होती है। अध्ययन के क्षेत्र में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं का पूर्ण, पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण करने का कर्तव्य परियोजना प्रस्तावक पर डाला जाता है। परियोजना प्रस्तावक ऐसा नहीं कर सकता है

उस पर अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण के बारे में अज्ञानता का दावा करें। परियोजना प्रस्तावक प्रपत्र 1 में प्रकटीकरण करने में पारदर्शिता और शुद्धता के उच्चतम कर्तव्य से बंधा होता है।

68. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 2006 की अधिसूचना के तहत परिकल्पित पूरी प्रक्रिया में फॉर्म 1 एक महत्वपूर्ण घटक है।

इसलिए, 2006 की अधिसूचना के पैरा 8 के खंड (vi) में प्रावधान है कि जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी या डेटा को छिपाना या जमा करना।

जो आवेदन पर जांच या दायरा या मूल्यांकन या निर्णय के लिए सामग्री है, आवेदन को अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बना देगा और उस आधार पर दिए गए पूर्व ईसी को रद्द कर देगा। परियोजना प्रस्तावक के लिए जो घोषणा आवश्यक है, उसका प्रभाव समान है।

69. हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आवश्यक प्रकटीकरण एक अधिसूचना [2019] 5 एस. सी. आर. के भीतर समझे गए आरक्षित वनों का था।

एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किए गए वैधानिक रूप में मान्यता। 70. इस न्यायालय के निर्णय में 'वन' अभिव्यक्ति को व्यापक और सामान्य अर्थों में समझने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

गोडावर्मन (ऊपर)। इस न्यायालय ने कहाः

" 4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को आगे वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिकीय नुकसान होता है। असंतुलन; और इसलिए, वनों के संरक्षण के लिए और उनसे जुड़े मामलों के लिए उसमें किए गए प्रावधान, स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति के बावजूद सभी वनों पर लागू होने चाहिए। 'वन' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। इस विवरण में सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हैं, चाहे वे वन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2 (i) के उद्देश्य के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित हों। धारा 2 में आने वाले 'वन भूमि' शब्द में न केवल 'वन' शामिल होगा जैसा कि शब्दकोश के अर्थ में समझा जाता है, बल्कि सरकार में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र भी शामिल होगा।

स्वामित्व की परवाह किए बिना रिकॉर्ड करें। "

71. इसके बाद, ओखला पक्षी अभयारण्य (ऊपर) में, इस न्यायालय ने स्थिति को समझायाः

" एफ. सी. अधिनियम के उद्देश्य से "वन" और "वन भूमि" को परिभाषित करने वाले इस न्यायालय के लगभग सभी आदेशों और निर्णयों को खनन या लकड़ी के लिए पेड़ों की अवैध कटाई या अन्य वन उपज को अवैध रूप से हटाने या राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

भारत का संघ

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

ओखला पक्षी अभयारण्य (सुप्रा) में, पेड़ लगाए गए थे

एक शहरी उद्यान स्थापित करने का इरादा। इस अदालत ने यह "अकल्पनीय" पाया कि वे पेड़ "दस से बारह वर्षों की अवधि के भीतर जंगल में बदल जाएंगे और कृषि उपयोग के लिए भूमि को वन भूमि में परिवर्तित कर दिया जाएगा"। इसलिए, निर्णय एक तथ्य पर आधारित था

विशिष्ट स्थिति। निर्णय इस बात पर जोर देता है कि वन शब्द का अर्थ लगाने में, अदालतों को पाठ और संदर्भ दोनों का उचित सम्मान करना चाहिए।

72. 2006 की अधिसूचना और अंतर्निहित के संदर्भ में

ई. आई. ए. रिपोर्ट को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, 'वन' अभिव्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए।

इसका सामान्य और प्राकृतिक अर्थ है। प्रयास वनों को नजरअंदाज करने और नष्ट करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें नोटिस करने और उनकी रक्षा करने का होना चाहिए।

73. यह कहने के बाद, हमें वैकल्पिक प्रस्तुति में तल्लीन होना चाहिए

ई. आई. ए. रिपोर्ट, वास्तव में, अध्ययन क्षेत्र के भीतर गोवा और महाराष्ट्र दोनों में वन क्षेत्रों की व्यापकता पर विचार करती है। इस संदर्भ में, ई. आई. ए. रिपोर्ट पेश करने वाले कार्यकारी सारांश के पैरा 2 में स्वीकार किया गया है कि "हवाई अड्डे के आसपास की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से वन भूमि है"। भूमि पर्यावरण के संदर्भ में, ई. आई. ए. रिपोर्ट दर्ज करती है कि "अध्ययन क्षेत्र में वन प्रमुख भूमि उपयोग है"। ई. आई. ए. रिपोर्ट स्वीकार करती है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं।

प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से एक किलोमीटर दूर। गोवा और महाराष्ट्र में 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर विचार किया गया।

मूल्यांकन के लिए। पैरा 2.3। 1 अध्याय 2 भूमि उपयोग से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य में मोपा हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर के दायरे के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण के आंकड़ों को सारणीबद्ध किया गया है। उनमें से निम्नलिखित हैं:

क्षेत्र (वर्ग मीटर)

क्षेत्र

Sr.No।

वर्णन

(हा)

6634.19

वन-वृक्ष माला

66341913.84

5

क्षेत्र-घना

इसी तरह अध्याय IV में पैरा 4.4, जिसका शीर्षक 'सांख्यिकीय रूप से पर्यावरण का विवरण' है, इस प्रकार प्रदान करता हैः

" हवाई अड्डा स्थल के आसपास की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से वन भूमि है। स्थल का उत्तरी और पूर्वी भाग आरक्षित वन क्षेत्र है, जबकि पश्चिमी भाग बंजर और गाँव की खेती की भूमि है। द.

मौजूदा भूमि उपयोग योजना अनुलग्नक IX "[2019] 5 एस. सी. आर. के रूप में संलग्न है।

74. जैविक पर्यावरण से संबंधित पैरा 4.6 में "घने और खुले वन, कृषि भूमि, रेत के टीले की वनस्पति, आर्द्र भूमि और मानव निवास के रूप में स्थापित विविध प्रणाली" की उपस्थिति देखी गई है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का अनुलग्नक IX अध्ययन क्षेत्र में गोवा और महाराष्ट्र दोनों के लिए भूमि उपयोग/भूमि आवरण मानचित्र प्रदान करता है। अनुलग्नक IX के नक्शे परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर की हवाई सीमा के भीतर महाराष्ट्र और गोवा के वन क्षेत्रों को कवर करते हैं। अनुलग्नक XI में गोवा और महाराष्ट्र के लिए जल भू-आकृति विज्ञान मानचित्र हैं।

75. हालांकि ई. आई. ए. की रिपोर्ट गोवा और महाराष्ट्र में अध्ययन क्षेत्र के भीतर जंगलों की उपस्थिति का संकेत देती है, लेकिन हमें इस पर विचार करना होगा

ई. ए. सी. द्वारा टी. ओ. आर. तैयार करने के लिए प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है। ई. ए. सी. में विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका गठन, अन्य कारणों के अलावा, प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी का आकलन करने और व्यापक टीओआर तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। फॉर्म 1 में किए गए खुलासों के बीच एक आंतरिक संबंध है जो टीओआर तैयार करने का आधार है और टीओआर द्वारा आवश्यक ईआईए रिपोर्ट और अंतिम ईआईए रिपोर्ट के दायरे के बीच है। टी. ओ. आर. मार्गदर्शन करता है ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करना। प्रपत्र में जानकारी का खुलासा करने में विफलता

1 टी. ओ. आर. तैयार करने में ई. ए. सी. के कामकाज को बाधित करता है और इसके परिणामस्वरूप, ई. आई. ए. रिपोर्ट की कमी हो जाती है।

76. यह निवेदन कि ई. आई. ए. रिपोर्ट वन क्षेत्रों की व्यापकता से संबंधित है और ई. सी. के अनुदान की गारंटी देती है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

एक और कारण से। ई. ए. सी. और एस. ई. ए. सी. को सम्मानित किया जाता है

ई. सी. के अनुदान के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार, टी. ओ. आर. की तैयारी से पहले, कार्यक्षेत्र के स्तर पर ही। प्रपत्र 1 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ई. सी. पर अधिकार के रूप में दावा करना केवल इसलिए कि ई. आई. ए. रिपोर्ट में उन मापदंडों का आकलन किया गया है जिन्हें प्रपत्र 1 में छोड़ दिया गया था, प्रारंभिक चरण में एक आवेदन को अस्वीकार करने के लिए ई. ए. सी. और एस. ई. ए. सी. के अधिकार को दरकिनार करता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियामक प्राधिकरण को "सख्ती से टीओआर के संदर्भ में" प्रस्तुत अंतिम दस्तावेजों का आकलन करने और ईएसी और एसईएसी को सूचित करने की आवश्यकता होती है।

ई. आई. ए. रिपोर्ट और टी. ओ. आर. के बीच कोई विसंगतियाँ। प्रपत्र 1 में भौतिक जानकारी का खुलासा न करने के आधार पर टी. ओ. आर. की कमी इस प्रक्रिया को बाधित करती है।

हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। भारत का संघ

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

77. 2006 की अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रपत्र 1 में सामग्री जानकारी का खुलासा करने में एक परियोजना प्रस्तावक की ओर से विफलता है

अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के साथ। अधिसूचना की शर्तें सख्त मानकों को निर्धारित करती हैं जिनका एक प्रस्तावित परियोजना के लिए ईसी की मांग करने वाले आवेदक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय अनुपालन स्थापित करने का भार एक परियोजना प्रस्तावक पर निर्भर करता है जो पर्यावरण की मौजूदा स्थिति में बदलाव लाने का इरादा रखता है। जबकि, वर्तमान मामले में, इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रपत्र 1 में निर्धारित अनिवार्य प्रकटीकरण करने में पेटेंट विफलता हुई है। 2006 की अधिसूचना के तहत, इसके कानूनी परिणाम होने चाहिए। पर्यावरण के साथ कोई जुआ नहीं हो सकता हैः एक 'सिर मैं जीतता हूं, पूंछ आप हारते हैं' दृष्टिकोण बस अस्वीकार्य है; अस्वीकार्य अगर हमें संरक्षित करना है

कानून के शासन के तहत पर्यावरण शासन।

ई पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड)

78. अपीलार्थियों के मामले का आधार ई. आई. ए. रिपोर्ट में निहित निम्नलिखित उद्धरण पर आधारित हैः

" पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों की समृद्ध और अद्वितीय जैव विविधता को देखते हुए पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय अखंडता और समग्र विकास के संरक्षण का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (विज्ञान) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह (एचएलडब्ल्यूजी) का गठन किया था। एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने 15 अप्रैल 2013 को एम. ओ. ई. एफ. को अपनी रिपोर्ट सौंपी। एच. एल. डब्ल्यू. जी. ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ई. एस. ए.) के रूप में उच्च जैविक समृद्धि, कम वन विखंडन, कम जनसंख्या घनत्व और संरक्षित क्षेत्रों, विश्व धरोहर स्थलों और बाघ और हाथी गलियारों वाले 37 प्रतिशत प्राकृतिक परिदृश्य की पहचान की है। वर्तमान प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थल पेरनेम के अंतर्गत आता है।

उत्तरी गोवा जिले का तालुका। पेरनेम तालुका को एच. एल. डब्ल्यू. जी. द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है। ई. एस. ए. पर एम. ओ. ई. एफ. आदेश अनुलग्नक XVI के रूप में संलग्न है। ”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री शेनॉय के अनुसार, ई. आई. ए. रिपोर्ट 15 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को नोटिस करती है। निवेदन यह है कि ई. आई. ए. रिपोर्ट

कस्तूरिरंगन रिपोर्ट द्वारा ई. एस. जेड. के रूप में बताए गए क्षेत्रों पर आसानी से प्रकाश डाला गया है। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो इस आधार पर अध्ययन क्षेत्र के भीतर आते हैं कि पेरनेम तालुका, जहां परियोजना स्थल स्थित है, को ईएसजेड के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, एमओईएफसीसी द्वारा 3 अक्टूबर 2018 को जारी एक मसौदा अधिसूचना पर निर्भरता रखी गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 56,825 वर्ग मीटर को अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है यह पश्चिमी घाट ईएसजेड के रूप में छह राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। प्रारूप अधिसूचना की प्रस्तावना एच. एल. डब्ल्यू. जी. की रिपोर्ट के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा 2013 और 2016 के बीच उठाए गए कदमों को दर्शाती है। इसमें 10 मार्च 2014 और 4 सितंबर 2015 को जारी मसौदा अधिसूचनाएं शामिल हैं। 3 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना के मसौदे में वैश्विक जैव विविधता के प्रमुख स्थल के रूप में पश्चिमी घाट के महत्व पर जोर दिया गया हैः

" जबकि पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के किनारे पर एक महत्वपूर्ण भूगर्भीय भू-आकृति है और यह गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और कई अन्य नदियों का उद्गम स्थल है और उत्तर में ताप्ती नदी से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर 600 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई के साथ दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और छह राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिल से होकर गुजरता है।

नाडू;

और जबकि, पश्चिमी घाट एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट और जैविक विविधता का खजाना है और इसमें कई आश्रय हैं।

फूलों के पौधों, स्थानिक मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों और अकशेरुकी जीवों की स्थानिक प्रजातियां भी हैं।

आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, आम और कटहल जैसी पालतू पौधों की प्रजातियाँ;

और जबकि पश्चिमी घाट में कई अनूठे आवास हैं जो वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का घर हैं जैसे कि मिरिस्टिका दलदल, समतल-शीर्ष लेटराइटिक पठार,

शोला और आर्द्रभूमि और नदी पारिस्थितिकी तंत्र;

और जबकि, यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के कुछ चिन्हित हिस्सों को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल किया है क्योंकि पश्चिमी घाट कई प्रजातियों के मूल का केंद्र है जैसे कि मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

समृद्ध स्थानिक जैव विविधता के लिए भी घर और इसलिए इसके लिए एक पालना जैविक विकास; "

79. सुश्री शेनॉय ने इस बात पर जोर दिया है कि तालुका के सोलह गाँव

अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी जिले को 3 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना के मसौदे के अनुलग्नक में ई. एस. जेड. के रूप में मैप किया गया है। वे इस प्रकार हैं:

गाँव का नाम	तालुक	जिला	" राज्य
तंबोली	सावंतवाड़ी	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र
कुंभवाड़े	सावंतवाड़ी	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र
सावंतवाड़ी देगवे	सिंधुदुर्ग		महाराष्ट्र
सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी			महाराष्ट्र
बांदा	सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी पडवे मजगांव		महाराष्ट्र

सावंतवाड़ी

सिंधुदुर्ग

रोनपाल

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी पाडवे

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी डंडेली

सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्र

सावंतवाड़ी

मदुरा

सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी डिंगने

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी अरोस

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी गलेल

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग सावंतवाड़ी कोंडुरे

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग

सावंतवाड़ी। सतार्दा

महाराष्ट्र

सावंतवाड़ी डोंगरपाल

सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्र

सतेली

महाराष्ट्र

सिंधुदुर्ग

सावंतवाड़ी

टार्फ

सौंडल "

80. अनुलग्नक IX के साथ उपरोक्त गाँवों की तुलना

ई. आई. ए. रिपोर्ट इंगित करती है कि उपरोक्त गाँवों में से कई जिन्हें मसौदा अधिसूचना में ई. एस. जेड. के रूप में मैप किया गया है, परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इसलिए, सुश्री शेनॉय का प्रस्तुतिकरण एक गहन विश्लेषण के योग्य है।

81. ई. आई. ए. रिपोर्ट ने इस अवलोकन के साथ सामग्री को आराम दिया है कि

पेरनेम तालुका, जहाँ परियोजना स्थल स्थित है, ईएसजेड नहीं है। यह पर्याप्त या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ई. आई. ए. रिपोर्ट का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र के भीतर आने वाले ई. एस. जेड. का मूल्यांकन करना है। उपरोक्त निवेदन पर श्री नाडकर्णी की प्रतिक्रिया यह हैः (i) न तो मोपा पठार और न ही पेरनेम तालुका पश्चिमी घाट का हिस्सा है; (ii) डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एचएलडब्ल्यूजी ने निर्दिष्ट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की, जबकि अन्य गतिविधियों के लिए, 2006 की अधिसूचना [2019] 5 एस. सी. आर. थी।

पालन किए जाने की आवश्यकता है; (iii) ई. आई. ए. रिपोर्ट, परियोजना पर विचार करते समय, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को भी संदर्भित करती है; और (iv) निषिद्ध श्रेणी को छोड़कर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अनुमेय हैं, जो एक ई. आई. ए. ए. के अधीन हैं। 82. 15 अप्रैल 2013 की एच. एल. डब्ल्यू. जी. की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ई. एस. जेड. में खनन, उत्खनन और रेत खनन गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी तरह, यह अनुशंसा करता है कि ई. एस. जेड. एस. में किसी भी ताप विद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सभी 'लाल श्रेणी' के उद्योगों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 20, 000 वर्ग मीटर की इमारत और निर्माण परियोजनाएं

मीटर या उससे अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, अन्य सभी बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं, जिनकी सिफारिश की गई है, 2006 की अधिसूचना की श्रेणी 'ए' परियोजनाओं के तहत ईसी के अनुदान के अधीन होनी चाहिए। 83. केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में 13 नवंबर 2013 को एक अधिसूचना जारी की।

1986 इस प्रभाव से कि उन निर्देशों को जारी करने की तारीख से ई. ए. सी. एस./एम. ओ. ई. एफ. द्वारा किसी भी लंबित मामले या नए मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

या निम्नलिखित उद्योगों को शामिल करने वाले एस. ई. ए. सी. एस./एस. ई. आई. ए. ए.:

(क) खनन, उत्खनन और रेत खनन;

(ख) ताप विद्युत संयंत्र;

(ग) 20,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्र की भवन और निर्माण परियोजनाएं। (घ) 50 हेक्टेयर और उससे अधिक के क्षेत्र के साथ टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएं और/या 1,50,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र के साथ; और

(ङ) 'लाल श्रेणी' के उद्योग।

84. ए. एस. जी. की प्रस्तुति यह है कि ई. एस. जेड. में श्रेणी 'ए' परियोजना स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बुनियादी ढांचा परियोजना

जैसे कि हवाई अड्डा निषिद्ध गतिविधियों के दायरे में नहीं आता है। जो आवश्यक है वह यह है कि परियोजना का मूल्यांकन इसके संदर्भ में किया जाना चाहिए 2006 अधिसूचना।

85. ई. आई. ए. रिपोर्ट से जो स्पष्ट कमी सामने आती है, वह परियोजना स्थल के 10 किलोमीटर की बफर दूरी के भीतर ई. एस. जेड. के अस्तित्व पर ध्यान देने में विफलता है। एक ओर, ई. आई. ए. रिपोर्ट में 15 अप्रैल 2013 की एच. एल. डब्ल्यू. जी. रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया है। लेकिन, दूसरी ओर, ई. आई. ए. मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

रिपोर्ट अध्ययन क्षेत्र के भीतर ईएसजेड के अस्तित्व को इस आधार पर नजरअंदाज करती है कि परियोजना स्थल ईएसजेड में स्थित नहीं है। जैसा कि हमने देखा है, इसे कभी भी पर्याप्त प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उद्देश्य और उद्देश्य

इस बात पर विचार करते हुए कि अध्ययन क्षेत्र के भीतर ई. एस. जेड. की उपस्थिति है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। 86. ई. एस. जेड. पर प्रस्तावित गतिविधि के प्रभाव का अनुमान लगाने में, प्रस्तावित गतिविधि के सामान्य मूल्यांकन का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर गतिविधि। ई. आई. ए. रिपोर्ट में उन विशिष्ट विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बनाती हैं। इनमें पर्यावरण संबंधी चिंता के सभी पहलू शामिल होंगे जो इस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बनाते हैं। इसमें आर्द्र भूमि, जल स्रोत, जल निकाय, तटीय क्षेत्र, जैव क्षेत्र, पहाड़ और वन शामिल होंगे।

उनमें से प्रत्येक की कमजोरियों का अध्ययन विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए। एक श्रृंखला में उनके अस्तित्व के समग्र विश्लेषण के साथ घटक

जैव-विविधता। जहाँ कोई क्षेत्र संरक्षण की आवश्यकता वाली वनस्पतियों या जीवों की उपस्थिति के कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, उसे विशेष रूप से विज्ञापित और अध्ययन किया जाना चाहिए। ई. आई. ए. रिपोर्ट की कमी सामने आती है। यह ध्यान देने में विफलता कि अध्ययन का उद्देश्य केवल यह निर्धारित करना नहीं था कि परियोजना स्थल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है या नहीं। सीमित करना।

इस पहलू के लिए, ई. आई. ए. रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पर विचार करने में विफल रही। विचार करें।

एफ नमूना बिंदु

87. अपीलार्थियों का निवेदन है कि मार्गदर्शन नियमावली में ए. आर. पी. से 10 किलोमीटर के दायरे में अध्ययन क्षेत्र में उपायों और क्षेत्र अध्ययनों के माध्यम से प्राथमिक डेटा के संग्रह की आवश्यकता होती है। 2006 की अधिसूचना के फॉर्म 1 के कॉलम 9 (III) में उल्लिखित मापदंडों के लिए 15 किलोमीटर हवाई दूरी के भीतर द्वितीयक डेटा एकत्र किया जाना है। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया था कि किसी भी मापदंड के संदर्भ में एक भी नमूना केंद्र महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ए के रूप में नतीजतन, किसी भी मापदंड के लिए कोई भी नमूना स्थल अध्ययन क्षेत्र के 40 प्रतिशत के भीतर नहीं आता है। नतीजतन, 2011 और 2014 में क्रमशः दो नमूनों को लेने के बावजूद कोई प्राथमिक डेटा संग्रह नहीं किया गया। इस प्रस्तुति के जवाब में, यह आग्रह किया गया है कि सभी नमूना बिंदु मार्गदर्शन नियमावली के पैरा 4 पर आधारित थे। नतीजतन, यह प्रस्तुत किया गया कि [2019] 5 एस. सी. आर.

प्रभाव के साथ गोवा और महाराष्ट्र के भीतर के क्षेत्रों का अध्ययन किया गया

अध्ययन करते हैं। प्रस्तुतिकरण का आकलन करने के लिए, ई. आई. ए. रिपोर्ट के प्रासंगिक पहलुओं का उल्लेख करना आवश्यक है:

एफ. 1 वायु गुणवत्ता

88. निलंबित कण पदार्थ, श्वसन योग्य कण पदार्थ, एस. ओ. 2, एन. ओ. एक्स., सी. ओ. और के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता का अध्ययन करने के लिए।

छह स्थानों पर उच्च न्यायालय, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए थे। वे सिनेचाडविन, कटवाल, मोपा गाँव, पेरनेम, नागजोर और पत्रादेवी में हैं। सभी गोवा में हैं। पत्रादेवी का स्थान गोवा द्वारा महाराष्ट्र के साथ साझा की गई सीमा पर था। अध्ययन क्षेत्र एआरपी से 10 किलोमीटर की रेडियल दूरी तक फैला हुआ था। हम ए. एस. जी. के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि वे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के भीतर आने वाले क्षेत्रों को शामिल करेंगे। पैरा 4.1. 2 ई. आई. ए. रिपोर्ट के अध्याय IV में निगरानी स्टेशनों पर एकत्र किए गए आधारभूत आंकड़ों को निर्धारित किया गया है। चूंकि 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर पूरे अध्ययन क्षेत्र को वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए माना गया था, इसलिए हम इस निवेदन को स्वीकार करते हैं कि गोवा के भीतर नमूना बिंदु अध्ययन क्षेत्र के भीतर वायु गुणवत्ता की निगरानी को बाधित नहीं करते थे।

एफ. 2 पानी की गुणवत्ता

89. ई. आई. ए. रिपोर्ट के पैरा 4.2 में कहा गया है कि भूजल की गुणवत्ता

चार स्थानों पर मापा गयाः अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर मोपा गाँव, पेरनेम, दरगल और पत्रादेवी को चिह्नित किया गया है। सतही जल की गुणवत्ता को तीन स्थानों पर मापा गयाः अध्ययन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर मोपा गांव के पास चपोरा नदी, तिराईकोल नदी और नाला। प्रभाव आकलन ई. आई. ए. रिपोर्ट में निहित है। मोपा पठार समुद्र तल से 155 मीटर की ऊँचाई पर है और पठार का पानी गोवा राज्य में नदियों में बहता है। लेटराइट पठार प्राकृतिक चैनल प्रदान करके जल निकासी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी। जल निकायों को पानी देने वाले प्राकृतिक चैनलों के बंद होने पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के प्रभाव का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण या अध्ययन नहीं किया गया है।

एफ. 3 ध्वनि की गुणवत्ता

90. शोर की गुणवत्ता की निगरानी करते हुए, ई. आई. ए. रिपोर्ट ने 10 किलोमीटर के दायरे को कवर किया। ध्वनि की गुणवत्ता का आधारभूत डेटा प्राप्त करने के लिए, अध्ययन क्षेत्र में नौ निगरानी स्टेशनों का चयन किया गया था। हालांकि यह सच है कि सभी नौ स्थान गोवा राज्य में स्थित थे, एक (पत्रादेवी) गोवा और महाराष्ट्र के बीच साझा सीमा पर स्थित था।

ई. आई. ए. रिपोर्ट में एक प्रभाव अध्ययन शामिल है और अध्ययन क्षेत्र में दोनों राज्य शामिल हैं।

एफ. 4 वनस्पति और जीव

91. ई. आई. ए. रिपोर्ट इंगित करती है कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए स्थल के आसपास के क्षेत्र में घने जंगल हैं। ये कुल मिलाकर लगभग 6,634.19 हेक्टेयर 5 0 तक हैं। सुश्री शेनॉय ने आग्रह किया है कि यह असंभव है कि परियोजना के प्रस्तावक द्वारा प्राथमिक नमूने और दोनों के माध्यम से पाए गए जीव-जंतु

द्वितीयक स्रोत केवल जानवरों तक ही सीमित थे जैसे किः घरेलू कुत्ता, बिल्ली और मवेशी, आम घरेलू चूहा, चूहा और नेवला, सियार और तीन धारीदार ताड़ गिलहरी। यह, उनकी प्रस्तुति में, एक स्पष्ट संकेत है ई. आई. ए. रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण और स्पष्ट रूप से गलत है।

92. उपरोक्त प्रस्तुतियों से निपटने के दौरान, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मार्गदर्शन पुस्तिका में एक विशिष्ट संदर्भ है - परियोजना क्षेत्र में संवेदनशील आवासों और जंगली/लुप्तप्राय प्रजातियों के आंकड़ों का संग्रह। मार्गदर्शन नियमावली इस प्रकार निर्धारित करती हैः

" परियोजना क्षेत्र में संवेदनशील आवासों, जंगली या लुप्तप्राय प्रजातियों पर डेटा भी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से एकत्र किया जाना है। वन्यजीव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य क्षमता का प्रतीक है। जिस तरह जंगली वनस्पतियों को संरक्षण और विकास के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, उसी तरह जंगली जीवों के लिए भी विशिष्ट संरक्षणात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। भावी पीढ़ी "।

93. शिकायत यह है कि महाराष्ट्र राज्य से कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया है और परियोजना द्वारा एकत्र किए गए सभी द्वितीयक डेटा हैं

प्रस्तावक केवल गोवा राज्य से संबंधित है। प्रस्तुतिकरण में सार है जिसका आग्रह अपीलार्थी की ओर से किया गया है। गोवा राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को पढ़ना अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का समर्थन करता प्रतीत होता है। यह कहा गया हैः

" मैं कहता हूं कि कई मान्यता प्राप्त प्रकाशनों और शोध पत्रों को एकत्र किए गए आंकड़ों को सत्यापित करने और मूल्यांकन करने के लिए संदर्भित किया गया था, जिनमें से कुछ प्रकाशनों के नाम हैंः आई. हेंज लैनर और राहुल अलवारेस द्वारा गोवा के पक्षी;

49 उदाहरण के लिए कार्यकारी सारांश के पैरा 2 और पैरा 2 देखें। 1 अध्याय I 50। पैरा 2.3 देखें।

ii. निर्मल कुलकर्णी की द गोवा जंगल बुक;

iii. पराग रागनेकर द्वारा गोवा की तितलियों के लिए एक फोटोग्राफिक गाइड; iv. गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगरहावली की वनस्पति (Vol.1)

आर एस राव;

वी. गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगरहावली की वनस्पति (Vol.2)

आर एस राव;

vi. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक; vii. गोवा ई. एन. वी. आई. एस. केंद्र में प्रकाशित अध्ययन सामग्री भी थी।

संदर्भित "।

दूसरी ओर, अपीलार्थी ने निम्नलिखित सहित कई गहन अध्ययनों पर भरोसा करने की कोशिश की हैः

" ए। गिरीश पंजाबी (वन्यजीव जीवविज्ञानी) और अतुल एस. बोरकर (आई. यू. सी. एन./एस. एस. सी. ऊदबिलाव विशेषज्ञ समूह के पूर्ण सदस्य) द्वारा बराज़ान पठार, मोपा, गोवा, भारत में स्तनधारियों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए एक त्वरित सर्वेक्षण किया गया, जिसमें गौर, तेंदुआ और भारतीय पैंगोलिन जैसी पहली अनुसूची की प्रजातियां; विशाल गिलहरी, आम पाम सिवेट जैसी दूसरी अनुसूची की प्रजातियां; सांभर, जंगली सुअर और अनुसूची की तीसरी अनुसूची की प्रजातियां शामिल हैं। IV प्रजातियाँ जैसे भारतीय खरगोश, भारतीय साही।

रिपोर्ट में सावंतवाड़ी की उपस्थिति का भी उल्लेख है।

10 किलोमीटर प्रस्तावित परियोजना के भीतर डोडामार्ग वन्यजीव गलियारा

साइट।

बी। ओटर के साक्ष्य खोजने के लिए किए गए एक दिवसीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट करें

अतुल बोरकर (आई. यू. सी. एन./एस. एस. सी. ऊदबिलाव विशेषज्ञ समूह के पूर्ण सदस्य) द्वारा आयोजित मोपा, गोवा में उपस्थिति ने पाया कि पठार पर एक बारहमासी धारा में चिकनी लेपित ऊदबिलाव की उपस्थिति थी, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के भीतर आती है।

सी। पादप और पक्षी के प्रमाण खोजने के लिए दो दिवसीय सर्वेक्षण पर रिपोर्ट करें

अपर्णा वटवे (पारिस्थितिकीविद्) और संजय ठाकुर (वन्यजीव जीवविज्ञानी) द्वारा संचालित मोपा पठार की प्रजातियों ने भारतीय मोर और डिपकाडी कॉनकेनीज जैसी अनुसूची I प्रजातियों की खोज की। गंभीर रूप से लुप्तप्राय। अध्ययन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ई. आई. ए. अध्ययन में पूरी कमी है

क्योंकि यह क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों के साथ-साथ काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या पर सटीक रूप से विचार नहीं करता है। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

94. हम पाते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों का संग्रह

ई. आई. ए. रिपोर्ट में जीव-जंतुओं का डेटा कार्यात्मक नहीं था। प्राथमिक अध्ययन है -

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जैसे मान्यता प्राप्त स्रोतों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित नहीं है, जैसा कि मार्गदर्शन नियमावली के तहत आवश्यक है। इसी तरह, पक्षी-जीव अध्ययन के संबंध में, ई. आई. ए. रिपोर्ट में अध्याय IV की तालिका 4.15 में 385 पौधों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसका शीर्षक 'पर्यावरण पर विवरण' है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित स्थल से 10 किलोमीटर के अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान पक्षियों की 86 प्रजातियां देखी गईं। प्रपत्र 1 के कॉलम 9 (III) में निम्नलिखित शब्दों में "क्षेत्रों" को संदर्भित किया गया हैः

" संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र प्रजनन, चारा, घोंसला बनाने, आराम करने के लिए वनस्पतियों या जीवों का

शीतकाल या प्रवास "।

उपरोक्त स्तंभ को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपत्र में खाली छोड़ दिया गया था।

1. गाइडेंस मैनुअल के अनुसार, विशेष रूप से मापदंडों के लिए 15 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर द्वितीयक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए

2006 की अधिसूचना के प्रपत्र 1 के कॉलम 9 (III) में निर्दिष्ट। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया था। एक सावधानीपूर्वक पक्षी-जीव अध्ययन आवश्यक था, जिसमें

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित परियोजना एक हवाई अड्डा स्थल है। हवाई अड्डे के संचालन की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डे और उसके आसपास पक्षियों की प्रजातियों द्वारा चारा या घोंसला बनाने को त्याग नहीं दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक हवाई अड्डे की स्थापना से जुड़ी परियोजना में, ई. आई. ए. रिपोर्ट को पक्षियों पर हवाई अड्डे के प्रभाव और इसी तरह विमान संचालन पर पक्षियों के प्रभाव से निपटना चाहिए।

एफ. 5 पेड़ों की कटाई

95. पैरा 2. 5 ई. आई. ए. रिपोर्ट सौदों के कार्यकारी सारांश का

जैविक वातावरण के साथ। पैरा 2. 5 इस प्रकार निर्धारित करता हैः

" प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए आवश्यक क्षेत्र में केवल कुछ ही पेड़ हैं।

मुख्य रूप से झाड़ियाँ। इन्हें स्थल की तैयारी के दौरान साफ किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

इसी तरह, परियोजना विवरण से संबंधित अध्याय II निर्दिष्ट करता है

पैरा 2.3 में। 1 कि "स्थल पर वनस्पति और पेड़ विरल हैं"। वर्तमान कार्यवाही में गोवा राज्य द्वारा दायर जवाब से यह स्पष्ट है कि जिन पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी, वे "कम" नहीं थे, जहां यह कहा गया है कि कटाई [2019] 5 एस. सी. आर. के लिए अनुमति दी गई थी।

54, 676 पेड़। ई. आई. ए. रिपोर्ट ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ई. आई. ए. रिपोर्ट में यह प्रस्तुत करना कि केवल विरल पेड़ थे, राज्य द्वारा परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के बड़े क्षेत्र के दृष्टिकोण से समझाया जाना चाहिए। यह समझाने की कोशिश की जाती है कि चूंकि कुल क्षेत्रफल 2,133 एकड़ है, इसलिए पेड़ों की संख्या आनुपातिक रूप से एक एकड़ (160 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगभग एक पेड़) के क्षेत्र में लगभग 25 पेड़ों के बराबर होगी। जनहित याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में, जिसे हमने पहले स्वीकार किया है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, गोवा ने 2 अप्रैल 2018 को एक आदेश पारित किया जिसमें (i) सभी पेड़ों की गणना; (ii) प्रत्यारोपण की संभावना का पता लगाने का प्रावधान किया गया था।

वन विभाग की देखरेख में रियायत प्राप्तकर्ता। 96. 6 फरवरी 2018 को उप वन संरक्षक ने 21,703 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी। बर्खास्तगी के बाद

फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा दायर गोवा, दमन और दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1984 की धारा 15 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने उप वन संरक्षक के आदेश को दरकिनार कर दिया और कार्यवाही को प्रधान मुख्य संरक्षक को भेज दिया, जिन्होंने आदेश पारित किया जो ऊपर उल्लेख किया गया है। प्रधान मुख्य संरक्षक के आदेश के बाद 54,676 पेड़ों की गणना की गई। सक्षम प्राधिकारी ने इसके बाद निम्नलिखित पर पेड़ों की कटाई की अनुमति दीः

तिथियाँः (i) 20 अप्रैल 2018 के आदेश द्वारा 1,422 पेड़; (ii) 24 जुलाई 2018 के आदेश द्वारा 18,408 पेड़ और (iii) 1 जुलाई 2018 के आदेश द्वारा 33,298 पेड़।

अक्टूबर 2018। इस कवायद के बाद, पेड़ों की कटाई 18 जनवरी 2019 को पूरी की गई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक का आदेश लंबित कार्यवाही में एनजीटी की विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा, एनजीटी के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया गया था। मुख्य अपील का निपटारा करते हुए एनजीटी ने विविध याचिकाओं का भी निपटारा किया आवेदन और 'जैविक पर्यावरण' के शीर्ष के तहत, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैंः

51 2018 का डब्ल्यू. पी. नंबर 1 मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" ई. जैविक पर्यावरण

1. उपयुक्त यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करके पेड़ों को उसी आसपास के अन्य स्थानों पर प्रत्यारोपित करने का प्रयास किया जाए जो हैं -

इन दिनों उपलब्ध है।

2. स्वदेशी प्रजातियों को लगाने का प्रयास किया जाए जो ऊँची हों।

छोटे पौधों के बजाय आकार।

3. पादप प्रजाति 'डिपकाडी कॉन्कैनेंस' के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा चिंता व्यक्त की गई है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि

संकटग्रस्त पौधा। अपीलार्थियों के इस दावे को प्रत्यर्थी द्वारा वनस्पति विज्ञान का एक दस्तावेज प्रस्तुत करके अस्वीकार कर दिया गया है। भारतीय सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, पुणे, महाराष्ट्र का शीर्षक "ए नोट ऑन ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपकाडी कॉन्कैनेंस" है। एहतियाती सिद्धांत का आह्वान करते हुए, हम परियोजना प्रस्तावक को वन विभाग, गोवा राज्य और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के सहयोग से 'डिपकाडी कॉन्कैनेंस' के लिए योजना/योजना द्वारा एक संरक्षण तैयार करने और इसके प्रभावी मार्गदर्शन को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।

97. जिस तरह से ई. आई. ए. रिपोर्ट में पेड़ों के अस्तित्व को कम करने का प्रयास किया गया है, हम उस पर अपनी गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं।

ई. आई. ए. की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया है कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए आवश्यक क्षेत्र में केवल कुछ ही पेड़ हैं, जिनमें से ज्यादातर झाड़ियाँ हैं। ई. आई. ए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थल पर वनस्पति और पेड़ विरल हैं। एक तस्वीर और एक गूगल मानचित्र छवि को अध्याय II के चित्र 2.3 में चित्रण के रूप में रखा गया है। बाद में यह महसूस करना कि इस परियोजना में 54,676 पेड़ों की कटाई शामिल है, इस मुद्दे पर घुड़सवार दृष्टिकोण और तथ्य की प्रक्रिया का संकेत है। ऐसी खोज करना जो सच्चाई के साथ असंगत हो। पर्यावरण शासन के क्षेत्र में उचित प्रक्रिया की विफलता से निपटने के लिए कार्योत्तर स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं। गोवा राज्य हमें 2,133 एकड़ के परियोजना क्षेत्र में 54,676 पेड़ों को औसतन 25 पेड़ प्रति एकड़ या 160 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक पेड़ के रूप में प्रस्तुत करके पेड़ों की कटाई पर नज़र रखने के लिए कहेगा। यह इस मुद्दे पर एक गलत दृष्टिकोण है। गणितीय औसत वृक्षों की वास्तविक संख्या के बारे में तथ्यात्मक आंकड़ों को विस्थापित नहीं कर सकते हैं।

जो परियोजना से प्रभावित थे। ई. आई. ए. रिपोर्ट होनी चाहिए

पेड़ों की संख्या, उनकी प्रकृति और दीर्घायु की जांच की। ई. आई. ए. रिपोर्ट में इस तरह के मुद्दों पर विचार किया जाना था कि पेड़ या उनमें से कुछ किस हद तक प्रत्यारोपण करने में सक्षम थे। [2019] 5 एस. सी. आर. का स्थान।

पेड़ भी महत्वपूर्ण हैं। किसी मामले में, यदि पेड़ समूह में या परियोजना स्थल के हिस्सों में घने रूप में दिखाई देते हैं, तो यह निर्धारित करना आवश्यक होगा कि परियोजना को लागू करने के लिए उन सभी को काटना आवश्यक था या नहीं।

98. गोवा राज्य द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों में, यह प्रस्तुत किया गया है कि जिन 54,676 टीज़ को रद्द किया गया था, उनमें सेः (i) 59 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 32,193 पेड़ों का घेरा 30 से 50 सेंटीमीटर था; (ii) 36 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले 19,903 पेड़ों का घेरा 50 से 100 सेंटीमीटर था; और (iii) केवल 2,580 पेड़ों का घेरा 100 सेंटीमीटर से अधिक था। गोवा, दमन और दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1984 इस अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है " धारा 2 (जे) में निम्नलिखित शब्दों में "वृक्ष":

" एस. 2 (जे)-"वृक्ष" से कोई भी लकड़ी का पौधा अभिप्रेत है जिसकी शाखाएं तने या शरीर से निकलती हैं और उन्हें सहारा दिया जाता है और जिसका तना या शरीर जमीन से एक मीटर की ऊंचाई पर व्यास में दस सेंटीमीटर से कम नहीं है और इसमें नारियल भी शामिल है।

पाम "।

इस परिभाषा को यह इंगित करने के लिए हाइलाइट किया गया है कि यह शामिल है

'पेड़' अभिव्यक्ति का एक कठोर अर्थ। हालाँकि, बात सरल हैः ई. आई. ए. रिपोर्ट में 54,676 पेड़ों के तथ्यात्मक अस्तित्व को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था। परियोजना के समर्थकों के लिए, पर्यावरण में मानवीय आवाज नहीं हो सकती है। लेकिन एक ई. आई. ए. रिपोर्ट निर्धारित करने का उद्देश्य पर्यावरण के सभी पहलुओं पर एक आधारभूत अध्ययन करना और पर्यावरण पर एक अनुमानित गतिविधि के प्रभाव का अनुमान लगाना है। पर्यावरण के किसी भी घटक को नजरअंदाज करना कर्तव्य की गंभीर अवहेलना है जो पर्यावरण शासन के मामलों में कानून के शासन से अलग है।

99. प्रधान मुख्य वन संरक्षक का आदेश

जहां संभव हो, अनिवार्य प्रत्यारोपण और काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए दस पेड़ों का रोपण सुधार का एक उपाय प्रदान करता है। लेकिन एक कारण है कि ई. आई. ए. प्रक्रिया में वनस्पति आवरण से संबंधित मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। काटे गए प्रत्येक मौजूदा पेड़ के लिए एक निर्धारित संख्या में पेड़ लगाने का सूत्र इस तथ्य के लिए जीवित होना चाहिए कि

नए बागान अनिश्चितता से भरे हुए हैं। प्रत्यारोपित पेड़ों का जीवित रहना भी उतनी ही अनिश्चितता का विषय है। हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता हो सकती है, प्रक्रिया निर्धारित की गई है

2006 की अधिसूचना के तहत पारदर्शी, स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। पर्यावरण शासन के लिए एक नियामक व्यवस्था मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम पर आधारित है।

यह परिकल्पना कि सभी हितधारक ईमानदारी से कार्य करेंगे। पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों को जांच से छिपाना परियोजना अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक स्वीकार्य तरीका नहीं है। विवाद के इस पहलू पर खुलासे और मूल्यांकन के संबंध में एक गंभीर कमी थी।

जी सार्वजनिक परामर्श

100. सार्वजनिक परामर्श के महत्व को 2006 की अधिसूचना द्वारा रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक परामर्श, जैसा कि यह कहता है, "द्वारा प्रक्रिया" है

परियोजना या गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभावों में प्रशंसनीय हिस्सेदारी का निर्धारण परियोजना या गतिविधि डिजाइन में सभी भौतिक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह दो अनुमान लगाता है तत्व। उनमें एक आंतरिक और एक वाद्य चरित्र दोनों हैं। सार्वजनिक परामर्श का आंतरिक चरित्र यह है कि स्थानीय क्षेत्र के साथ-साथ उससे बाहर के लोगों के विचार जानने का एक मूल्य है, जिनकी परियोजना या गतिविधि में एक प्रशंसनीय हिस्सेदारी है। सार्वजनिक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे उन समुदायों की आवाज़ सुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो गतिविधि से प्रभावित होंगे। वे जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को वे पीते हैं या अपनी भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, स्थानीय आवासों में व्यवधान, और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के विनाश के संदर्भ में प्रभावित हो सकते हैं जो उनके अस्तित्व को परिभाषित करते हैं और उनकी आजीविका को बनाए रखते हैं।

101. सार्वजनिक परामर्श में विश्वास निर्माण की प्रक्रिया शामिल है।

जिनके पास एक प्रशंसनीय हिस्सेदारी है उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका देकर। यह इस बात को भी मान्यता देता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान के अलावा, स्थानीय समुदायों को पर्यावरण का जन्मजात ज्ञान है। स्थानीय समुदायों का ज्ञान श्रव्य और दृश्य परंपराओं द्वारा पीढ़ियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। यह स्वीकार करते हुए कि वे महत्वपूर्ण हितधारक हैं, परामर्श प्रक्रिया कानून के शासन पर आधारित शासन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भागीदारी को संरक्षित करने का प्रयास करती है। सहभागिता समावेशन के आंतरिक मूल्य की रक्षा करती है।

102. 2006 की अधिसूचना में कहा गया हैः

(i) "स्थानीय रूप से प्रभावित व्यक्तियों" के विचारों का पता लगाने के लिए परियोजना स्थल पर या उसके निकट सार्वजनिक सुनवाई;

((ii) "अन्य संबंधित" से लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त करना।

पर्यावरण में "प्रशंसनीय हिस्सेदारी" रखने वाले व्यक्ति

परियोजना या गतिविधि के पहलू; 5 एस. सी. आर.

(iii) एस. पी. सी. बी. का कर्तव्य है कि वह सुनवाई करे और निर्धारित समय के भीतर कार्यवाहियों को नियामक प्राधिकरण को भेजे।

समय;

(iv) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में ई. आई. ए. रिपोर्ट का सारांश रखना और किसी भी संबंधित व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर नियामक प्राधिकरण द्वारा ई. आई. ए. रिपोर्ट का मसौदा उपलब्ध कराना,

निरीक्षण;

(v) सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया के दौरान व्यक्त की गई सभी भौतिक चिंताओं को दूर करने का आवेदक का कर्तव्य;

(vi) ई. आई. ए. और ई. एम. पी. के मसौदे में उचित बदलाव करना;

और

(vii) आवेदक द्वारा अंतिम ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत करना

मूल्यांकन के लिए नियामक प्राधिकरण।

इनमें से प्रत्येक विशेषता जनता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

परामर्श प्रक्रिया। सार्वजनिक परामर्श को केवल एक मंत्र या एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता है जिसे अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पूरा करना पड़ता है। अंतर्निहित सार्वजनिक परामर्श महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली में, उनकी चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए जो किसी परियोजना और उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद व्यक्त की गई हैं।

103. सार्वजनिक परामर्श के आंतरिक मूल्य के अलावा, यह एक सहायक कार्य भी करता है। विचारों का पता लगाने का उद्देश्य

हितधारकों का, प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि के डिजाइन में सभी भौतिक चिंताओं के लिए जिम्मेदार होना है। इस कारण से, सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियामक प्राधिकरण को कार्यवाही भेजने के लिए एक अधिदेश के तहत है। परियोजना प्रस्तावक को सभी भौतिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करना चाहिए और ई. आई. ए. और ई. एम. पी. के मसौदे में उचित बदलाव करना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक मसौदे के लिए एक पूरक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है। ई. आई. ए. इनमें से प्रत्येक तत्व 2006 की अधिसूचना की डिजाइन विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक उल्लंघन प्रक्रिया को चुनौती के लिए असुरक्षित बना देगा।

इस आधार पर किः (i) महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है; (ii) जब ई. आई. ए. रिपोर्ट को परामर्श के लिए रखा गया था तो पूर्ण प्रकटीकरण का अभाव था; और (iii) परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से पर्याप्त रूप से निपटा या उनका विश्लेषण नहीं किया गया है।

104. सार्वजनिक परामर्श 1 फरवरी 2015 को मोपा में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर लगभग 70 लोगों ने अपनी बात रखी और 1,586 लोगों ने हस्ताक्षर किए।

उपस्थिति पत्रक। 1,150 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान व्यक्त की गई कुछ पर्यावरणीय चिंताएँ हैं - नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

(i) मोपा पठार में कई पानी के शेड और पानी का निर्वहन होता है।

नदियों में उतर जाता है;

((ii) वनस्पतियों और जीवों के साथ लगभग चालीस झरने प्रभावित होंगे। ((iii) सार्वजनिक सुनवाई उस क्षेत्र में आयोजित की गई थी जहाँ भूमि

बंजर था और कोई वृक्षारोपण नहीं था;

(iv) चपोरा नदी पर प्रभाव, जो 10 किलोमीटर के दायरे में है।

परियोजना से पर्याप्त रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है;

(v) मोपा पठार में भूजल पुनर्भरण के लिए एक प्राकृतिक तंत्र है;

(vi) पश्चिमी घाटों का संरक्षण आवश्यक है, विशेष रूप से

वनस्पतियों और जीवों को परेशान न करने का दृष्टिकोण;

(vii) ई. आई. ए. रिपोर्ट प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

और बफर ज़ोन में ग्राम पंचायतें;

(viii) स्थानीय वृक्षारोपण प्रभावित होंगे;

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या नहीं है

ई. आई. ए. रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया गया है;

(x) डोडामार्ग वन्यजीव अभयारण्य को उच्च द्वारा 'स्वच्छ' कर दिया गया था

न्यायालय;

(xi) वन मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी;

(xii) क्षेत्र के पवित्र उपवनों का वर्णन नहीं किया गया है, जिनमें शामिल हैं -

बराज़ान जो खो जाएगा;

(xiii) ढलान लगभग चालीस लाख काजू के पेड़ों के साथ काजू के बागानों को बनाए रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप पचास करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है; और

(xiv) 10 किलोमीटर के दायरे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र।

105. ये चिंताएँ वर्तमान मामले में बहस में सबसे आगे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 जून 2015 को ई. ए. सी. की 149 वीं बैठक में जिस तरह से उन्हें पेश किया गया था, वह है 5 एस. सी. आर.।

परियोजना के प्रस्तावक ने एक प्रस्तुति दी। बैठक के कार्यवृत्त में परियोजना प्रस्तावक की निम्नलिखित टिप्पणियों को दर्ज किया गयाः

" x. सिमेचेन में 01.02.2015 पर सार्वजनिक सुनवाई की गई एडवेन, मोपा, गोवा। जनता के बीच उठाए गए प्रमुख मुद्दे

परियोजना प्रस्तावक से सुनवाई और प्रतिक्रियाएं मांगी गईं

रोजगार के अवसरों से संबंधित "।

(जोर दिया गया)

एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर, सुश्री शेनॉय ने प्रस्तुत किया है कि

68 आपत्तियों में से केवल सात ही रोजगार के मुद्दे से संबंधित थीं। स्पष्ट रूप से, परियोजना प्रस्तावक 2006 की अधिसूचना द्वारा आवश्यक तरीके से अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करने में विफल रहा।

106. उत्कर्ष मंडल बनाम भारत संघ 3 में, दिल्ली उच्च न्यायालय

न्यायालय ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर अपने दिमाग को लागू करने के लिए ई. ए. सी. के कर्तव्य को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत किया हैः

" यह वह निकाय है जिसे आपत्तियों पर अपने सामूहिक मन को लागू करना पड़ता है।

और न केवल एम. ओ. ई. एफ. जिसे ऐसी आपत्तियों पर विचार करना है

दूसरे चरण में। इसलिए हम मानते हैं कि के संदर्भ में ई. आई. ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 और अनिवार्य

आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता है

ई. ए. सी. का कर्तव्य, जिसके लिए ऐसी आपत्तियों का मूल्यांकन करने का कार्य

प्रत्यायोजित किया गया है, अपने निर्णय में इस तथ्य को इंगित करने के लिए कि

आपत्तियाँ, और परियोजना प्रस्तावक की प्रतिक्रिया, थीं

प्रासंगिक सामग्रियों पर दिमाग का उपयोग न करने के कारण दूषित होना और इसलिए मनमाना "।

107. महत्वपूर्ण आपत्तियाँ और पर्यावरणीय चिंताएँ जो थीं

ई. ए. सी. के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए मुद्दों को घटाकर एक ही मुद्दा कर दिया गया थाः रोजगार की आवश्यकता

अवसर। परियोजना प्रस्तावक ई. ए. सी. को सूचित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा।

अभिलेख ई. ए. सी. द्वारा एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन या विश्लेषण का संकेत नहीं देता है। ई. ए. सी. हितधारकों द्वारा उठाई गई पर्यावरणीय चिंताओं पर अपने दिमाग को लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। परियोजना प्रस्तावक का कर्तव्य निष्पक्ष रूप से रखना

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई सभी पर्यावरणीय चिंताएँ हैं

52 (2009) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3836 मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कड़ी। बैठक के कार्यवृत्त से संकेत मिलता है कि ई. ए. सी. के समक्ष सार्वजनिक सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों का कोई निष्पक्ष और पूर्ण खुलासा नहीं किया गया था। इस संबंध में 2006 की अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों को लागू करने और लागू करने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से विफलता है।

एच ई. ए. सी. द्वारा मूल्यांकन

108. ईएसी द्वारा मूल्यांकन 2006 की अधिसूचना द्वारा संरचित और परिभाषित किया गया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को "एक विस्तृत" के रूप में परिभाषित किया गया है।

आवेदन की ई. ए. सी. द्वारा जांच और ई. आई. ए. रिपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेज और सार्वजनिक परामर्श के परिणाम, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही भी शामिल है, जिसे आवेदक द्वारा ई. सी. के अनुदान के लिए नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाता है। ई. ए. सी. को "पारदर्शी तरीके" से मूल्यांकन की प्रक्रिया का संचालन करने का आदेश दिया गया है। निष्कर्ष पर इन कार्यवाहियों में से, ई. ए. सी. को या तो निम्नलिखित के लिए नियामक प्राधिकरण को "स्पष्ट सिफारिशें" करनी होती हैंः (i) निर्धारित नियमों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का अनुदान; या (ii) आवेदन की अस्वीकृति। द्वारा की गई सिफारिशें

नियामक प्राधिकरण के लिए ई. ए. सी. "कारणों" पर आधारित होना चाहिए।

109. ई. ए. सी. ने 26 जून 2015 को आयोजित अपनी 149 वीं बैठक में ई. आई. ए. रिपोर्ट पर विचार किया और परियोजना प्रस्तावक से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

निम्नलिखित छह पहलूः

" आई. प्राकृतिक जल निकासी, क्षेत्र की स्पष्ट स्थलाकृति दिखाने वाले अधिरोपित मानचित्र पर क्षेत्र में निर्माण सहित जल निकासी पैटर्न दिखाने वाली लेआउट योजना को अधिरोपित करने की आवश्यकता है।

ii. 10 क्षेत्र में वर्षा के संबंध में वर्ष के आंकड़े; iii. मौजूदा यातायात और परिवहन की स्थिरता पर औचित्य

विशेष रूप से दृष्टिकोण के अंतर-अनुभाग बिंदुओं पर व्यवस्थाएँ

हवाई अड्डे के लिए सड़क जमा करने की आवश्यकता है;

iv. सुचारू रूप से चलने के लिए एक यातायात परिसंचरण योजना विकसित करने की आवश्यकता है।

वी. हवाई अड्डा क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयार किए गए सी. पी. सी. बी. दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए किए गए उपाय प्रस्तुत किए जाने हैं; और vi. एलईडी, स्टार रेटेड एसीएस के उपयोग के प्रावधानों को शामिल करते हुए न्यूनतम 20 प्रतिशत ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाया जाना चाहिए।

आदि। संशोधित ऊर्जा संरक्षण योजना प्रस्तुत की जाएगी। "5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

110. फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विचार को स्थगित कर दिया गया और परियोजना प्रस्तावक से अभ्यावेदन में "उठाए गए मुद्दों का बिंदुवार जवाब" प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। ई. ए. सी. ने 20 अक्टूबर 2015 को आयोजित अपनी 152 वीं बैठक में कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने 'एन. जी. ओ.' द्वारा उठाई गई चिंताओं के लिए बिंदुवार स्पष्टीकरण प्रदान किया था। द.

ई. ए. सी. ने इस प्रकार उल्लेख कियाः

● " ई. आई. ए. रिपोर्ट को सार्वजनिक सुनवाई में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पी. पी. द्वारा अद्यतन किया गया है और उसी ने

सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया।

• यह परियोजना डॉ. कस्तूरीरंगन द्वारा चित्रित ईएसजेड के बाहर है।

समिति और टेरी।

• इस परियोजना में भूखंड क्षेत्र के भीतर वर्षा जल संचयन गड्ढों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो भूजल पुनर्भरण में योगदान देगा। अतः इस संबंध में गैर सरकारी संगठन की आपत्ति नहीं है।

पकड़ो।

• वनस्पतियों और जीवों के संबंध में जैविक डेटा मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कार्यात्मक क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा एकत्र किया गया था, न कि नवंबर, 2014 से जनवरी, 2015 के दौरान गोवा में तैनात मेसर्स प्रगति लैब्स द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता, शोर, पानी के संग्रह के लिए।

गुणवत्ता, मिट्टी, सामाजिक-अर्थशास्त्र "।

उपरोक्त कथन के बाद, ई. ए. सी. ने कुछ शर्तों के अधीन एक ई. सी. के अनुदान की सिफारिश की। पैरा 3.1। 2 ई. ए. सी. के कार्यवृत्त इस प्रकार हैंः

" समिति ने मामले की विचित्र परिस्थितियों और भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों का उल्लेख किया, जिसके कारण ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करने में देरी हुई और इसमें व्यापक जनहित शामिल था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना प्रस्तावक ने नहीं

मामले के गुप्त तथ्यों और परिस्थितियों और परियोजना जनहित में है, मंत्रालय इस आपत्ति पर उचित विचार कर सकता है कि वैध टीओआर के अभाव में सार्वजनिक सुनवाई नहीं हो सकती थी, हालांकि वैधता को दो बार बढ़ाया गया है और बाद में नियमित किया गया है। समिति ने यह भी नोट किया कि सार्वजनिक सुनवाई में लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया और हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इसलिए आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त और सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी है

सार्वजनिक परामर्श के लिए कानून के तहत।

पी. पी. ने आगे विभिन्न मुद्दों पर उक्त एन. जी. ओ. के खंडन पर अपना जवाब दिया। ई. ए. सी. ने विचार-विमर्श के बाद उपरोक्त और निम्नलिखित के अधीन ई. सी. के अनुदान के लिए परियोजना की सिफारिश कीः

• परियोजना प्रस्तावक यातायात संचरण/प्रबंधन के लिए मोपा हवाई अड्डा सड़क और मुंबई/गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के जंक्शन पर पर्याप्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और सभी के लिए प्रावधान करेगा।

यातायात आदान-प्रदान और प्रस्तावित क्लोवर।

• हवाई अड्डे तक पहुंचने और बाहर निकलने वाली सड़कों को एन. एच. ए. आई. से मंजूरी दी जाएगी और आई. आर. सी. मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।

• रनवे क्षेत्र पर अधिरोपित टोपो शीट का अवलोकन इंगित करता है कि रनवे का चरम छोर आंशिक रूप से जल निकासी क्षेत्र को कवर कर रहा है। रनवे के नीचे जो जल निकासी क्षेत्र है, उसे चैनलाइज़ करने की आवश्यकता है। समानांतर टैक्सी मार्ग और रन वे के बीच के क्षेत्र को सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है

झरने के क्षेत्र से पानी निकालें। ”

111. उपरोक्त स्पष्टीकरण का मूल्यांकन हार्मोन के संदर्भ में किया जाना चाहिए कि ई. ए. सी. को इसके कारणों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

सुधार। उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि ई. ए. सी. ने संकेत दिया है

निम्नलिखित परिस्थितियाँः

((i) मामले की "विशिष्ट परिस्थितियाँ";

((ii) भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी हुई।

ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार करना;

((ग) इसमें शामिल "व्यापक लोक हित";

((iv) परियोजना प्रस्तावक ने तथ्यों और परिधि को नहीं छिपाया था।

मामले की स्थिति;

((v) यह परियोजना जनहित में है; और (vi) परियोजना के प्रस्तावक ने विभिन्न मुद्दों पर इंद्रधनुष योद्धाओं के खंडन का जवाब दिया था।

ई. आई. ए. रिपोर्ट का यह विश्लेषण, कम से कम कहने के लिए, अस्पष्ट और अस्पष्ट है और ई. ए. सी. द्वारा अपने कार्यों के त्याग का खुलासा करता है।

आवश्यकता है कि ई. ए. सी. को कारणों को दर्ज करना चाहिए, इसके अलावा 2006 की अधिसूचना के तहत अनिवार्य, दो कारणों से महत्वपूर्ण हैः

(i) ई. ए. सी. 2006 की अधिसूचना के संदर्भ में नियामक प्राधिकरण को एक सिफारिश करता है। नियामक प्राधिकरण को सिफारिश पर विचार करना होगा और अपने निर्णय को परियोजना प्रस्तावक को बताना होगा। नियामक प्राधिकरण, जैसा कि पैरा 8 (ii) प्रदान करता है, आम तौर पर ई. ए. सी. की सिफारिशों को स्वीकार करेगा। जहां वह सहमत नहीं होता है, वह अपनी असहमति के कारणों को बताते हुए पुनर्विचार का अनुरोध करेगा। बदले में, ई. ए. सी. की टिप्पणियों पर विचार करेगा

नियामक प्राधिकरण और एक निर्धारित अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करें।

अवधि; और

((ii) ई. सी. का अनुदान एन. जी. टी. के समक्ष अपील के अधीन है।

एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 16।

यह मूल सामग्री का गठन करती है जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा जब वह किसी निर्वाचन आयोग के अनुदान को चुनौती देने पर विचार करेगा। 112. फिर, ई. ए. सी. द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण हमें क्या बताते हैं? ई. ए. सी. विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इसकी सिफारिश के आधार के रूप में मामला। अजीबोगरीब परिस्थितियाँ क्या हैं, यह शुद्ध अनुमान लगाने या अनुमान लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ई. ए. सी. अधिग्रहण कार्यवाही में देरी, एक व्यापक सार्वजनिक हित और इस तथ्य को संदर्भित करता है कि परियोजना प्रस्तावक ने "तथ्यों को नहीं छिपाया है और परिस्थितियाँ "। ई. ए. सी. के साथ वजन करने वाले कारणों में से प्रत्येक 2006 की अधिसूचना के तहत इसके कार्य की वास्तविक प्रकृति की समझ की कमी को दर्शाता है। ई. ए. सी. परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को प्रभावित करने वाली प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा है और इसके बजाय परिस्थितियों को अपने कार्य के लिए बाहरी माना है। कि ई. ए. सी. के अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने तथ्यों को नहीं छिपाया है

और परिस्थितियाँ ईसी के अनुदान की गारंटी देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं। इसके अलावा, यह परिकल्पना भी (जैसा कि हमने पहले देखा है) गलत है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का कोई विश्लेषण नहीं है। ई. ए. सी. अपनी विशेषज्ञता के आह्वान का जवाब देने में विफल रहा है।

113. 2006 की अधिसूचना के पैरा 8 का खंड (vi) इस प्रकार निर्धारित करता हैः

" (vi) जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी या डेटा को छिपाना और/या जमा करना जो स्क्रीनिंग या ह्यूमन लैक्समैन अरोस्कर v के लिए सामग्री है।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आवेदन पर दायरा या मूल्यांकन या निर्णय करेगा

अस्वीकृति और पूर्व रद्द करने के लिए उत्तरदायी आवेदन उस आधार पर पर्यावरण मंजूरी दी गई। एक की अस्वीकृति

पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी का आवेदन या रद्द करना

पहले से ही दिए गए, ऐसे आधार पर, नियामक द्वारा तय किया जाएगा

प्राधिकारी, आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई देने के बाद, और

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना।

जानबूझकर छिपाना या गलत या भ्रामक प्रस्तुत करना

आवेदन पर जांच, दायरा, मूल्यांकन या निर्णय के लिए जानकारी या डेटा सामग्री इसे अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी बनाती है। कि परियोजना प्रस्तावक

प्रासंगिक विशेषताओं को छिपाए बिना सभी जानकारी और डेटा जमा करना 2006 की अधिसूचना की एक बुनियादी परिकल्पना और अपेक्षा है। ई. ए. सी. के संक्षिप्त कारण हैं जो पैरा 3.1 में निहित हैं। 2 , इसे लागू नहीं किया गया परियोजना के संबंध में उठाई गई पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान दें और न ही इसके कारण परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करके उन चिंताओं के मूल्यांकन का संकेत देते हैं।

114. ई. ए. सी. एक विशेषज्ञ निकाय है। इसे इस तरह से बोलना चाहिए कि

एक विशेषज्ञ। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर असर डालने वाली परियोजना के हर प्रासंगिक पहलू पर खुद को लागू करना है। ई. आई. ए. रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण से यह बाध्य नहीं है। ई. आई. ए. रिपोर्ट का विश्लेषण करना कर्तव्य है। जहाँ उसे इसकी कमी महसूस होती है, वह ऐसे तौर-तरीकों को अपना सकता है जो उसकी विशेषज्ञ निर्णय लेने की क्षमता में आवश्यक हैं। ई. ए. सी. द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण इसकी प्रक्रियाओं के बीच एक जीवंत कड़ी हैं।

और इसके न्यायनिर्णायक कार्य का बहिर्वाह। ठोस कारणों के अभाव में, प्रक्रिया अपनी प्रकृति से, परिणाम के साथ खड़ी होती है। दूषित हो जाता है।

115. श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि ई. ए. सी. ने

फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा दायर किया गया और इसकी 152 वीं बैठक में, यह प्रतिनिधित्व के लिए परियोजना प्रस्तावक की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि ई. ए. सी. ने अपना दिमाग लगाया है। यह

दृष्टिकोण

पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। अपनी 149 वीं बैठक में, ई. ए. सी. ने विशेष रूप से छह मुद्दों पर स्पष्टीकरण का आह्वान किया। अगली बैठक स्थगित कर दी गई। 152 वीं बैठक के कार्यवृत्त में इस बात का कोई आकलन

नहीं है कि क्या ई. ए. सी. द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का परियोजना प्रस्तावक द्वारा संतोषजनक जवाब दिया गया था। हालाँकि, ई. ए. सी. द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर आपत्ति अधिक मौलिक है।

152 वीं बैठक से संकेत मिलता है कि ई. ए. सी. ने मुख्य रूप से, यदि विशेष रूप से नहीं, तो फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए परियोजना प्रस्तावक के "बिंदुवार स्पष्टीकरण" पर विचार किया। प्रतिनिधित्व से निपटना ई. ए. सी. के कार्य का संपूर्ण नहीं है। यकीनन, यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था, या यदि किसी व्यक्तिगत आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन गलत पाया जाता है, तो यह अपने आप में निर्वाचन आयोग की सिफारिश करने का कोई आधार नहीं है।

116. ई. ए. सी. को, एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में, परियोजना या प्रस्तावित गतिविधि के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच करनी होती है, जिसमें परियोजना पर इसका प्रभाव भी शामिल है। पर्यावरण। उस निर्णय को लेने में, ई. आई. ए. रिपोर्ट इसके विश्लेषण के लिए एक इनपुट है। ई. ए. सी. द्वारा एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में जांच और मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसके कारणों से यह पता चलना चाहिए कि ऐसा किया गया है। जैसा कि कार्यवृत्त से पता चलता है, अध्ययन क्षेत्र में 15 ई. एस. जेड. की उपस्थिति के संदर्भ में ई. ए. सी. द्वारा दिमाग का गैर-अनुप्रयोग स्पष्ट है। ई. ए. सी. ने नोट किया कि परियोजना कस्तूरीरंगन समिति द्वारा चित्रित ई. एस. जेड. के बाहर है। एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के अभाव में, ईएसी 2006 की अधिसूचना के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा। द.

ई. ए. सी. की सिफारिशें एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. के लिए एक मार्गदर्शक प्रस्तुत करती हैं। वास्तव में, 2006 की अधिसूचना में कहा गया है कि ई. ए. सी. की सिफारिशों को आम तौर पर स्वीकार किया जाएगा। नतीजतन, वर्तमान मामले की तरह ई. ए. सी. के समक्ष उचित प्रक्रिया की विफलता से ई. सी. को अमान्य कर दिया जाना चाहिए।

I एन. जी. टी. की अपीलीय क्षेत्राधिकारः आवश्यकता

एक योग्यता समीक्षा

117 .....एनजीटी को एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 16 के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है। धारा 16 (एच) इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 16 न्यायाधिकरण के पास अपीलीय अधिकार क्षेत्र होगा। - कोई भी व्यथित व्यक्ति

द्वारा, (

ज) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया एक आदेश, जिसमें उस क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी दी गई है जिसमें कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया या वर्ग है।

उद्योगों के संचालन और प्रक्रियाओं को कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं किया जाएगा या किया जाएगा

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29); "मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

धारा 20 में आदेश दिया गया है कि न्यायाधिकरण, कोई भी पारित करते समय,

आदेश, निर्णय या पुरस्कार, सतत विकास के सिद्धांतों, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को लागू करते हैं। कई

इस न्यायालय के निर्णयों ने इन सिद्धांतों को अर्थ दिया है।

118. एनजीटी का निर्णय इंगित करता है कि कई महत्वपूर्ण

इसके समक्ष प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया था। एन. जी. टी. द्वारा किया गया पूरा विश्लेषण 21 अगस्त 2018 के अपने फैसले के एक पैराग्राफ में निहित है जो नीचे दिया गया हैः

" 27. हम पाते हैं कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इससे पहले परियोजना प्रस्तावक का बिंदुवार जवाब दिया था जिसे हम पहले ही ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी और

नए आधारभूत आंकड़ों के संग्रह का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि महाराष्ट्र के आंकड़ों पर भी विचार किया गया था। अन्य मुद्दों को विधिवत समझाया गया है जल-भूगर्भीय विशेषताएं और वनस्पतियों और जीवों के संबंध में डेटा, सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल, स्थलाकृति, वनस्पति,

सार्वजनिक सुनवाई में उचित प्रक्रिया का पालन, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के संबंध में अध्ययन की प्रासंगिकता, लागत लाभ विश्लेषण के साथ-साथ पर्यावरणीय लागत लाभ विश्लेषण के संदर्भ में प्रस्तावित हवाई अड्डे की व्यवहार्यता। ई. ए. सी. ने विभिन्न कार्यालयों द्वारा संकलित आंकड़ों पर भी विचार किया। केवल यह तथ्य कि अन्य विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग राय व्यक्त की गई है, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ईएसी ने अपने दिमाग को लागू नहीं किया। पुनर्वास कार्यक्रम भी था ई. ए. सी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अगले पैराग्राफ में इस तथ्य का संक्षिप्त संदर्भ है कि

15 किलोमीटर की दूरी पर अध्ययन की आवश्यकता द्वितीयक डेटा के संग्रह के संबंध में है। उपरोक्त अनुच्छेद, हमारे विचार में, एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक द्वारा योग्यता समीक्षा की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

53 वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ, (1996) 5 एससीसी 647; एमसी मेहता बनाम कमल नाथ, (1997) 1 एस. सी. सी. 388; एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, (1997) 2 एस. सी. सी. 353; ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो. एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त) , (1999) 2 एस. सी. सी. 718; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, (2000) 10 एस. सी. सी. 664; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 161

और विज्ञान का मूल्यांकन और पर्यावरण के साथ इसका इंटरफेस। विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति को धारा 5 (2) में निर्धारित निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगाः

" (2) एक व्यक्ति विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

सदस्य, जब तक कि वह,
(क) के पास डॉक्टरेट की डिग्री या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मास्टर ऑफ साइंस (भौतिक विज्ञान या जीवन विज्ञान में) की डिग्री है और पर्यावरण और वन (प्रदूषण नियंत्रण, जोखिम सहित) के क्षेत्र में पांच साल के व्यावहारिक अनुभव सहित संबंधित क्षेत्र में पंद्रह साल का अनुभव है।

और वन संरक्षण) किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में; या
(ख) पंद्रह वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है जिसमें पर्यावरण के मामलों से निपटने में पांच वर्षों का अनुभव शामिल है।

केंद्र या राज्य सरकार या किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या

राज्य स्तरीय संस्था "।

एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक निकाय है।

120. अपने पिछले दो फैसलों में, एनजीटी ने वह रास्ता दिखाया है जिसके साथ उसे अपने फैसलों पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सेव में

मोन क्षेत्र संघ बनाम भारत संघ 54, अरुणाचल के तवांग जिले में 780 मेगावाट की पनबिजली परियोजना के लिए ईसी का अनुदान

प्रदेश को चुनौती दी गई। एन. जी. टी. ने अपने समक्ष प्रश्न को व्यापक रूप से तैयार कियाः

" ..... इसलिए, वर्तमान अपील में जिस भौतिक मुद्दे का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विचाराधीन परियोजना को पूर्व ईसी के अनुदान की प्रक्रिया दोषपूर्ण दायरे से ग्रस्त है।

प्रक्रिया करें या न करें। ”

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपत्र 1 में दी गई जानकारी के साथ-साथ पक्षी प्रजातियों पर रिकॉर्ड पर कई रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद

प्रस्तावित परियोजना के लिए स्थल में शामिल, एनजीटी ने कहा कि मामले की तथ्य सामग्री ईएसी के समक्ष मौजूद नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप 'ईआईए रिपोर्ट में शून्य' मूल्यांकन प्रक्रिया में विचलन का कारण बनती है

उसके द्वारा संचालित। परियोजना को दिए गए ई. सी. को निलंबित करते हुए, एनजीटी

54 2013 (1) अखिल भारतीय एनजीटी रिपोर्टर 1 मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, जे.]

एन. जी. टी. के पास 'उसके समक्ष रखे गए तथ्यों पर उचित निर्णय लेने का अधिकार' और 'निर्वाचन आयोग को अलग करने या निलंबित करने' का आग्रह किया गया था।

इसी तरह, श्रीरंगनाथन केपी बनाम भारत संघ में, केजीएस अरनमुला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए एक ईसी के तर्क को चुनौती दी गई थी। एन. जी. टी. ने इस प्रक्रिया में त्रुटि पाई जिसके कारण ई. सी. को अनुदान दिया गया क्योंकि क्षेत्र विशेष के मुद्दों से निपटा नहीं गया था। एन. जी. टी. ने प्रपत्र 1 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, ई. आई. ए. रिपोर्ट में कमियों, ई. ए. सी. द्वारा किए गए मूल्यांकन की प्रक्रिया और हवाई अड्डों के निर्माण के संबंध में निर्धारित क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की और इस प्रकार कहाः

" 182. ..... ई. ए. सी. या एस. ई. ए. सी. पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि वह परियोजनाओं या गतिविधियों की जांच, दायरा और मूल्यांकन करते समय सतत विकास के मुख्य सिद्धांत और सावधानी के सिद्धांत को लागू करे। हालांकि, तत्काल मामले में यह स्पष्ट है कि ई. ए. सी. न केवल ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 द्वारा अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में बुरी तरह विफल रहा है, बल्कि उससे कानूनी अपेक्षाओं को भी निराश किया है। तत्काल मामले में एक बड़ी परियोजना के लिए, अनुमोदन के लिए विचार इस तरह के सरसरी और मनमाने तरीके से किया गया है।

मुद्दे। ..... इस प्रकार, ई. ए. सी. ने ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 द्वारा अनिवार्य रूप से खुद को संचालित नहीं किया है क्योंकि उसने उचित मूल्यांकन नहीं किया है। उपलब्ध सामग्रियों और आपत्तियों पर विचार करके

187 ..... न्यायाधिकरण की यह सुविचारित राय है कि अरनमुला की स्थापना के लिए एमओईएफ द्वारा तीसरे प्रतिवादी/परियोजना प्रस्तावक को दिए गए विवादित ईसी को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है हवाई अड्डा "

121. एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सामग्री पर विचार करने में विफलता और वास्तव में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार न करना कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है जिससे एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 22 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जाता है। वर्तमान मामले में प्रक्रिया की विफलता एनजीटी द्वारा योग्यता समीक्षा के अभाव से और बढ़ गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

122. विद्वान ए. एस. जी. ने लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 56 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

(" लाफार्ज) ने तर्क दिया कि पेड़ों की उपस्थिति का खुलासा करने में विफलता से ईसी को अमान्य नहीं किया जाना चाहिए। उस मामले में, मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के नोंगत्राई गांव में एक प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना के लिए ईसी के अनुदान के लिए 1994 की अधिसूचना के तहत एक आवेदन किया गया था। इस परियोजना के लिए ई. सी. 2001 में दिया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा एमओईएफ ड्राइंग को एक पत्र के अनुसार

वनों के गैर-प्रकटीकरण पर ध्यान, परियोजना प्रस्तावक ने आवेदन किया

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत संशोधित ईसी और वन मंजूरी के लिए। 2010 में वन मंजूरी के साथ एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी प्रदान किया गया था। निर्वाचन आयोग के अनुदान को चुनौती देते हुए, यह आग्रह किया गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल पर वनों की उपस्थिति का खुलासा करने में परियोजना प्रस्तावक की ओर से विफलता थी। 123. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने चुनौती को खारिज कर दिया और प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्वाचन आयोग के अनुदान को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने भरोसा किया,

अन्य कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं: ((i) चूना पत्थर का खनन

खासी हिल्स 1763 की है और यह नोंगत्राई गांव की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है; (ii) भूमि के संरक्षक के साथ गहन परामर्श के बाद साइट को साफ कर दिया गया था, जिन्होंने असंगठित क्षेत्र द्वारा खनन के कारण राजस्व के नुकसान के बाद खनन परियोजना के लिए भूमि पट्टे पर देने का फैसला किया था; (iii) नोंगत्राई और ग्राम दरबार के प्रमुख, जिन्होंने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया और इस अदालत के समक्ष लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं, ने परियोजना का समर्थन किया और प्रमाणित किया कि आस-पास की भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा; (iv) साइट मंजूरी के चरण में, एमओईएफ के पास कार्यकारी समिति, खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और डीएफओ, खासी हिल डिवीजन, शिलांग द्वारा प्रमाण पत्र थे। निर्वाचन आयोग के अनुदान और वन मंजूरी को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 120 ..... "विकास" शब्द एक सापेक्ष शब्द है। कोई यह नहीं मान सकता कि आदिवासी वन संरक्षण के सिद्धांतों से अवगत नहीं हैं। वर्तमान मामले में, हम संतुष्ट हैं कि चूना पत्थर

56 (2011) 7 एस. सी. सी. 338 मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

इस क्षेत्र में सदियों से खनन चल रहा है और यह एक ऐसी गतिविधि है जो संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है और

नोंगत्राई की अनूठी भूमि स्वामित्व और कार्यकाल प्रणाली

गाँव। इस मामले के तथ्यों पर, हम वन परिवर्तन के मामले में एम. ओ. ई. एफ. द्वारा किए गए उचित परिश्रम अभ्यास से संतुष्ट हैं। इस प्रकार, यहाँ हमारा आदेश तथ्यों तक ही सीमित है -

यह मामला "। (जोर दिया गया)

124. लाफार्ज (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय, ऊपर संक्षेपित तथ्यों पर आधारित था। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायिक समीक्षा का मानक

जिसे पर्यावरण से संबंधित मामलों में लागू किया जाना चाहिए, लाफार्ज (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तैयार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाडिया ने कहा कि आनुपातिकता के सिद्धांत को न्यायिक समीक्षा के हिस्से के रूप में पर्यावरण से संबंधित मामलों पर लागू किया जाना चाहिए। पर्यावरण संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को इस प्रकार व्यक्त किया गया हैः

" इन परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है? क्या किसी बाहरी कारक ने निर्णय को प्रभावित किया है? क्या निर्णय सख्ती से कानून (यदि कोई हो) के तहत विधायी नीति के अनुसार है जो क्षेत्र को नियंत्रित करता है? क्या निर्णय उस अर्थ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें निर्णय है निर्माता ने उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा और प्रासंगिक विचारों के आधार पर एक संतुलित निर्णय पर पहुंचे। इस प्रकार, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए कि एमओईएफ का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से सूचित है, सही सिद्धांतों पर आधारित है, और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त है।

125. मंत्री टेकज़ोन प्रा. लि. में इस न्यायालय के हाल के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में। लिमिटेड बनाम फॉरवर्ड फाउंडेशन, इस न्यायालय ने

एन. जी. टी. अधिनियम 2010 की धारा 22 के प्रावधानों का अर्थ निकालने का अवसर। पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है सी. पी. सी. की धारा 100 का अर्थ) सर चुनीलाल बनाम मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी मामले में एक संविधान पीठ के फैसले में तैयार किया गया था।

कताई और विनिर्माण 58, जहाँ यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

57 (2019) 4 स्केल 218 58 1962 सप.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले में उठाया गया कानून का प्रश्न पर्याप्त है, हमारी राय में, यह होगा कि क्या यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करता है और यदि ऐसा है तो क्या यह या तो इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह अंततः इस न्यायालय या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है या कठिनाई से मुक्त नहीं है या वैकल्पिक विचारों की चर्चा के लिए आह्वान नहीं है। यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए जाते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल एक सवाल है या यह कि उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से बेतुकी है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा। 'तथ्यात्मक मैट्रिक्स' का पुनः मूल्यांकन विशिष्ट माना गया है।

कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से। वर्तमान मामले में, हमने धारा 22 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता के आह्वान के लिए आधार का संकेत दिया है। 2006 की अधिसूचना के तहत बाध्यकारी मानदंडों का पालन करने में विफलता थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। प्रासंगिक

सामग्री को विचार से बाहर रखा गया है और बाहरी परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में ई. ए. सी. ने कारणों के आधार पर विशेषज्ञ निर्धारण करने के अपने दायित्वों को त्याग दिया। एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय के रूप में एन. जी. टी. अधिनियम 2010 की धारा 20 के साथ पठित धारा 16 (एच) के तहत उसे सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा, केवल एक ई. सी. की सिफारिश और अनुदान देने के निर्णय को स्थगित कर दिया। कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अस्तित्व के संबंध में मापदंड इसलिए उस अभिव्यक्ति के शास्त्रीय या पारंपरिक अर्थ में स्थापित किए गए हैं।

जे. कानून का पर्यावरण नियम

126. इस मामले के परिणाम के लिए मौलिक कानून प्रतिमान के नियम के भीतर पर्यावरण शासन की खोज है, पर्यावरण शासन एक महत्वपूर्ण सक्षम कारक के रूप में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर आधारित है जो हमारी पारिस्थितिकी प्रणाली के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है।

127. स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से, दुनिया भर में पर्यावरण कानूनों और संस्थानों में एक नाटकीय विस्तार हुआ है। में।

कई उदाहरणों में, इन कानूनों और संस्थानों ने पर्यावरण क्षरण को धीमा करने या उलटने में मदद की है। हालाँकि, इस प्रगति के साथ एक बढ़ती समझ भी है कि पर्यावरण कानूनों की आवश्यकताओं के बीच काफी कार्यान्वयन अंतर है।

और उनके कार्यान्वयन और प्रवर्तन-विकसित और मानव लक्ष्मण अरोस्कर बनाम दोनों में।

विकासशील देश समान रूप से। 599 कानून का पर्यावरणीय नियम इस अंतर को दूर करने का प्रयास करता है।

पर्यावरण कानून और शासन। 61 कानून का पर्यावरणीय नियम एक प्राथमिकता बन जाता है, विशेष रूप से जब हम यह स्वीकार करते हैं कि कानून के पर्यावरणीय नियम के लाभ पर्यावरण क्षेत्र से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। जबकि सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण की सुरक्षा पर होते हैं, यह कानून के शासन को अधिक व्यापक रूप से मजबूत करता है, स्थायी आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, संघर्ष से बचने और शांत करके शांति और सुरक्षा में योगदान देता है, और मानव और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। 62 इसी तरह, पर्यावरणीय मामलों में कानून का शासन "सतत विकास लक्ष्यों 6 3 की प्रगति, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का आश्वासन देकर उचित पहुंच का प्रावधान, और पर्यावरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संदर्भ में समानता के लिए अपरिहार्य है।" 64

129. अमर्त्य सेन की धारणा के विस्तार के लिए तर्क देते हैं

भविष्य की पीढ़ियों की समान-या अधिक-स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज लोगों की मूल स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का संरक्षण और जब भी संभव हो, विस्तार करना। कानून के पर्यावरणीय शासन की आपस में जुड़ी अवधारणाएँ इस प्रकार अंतर-पीढ़ीगत के साथ-साथ अंतर-पीढ़ीगत समानता को भी आगे बढ़ाती हैं। 59 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कानून का पहला पर्यावरण नियम रिपोर्ट। इस वेबसाइट पर उपलब्धः //वेडोक्स। अनएपी। org/बिटस्ट्रीम/हैंडल/20.500। 11822/27279/

कानून का पर्यावरणीय नियम। पी. डी. एफ.? अनुक्रम = 1 और अनुमति है = y 60 इबिद 61 आई. बी. आई.

62 आई. बी. आई. 63 एसडीजीएस

64 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, कानून का पर्यावरणीय नियम। इस वेबसाइट पर उपलब्धः // डब्ल्यू. डब्ल्यू. पर्यावरणहीन। org/अन्वेषण-विषय/पर्यावरण-अधिकार-और-शासन/हम क्या करते हैं/बढ़ावा देते हैं-पर्यावरण-नियम-कानून-0 65 ब्रंटलैंड की सतत विकास की परिभाषा अमर्त्य सेन, सतत विकास और हमारी जिम्मेदारियाँ। एच. टी. पी. पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. वैज्ञानिक। ओ. आर. जी./टमी % 20 एस. डी./दस्तावेज़ /

एस. ई. एन.% 20 उत्तरदायित्व और एस. डी.% 2010. पी. डी. एफ. [2019] 5 एस. सी. आर.

130. निर्णय 27/9 जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के 67 शासी निकाय द्वारा 2013 में अपने पहले सार्वभौमिक सत्र में 'पर्यावरण स्थिरता के लिए न्याय, शासन और कानून को आगे बढ़ाना' पर अपनाया गया था, 'कानून के पर्यावरण शासन' शब्द को स्थापित करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत वाला दस्तावेज था। इसने घोषणा की कि "पर्यावरण कानून के उल्लंघन में सतत विकास और सभी स्तरों पर सहमत पर्यावरण लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन को कमजोर करने की क्षमता है और कानून का शासन और सुशासन इस तरह के उल्लंघनों को कम करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं"। इसने इस प्रकार सरकारों से आग्रह किया और सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में पर्यावरण कानूनों के गैर-अनुपालन से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए संगठन। इसने कार्यकारी निदेशक से "सूचना प्रकटीकरण, सार्वजनिक भागीदारी, लागू करने योग्य और लागू करने योग्य कानूनों, और समन्वय सहित कार्यान्वयन और जवाबदेही तंत्र सहित पारस्परिक रूप से समर्थन करने वाली शासन विशेषताओं पर सभी स्तरों पर ध्यान देते हुए कानून के पर्यावरणीय शासन के विकास और कार्यान्वयन में सहायता करने का भी आह्वान किया।

भूमिकाओं के साथ-साथ पर्यावरण लेखा परीक्षा और आपराधिक, नागरिक और

समय पर, निष्पक्ष और स्वतंत्र विवाद समाधान के साथ प्रशासनिक प्रवर्तन। इसी तरह, 2014 में पहली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने प्रस्ताव 1/13 को अपनाया, जो देशों से "अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर कानून के पर्यावरणीय शासन को मजबूत करने के लिए काम करने" का आह्वान करता है।

131. 2016 में, पहली विश्व पर्यावरण कानून कांग्रेस, जिसे प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने कानून 68 के पर्यावरण नियम पर आई. यू. सी. एन. विश्व घोषणा को अपनाया जो विकास के लिए 13 सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। और पारिस्थितिक रूप से सतत विकास के लिए समाधानों को लागू करनाः

प्रकृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी

((i)

((ख)

प्रकृति का अधिकार और प्रकृति के अधिकार पर्यावरण का अधिकार।

(iii)

पारिस्थितिकीय स्थिरता और लचीलापन

((iv)

(v)

दुबियो प्रो नेचुरा में

संपत्ति के पारिस्थितिक कार्य

67 यू. एन. ई. पी. 68 आई. यू. सी. एन., कानून का पर्यावरण नियम। यहाँ उपलब्ध हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईयूसीएन। ओ. आर. जी./आयोग/विश्व आयोग-पर्यावरण-कानून/डब्ल्यू. एस. एल.-संसाधन/पर्यावरण-नियम-कानून हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(vii)

अंतर-पीढ़ीगत समानता

(viii)

पीढ़ी दर पीढ़ी समानता

लैंगिक समानता

(ix)

(x)

अल्पसंख्यक और कमजोर समूहों की भागीदारी

(xi)

स्वदेशी और जनजातीय लोग

(xii)

गैर-प्रतिगमन

(xiiii)

प्रगति

132. ध्वनि मेहता की डॉक्टरेट थीसिस 6 9 इस विचार की पड़ताल करती है

कार्यप्रणाली का विश्लेषण करके भारतीय संदर्भ में कानून का पर्यावरणीय नियम

पर्यावरण कानून के संबंध में सरकार के तीन संस्थानों में से। यह सरकार के प्रत्येक संस्थान के कानूनी साधनों के विश्लेषण के माध्यम से यह आकलन करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करता है कि क्या भारत में कानून के पर्यावरणीय शासन को मजबूत किया जा रहा है या कमजोर किया जा रहा है।

कानून, कार्यकारी आदेश और न्यायिक निर्णय। जिन संकेतकों के आधार पर यह किया जाता है, वे हैंः क) स्पष्ट रूप से लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके या प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करके व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए कानूनों की क्षमता (कानून के शासन के संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक); ख) कार्यपालिका की प्राथमिक आधार पर लचीले लेकिन तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता।

कानून; और सी) वैधानिक लागू करने के लिए न्यायपालिका की क्षमता

पर्यावरणीय अधिकारों और सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए न्यायिक समीक्षा की व्याख्या और सुसंगत मानक।

133. 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और इसके 17 एस. डी. जी. 7. ओ. को अपनाया। ये 17 लक्ष्य हैंः

गरीबी उन्मूलन;

((i)

भूख का उन्मूलन;

((ख)

अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण;

(iii)

((iv)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा;

लैंगिक समानता;

(v)

(vi)

स्वच्छ जल और स्वच्छता;

सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा;

(vii)

69 ध्वनि मेहता, द एनवायरनमेंटल रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 2017। इस वेबसाइट पर उपलब्धः //या। बैल। एसी। यूके/ऑब्जेक्ट्स/यूयूआईडीः 730202 सीई-एफ 2 सी4-4 डी2 एफ-9575

938 ए 728 एफई 82 ए

सभ्य कार्य और आर्थिक विकास;

(viii) (
ix)

उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा;

असमानताओं में कमी;

(x)

(xi)

टिकाऊ शहर और समुदाय;

टिकाऊ खपत और उत्पादन;

(xii)

जलवायु कार्रवाई;

(xiiii)

(xiv)

पानी के नीचे जीवन की रक्षा करना;

(xv)

भूमि पर जीवन;

(xvi)

शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं; और

(xvii)

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साझेदारी।

134. इनमें से प्रत्येक लक्ष्य का दूसरों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। एक साथ, वे मानव विकास के लिए एक एजेंडा प्रदान करते हैंः इस तरह से विकास जो पर्यावरण को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। यू. एन. ई. पी. मानता है कि प्राकृतिक पर्यावरण-वन, मिट्टी और आर्द्र भूमि-पानी की उपलब्धता और पानी की गुणवत्ता के प्रबंधन और विनियमन में योगदान देता है, जिससे पानी के शेड के लचीलेपन को मजबूत किया जाता है

और जल की पहुंच और आपदा की तैयारी के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे और संस्थागत और नियामक व्यवस्थाओं में निवेश को पूरा करता है।

135. एस. डी. जी. 13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक तत्काल कार्रवाई पर जोर देता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि गर्मी की लहरों, सूखे, बाढ़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसी चरम मौसम की घटनाओं ने जल प्रबंधन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है, स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाया है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और बुनियादी नागरिक सेवाओं के प्रावधान को बाधित किया है।

136. जलवायु परिवर्तन के आंकड़े बताते हैं किः

((i) 1880 और 2012 के बीच, औसत वैश्विक तापमान है

0. 85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई;

((ख) 1901 और 2010 के बीच, जैसे-जैसे महासागर का विस्तार हुआ, वैश्विक औसत

समुद्र का स्तर 19 सेंटीमीटर बढ़ गया है; हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम।

(iii) 1990 से वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रति

प्रतिशत; और

(iv) 2000 और 2010 के बीच, उत्सर्जन अधिक तेजी से बढ़ा।

इससे पहले के तीन दशकों में से प्रत्येक।

137. इस पृष्ठभूमि में, एस. डी. जी. 16 सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है।

स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और वनों के स्थायी उपयोग और प्रबंधन को बहाल करना और बढ़ावा देना, नदी भूमि के मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियाँ पर्यावरण प्रणाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती हैं जिनमें कार्बन को पकड़ना, मिट्टी की गुणवत्ता का रखरखाव, जैव विविधता के लिए आवास का प्रावधान,

कटाव पर नियंत्रण के साथ-साथ जल की गुणवत्ता का रखरखाव और जल प्रवाह का विनियमन। इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने, बाढ़ और भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों को कम करने और कम करने के प्रयासों के लिए पारिस्थितिकी प्रणालियों का रखरखाव महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय न्याय को बढ़ावा देना और मजबूत संस्थानों को सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। एस. डी. जी. 16 इसलिए कानून के शासन को बढ़ावा देने को बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों को लागू करने की दिशा में आंतरिक मानता है और

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत पर्यावरण गोवा की ओर बढ़ना

138. 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने पेरिस समझौते की पुष्टि की।

जलवायु परिवर्तन पर जिसने आगे बढ़ते हुए वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के लक्ष्य की पुष्टि की वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से डेढ़ डिग्री ऊपर सीमित करने का प्रयास। समझौते का अनुच्छेद 5 पक्षों को संरक्षण और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है।

ग्रीनहाउस गैसों के सिंक और जलाशयों को बढ़ाना, जिसमें वन शामिल हैं। पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत, भारत ने निम्नलिखित तीन प्रतिबद्धताएं कीं 1 2:

अपने सकल घरेलू में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता

((i)

2030 तक उत्पाद 2005 के स्तर से नीचे 33-35% कम हो जाएगा।

((ii) भारत की बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म पर आधारित होगा।

ईंधन स्रोत; और

(iii) 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक अतिरिक्त 'कार्बन सिंक'।

अतिरिक्त वन और वृक्ष आच्छादन के माध्यम से समतुल्य बनाया जाएगा

2030 तक।

71 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ

72 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानः पी. 29 में जलवायु न्याय की दिशा में काम करना, यू. एन. एफ. सी. सी. सी. सचिवालय [2019] 5 एस. सी. आर. को प्रस्तुत किया गया।

139. मार्च 2019 में, यू. एन. ई. पी. ने 'स्वस्थ ग्रह, स्वस्थ लोग' विषय पर वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण जारी किया। 73 स्पष्ट 'मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति के बीच संबंधों' को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि 2030 के एजेंडा और एस. डी. जी. को आगे बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफाई और दक्षता में सुधार पर्याप्त नहीं हैं। इसके बजाय, 'परिवर्तनकारी परिवर्तन' जो बुनियादी सामाजिक और उत्पादन प्रणालियों का पुनर्गठन करता है और

संरचनाओं की आवश्यकता है। इसमें संस्थागत ढांचे, सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन, अनुपालन और प्रवर्तन पर अच्छी तरह से तैयार की गई नीतियां शामिल हैं। इस दृष्टिकोण से, एक प्रणालीगत और एकीकृत नीतिगत कार्रवाई 4 यह सुनिश्चित करेगी कि "स्वस्थ पर्यावरण आर्थिक समृद्धि, मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पूर्व शर्त और नींव है" 75 140. कानून के शासन के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी संस्थान हों। उत्तरदायी, समावेशी,

सहभागितापूर्ण और प्रतिनिधि निर्णय लेना कानून के शासन के प्रमुख तत्व हैं। सूचना तक सार्वजनिक पहुंच, समान रूप से, कानून के शासन के संरक्षण के लिए मौलिक है। घरेलू संदर्भ में, पर्यावरण शासन जो कानून के शासन पर आधारित है, हमारे संविधान के मूल्यों से उभरता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मूल्य के रूप में जीवन के अधिकार को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिए उचित संरचनाएं संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी कार्रवाई और निष्पक्ष व्यवहार के सकारात्मक कर्तव्य के खिलाफ गारंटी में अभिव्यक्ति पाती हैं।

141. इसलिए 2006 की अधिसूचना को एस. डी. जी. को आगे बढ़ाने के लिए भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाना चाहिए। इनमें से कई लक्ष्य, इसके अलावा

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाना, जिसका भारत एक हिस्सा है, हमारी अपनी संवैधानिक मूल्य प्रणाली की एक बुनियादी अभिव्यक्ति है। पर्यावरण शासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जिन मानदंडों को अपनाया है, उनके साथ हमारा संपर्क हमारी सीमाओं से परे जाने के संदर्भ में हमारी अपनी जिम्मेदारी का उतना ही प्रतिबिंब है जितना कि यह हमारे अपने संविधान की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मौलिक सिद्धांत जो हमारे से निकलता है

2006 की अधिसूचना की व्याख्या यह है कि पर्यावरण शासन के क्षेत्र में साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उद्देश्य। की प्रक्रियाएँ

73 ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 6, यू. एन. ई. पी., 4 मार्च 2019 74 ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 6, यू. एन. ई. पी., 4 मार्च 2019 75 आई. बी. आई. डी. ह्यूमन लैक्समैन अरोस्कर बनाम।

यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

निर्णय उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि अंतिम निर्णय। 2006 की अधिसूचना का मूल अभिधारणा यह है कि जो मार्ग प्रकटीकरण के लिए निर्धारित किया गया है,

144. ई. ए. सी. ने एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका और कार्य का त्याग कर दिया जो इसके लिए बाहरी थीं। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण के उन पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहे जो इसके निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण थे। 2006 की अधिसूचना में कहा गया है कि आम तौर पर, एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. ई. ए. सी. की सिफारिश को स्वीकार करेगा। इससे ई. ए. सी. की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय है जो निर्वाचन आयोग के अनुदान पर अपीलीय अधिकार क्षेत्र में निहित है। एन. जी. टी. ने उन प्रस्तुतियों पर विचार किया जिनका अनिवार्य रूप से एक पैराग्राफ में उसके समक्ष आग्रह किया गया था। यह एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 16 (एच) और धारा 20 के तहत अपनी भूमिका और शक्ति की वास्तविक प्रकृति को समझने में विफल रहा। योग्यता की समीक्षा करने में विफल रहने पर, एनजीटी ने एक न्यायिक कार्य का निर्वहन नहीं किया है जो उचित रूप से उससे संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

145. मामले के इस दृष्टिकोण में, न ही निर्णय की प्रक्रिया

न ही निर्णय स्वयं कानूनी रूप से पारित हो सकता है। समान रूप से, बुनियादी ढांचे के विकास और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता वाले क्षेत्र के रूप में

पर्यावरण, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना की आवश्यकता को निर्णय लेने की गणना में विधिवत रूप से शामिल किया गया है, इस तरह का विकास पर्यावरण की प्रचलित स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच एक संपूर्ण संतुलन लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए

हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि समयबद्ध निर्देश जारी किए जाने चाहिए। 146. हवाई अड्डे की आवश्यकता और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है

कि यह उचित होगा यदि ई. ए. सी. को उन शर्तों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है जिनके अधीन उसने इस निर्णय में उजागर की गई विशिष्ट चिंताओं के आधार पर अपने ई. सी. को मंजूरी दी है। इस तरह का अभ्यास मुख्य रूप से ई. ए. सी. के लिए अपनी विशेषज्ञ निर्णय लेने की क्षमता में करना है। ई. ए. सी. को एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यह कार्य सौंपा गया है। न्यायिक समीक्षा की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि कानून के शासन का पालन किया जाए। इसलिए, हम प्रस्ताव करते हैं संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हम जो निर्देश जारी करेंगे, वे ई. ए. सी. को ई. सी. के अनुदान के लिए शर्तों पर पुनर्विचार करने का निर्देश देंगे। ऐसा करते समय, ई. ए. सी. के लिए यह खुला रहेगा कि वह एन. जी. टी. के आदेश में शामिल शर्तों का उचित सम्मान करे और उस स्वतंत्रता के अनुसरण में उन शर्तों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे जिसे हमने उसके लिए संरक्षित किया है। एक त्वरित निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए, हम ई. ए. सी. को एक निर्धारित समय अनुसूची में इस अभ्यास को पूरा करने का निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं, जिसके दौरान ई. सी. निलंबित रहेगा। हम यह निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि ई. ए. सी. द्वारा अपने विचार तैयार करने के बाद, उन्हें वर्तमान कार्यवाही में एक विविध आवेदन में इस न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, ताकि न्यायालय अंतिम आदेश पारित करने में सक्षम हो सके। विविध आवेदन या तो गोवा राज्य द्वारा परियोजना प्रस्तावक के रूप में या द्वारा दायर किया जा सकता है

एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. हम स्पष्ट करते हैं कि कोई अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण ई. ए. सी. के अंतिम निर्णय को किसी भी चुनौती पर विचार नहीं करेगा और उस पर अंतिम आदेश इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में पारित किए जाएंगे।

के.

दिशा-निर्देश

147. तदनुसार हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) ई. ए. सी. एक ई. सी. के अनुदान के लिए अपने द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार करेगा, जिसमें वे शर्तें भी शामिल हैं जो उसके पास हैं।

इस निर्णय में जिन विशिष्ट चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है;

(ii) ई. ए. सी. उपरोक्त (i) के तहत इस अधिनियम की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के एक महीने की अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा करेगा।

आदेश दें;

(iii) जब तक ई. ए. सी. ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार नई कवायद नहीं करता है, तब तक 28 अक्टूबर 2015 को एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. द्वारा प्रदत्त ई. सी.

निलंबित रहें;

(iv) वर्तमान निर्देशों के संदर्भ में मामले पर पुनर्विचार करने पर, ई. ए. सी., यदि वह निर्माण को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, तो ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगाएगा जो उसके विशेषज्ञ के विचार में इस निर्णय में देखी गई स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में चिंताओं की पर्याप्त रूप से रक्षा करेंगी। ई. ए. सी. को हवा, पानी, शोर से संबंधित उचित शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

भूमि, जैविक और सामाजिक-आर्थिक वातावरण;

(v) ई. ए. सी. इस न्यायालय को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए इस आश्वासन को ध्यान में रखेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए तैयार है।

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को नियंत्रित करने वाली सर्वोत्तम प्रथाएँ;

(vi) हम परियोजना प्रस्तावक के रूप में गोवा राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

और एम. ओ. ई. एफ. सी. सी, जैसा भी मामला हो, की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए

विविध के रूप में इस न्यायालय के समक्ष ई. ए. सी. आवेदन ताकि कार्यवाही में उचित आदेश पारित करने में सुविधा हो; और

(vii) ई. ए. सी. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट को कोई अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी भी चुनौती पर विचार नहीं करेगा।

वर्तमान आदेश के अनुपालन में।

148. इससे पहले कि हम वर्तमान मामले को छोड़ दें, हम मानते हैं कि इससे पहले अपीलार्थियों की ईमानदारी पर एक निष्कर्ष दर्ज करना उचित होगा।

अदालत। प्रत्यर्थियों द्वारा संक्षेप में यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ताओं ने व्यक्तिगत एजेंडे के आधार पर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है और

नतीजतन, वर्तमान अपील खारिज होने योग्य है। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री शेनॉय की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि ई. ए. सी. द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार न करने के कारण वैधानिक आदेश का आह्वान किया गया है। एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 22 के तहत उनके लिए उपलब्ध उपाय।

जन-उत्साही व्यक्तियों के इरादे पर आक्षेप पर्यावरण की सुरक्षा में रुचि रखने वालों के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं है। यदि कोई अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसके समक्ष अपील में निष्पक्षता की कमी थी, तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो उसे लगता है कि उस मामले में उचित हैं। पर्यावरण शासन से संबंधित मामलों में, अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर मामले का उसके गुण-दोष के आधार पर आकलन करें। पर्यावरण प्रशासन से संबंधित मामले

न केवल जीवित लोगों के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मानव विकास के एक अनिवार्य पहलू के रूप में पर्यावरण की सुरक्षा, आज और कल के लिए निरंतर विकास सुनिश्चित करती है।

149. भारत के विद्वान महान्यायवादी ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी विशिष्ट निष्पक्षता के साथ प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं।

और साफगोई। हम याचिकाकर्ता की विद्वान वकील सुश्री अनीता शेनॉय, पर्यावरण मंत्रालय के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पराग पी. त्रिपाठी और रियायत प्राप्तकर्ता की विद्वान वकील सुश्री आस्था मेहता द्वारा इस न्यायालय को प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करना चाहते हैं।

150. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

2019 की सिविल अपील संख्या 1053

151. इस अपील का निपटान भी 2018 की सिविल अपील संख्या 12251 के समान नियमों, शर्तों, निर्देशों और टिप्पणियों में किया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी